March 2023

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

India's Health Sector

Internationalization
of the Indian Rupee

Digital India Act, 2023

Corruption in India

Indo-German Relations

Biotransformation Technology

Integrated-Disease
Surveillance-Programme

Finance Bill 2023

ISRO's Space Tourism
Key takeaways

TOPPER'S RECOMMENDED
BEST CHOICE

हिंदी

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

Under The Guidance Of
Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

- 78 Prelims Tests
- 95 Mains Tests
- Weekly Assignments Monitored by Mentor
- Performance Tracker
- Module Wise Classes of Choice
- Current Affairs Classes
- Live solving of Prelims PYQ'S by Prelims Experts
- Enhanced Peer Group Activities

(For Veterans)

GURUKUL ADVANCED 2024

A Rigorous, Intensive Tests & Mentorship Based Programme

Bangalore Online

ADMISSION OPEN *Start's from 26th June*

Scan Here
to Know More

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

विषय-सूची

PRELIMS 4

राजव्यवस्था और शासन

- पोर्टर पुरस्कार
- कोर्ट मार्शल
- एफ़िनिटी टेस्ट
- पद्म पुरस्कार
- "सम्बद्धता के आधार पर दोषी" सिद्धांत
- भारत 6जी विजन डॉक्यूमेंट
- सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022
- वैश्विक आतंकवाद सूचकांक
- अनुकंपा नियुक्ति
- शिकायत अपील समिति (GAC) पोर्टल
- ज्यूडिशियल कस्टडी बनाम पुलिस कस्टडी और अरेस्ट बनाम कस्टडी
- आत्म दोषारोपण
- श्रेष्ठ और स्माइल योजना
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
- जस्टिस दीपक वर्मा कमेटी
- अग्रिम जमानत या पूर्व-गिरफ्तारी जमानत
- बेटियों के लिए संपत्ति का अधिकार
- ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (GPLC)

अर्थव्यवस्था

- वित्त विधेयक 2023
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज
- विंडसर फ्रेमवर्क
- स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग (SWAMIH)
- वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और करदाता सूचना सारांश (TIS)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- मैकमोहन रेखा
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)
- भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (IBSA)
- राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन (1961)
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति

इतिहास, कला और संस्कृति

- अकबर
- शिशुपालगढ़
- राजेंद्र प्रसाद
- वैदिक विरासत पोर्टल
- शहीद दिवस
- बखमुत की लड़ाई
- वसंत विषुव और उत्सव
- खंडगिरि और उदयगिरि गुफाएं
- महर्षि दयानंद सरस्वती
- झमरकोटरा और जावर
- संगीता कलानिधि पुरस्कार
- श्री श्री हरिचंद ठाकुर
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (AMASR) (संशोधन) विधेयक

भूगोल

- नील नदी
- कोठारी नदी
- प्लास्टिक की चट्टानें
- डेलाइट सेविंग टाइम (डीएसटी)
- डिप्लिटिड यूरेनियम
- पश्चिमी विक्षोभ
- कोल बेड मीथेन
- येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान
- लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया
- उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव
- माउंट मेरापी ज्वालामुखी
- नीलगिरी में प्रमुख जनजातियाँ
- निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन प्रौद्योगिकी (LTTD)
- लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण दर्रे

पर्यावरण

- अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट
- डीकार्बोनाइजिंग इंडिया: आयरन एंड स्टील सेक्टर रिपोर्ट
- मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट
- सी-हॉर्स
- ई-ईंधन (e-Fuels)
- जैव विविधता विरासत स्थल
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
- ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम
- मगर क्रोकोडाइल
- नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान
- जीआई टैग और राज्यों के साथ आम की किस्में
- वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलें
- वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और रिपोर्ट
- IQAir और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट
- सतत खाद्य प्रणालियों पर विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल (आईपीईएस) की रिपोर्ट
- अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिये आयोग (CCAMLR)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- प्रोटॉन बीम थेरेपी
- स्क्रब टाइफस
- एरिथ्रिटोल
- शुक्र (वीनस)
- बैक्टीरियल सेलूलोज़
- पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रभाव
- उपग्रहों की अनियंत्रित पुन: प्रविष्टि
- बॉक्साइट- प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम)
- सिरेमिक रेडोम प्रौद्योगिकी
- प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी
- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम
- मल्टी-एंगल इमेजर एयरोसोल्स (MAIA) मिशन
- एकीकृत मोबाइल छलावरण प्रणाली

रक्षा

- फ्रिंजेक्स-2023
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलेस एक्सप्रेस 2023 (IMX/CE-23) और INS त्रिकंद

MAINS

राजव्यवस्था और शासन

- जन विश्वास बिल
- भारत में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को विनियमित करना
- भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र
- इसरो का अंतरिक्ष पर्यटन: मुख्य निष्कर्ष

अर्थव्यवस्था

- भारत में मत्स्य क्षेत्र
- IMP बेलआउट्स को समझना
- भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं का गवर्नेंस

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- भारत-जर्मन संबंध
- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

भूगोल

- राज्यों द्वारा आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग

पर्यावरण

- लैंडफिल फायर
- बायोट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

सामाजिक मुद्दे

- भारत में हाथ से मैला ढोना/मैनुअल स्कैवेंजिंग
- भारत में घरेलू कामगारों का संरक्षण
- केंद्र द्वारा समलैंगिक विवाह का विरोध

नीतिशास्त्र

- भारत में भ्रष्टाचार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023
- वनवेब नक्षत्र (OneWeb Constellation)

PRACTICE QUESTIONS

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

पोर्टर पुरस्कार	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त किया। **पोर्टर पुरस्कार के बारे में:** • पोर्टर पुरस्कार का नाम अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, लेखक, सलाहकार, वक्ता और शिक्षक माइकल ई. पोर्टर के नाम पर रखा गया है। • इस पुरस्कार ने कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के साथ-साथ दृष्टिकोण, और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, विशेष रूप से पीपीई किट बनाने के लिए उद्योग में आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी को मान्यता दी। • प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान (IFC) और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। • दो दिवसीय सम्मेलन का विषय "द इंडियन इकोनॉमी 2023: इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस" था।
कोर्ट मार्शल	**कोर्ट मार्शल के बारे में:** • कोर्ट-मार्शल सैन्य कानूनों का उल्लंघन करने या कोई सैन्य अपराध करने के लिए सैन्य कर्मियों के सुनवाई के लिए एक प्रक्रिया है। • यह असैन्य आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही के समान है लेकिन एक सैन्य अदालत में आयोजित किया जाता है। • यह अलग से केवल सैन्य कर्मियों (सेना, नौसेना, समुद्री, वायु सेना और कभी-कभी तट रक्षक) के लिए बनाया गया है। • **उद्देश्य:** यह उन पर सैन्य अनुशासन के उल्लंघन और अन्य कदाचार के लिए मुकदमा चलाता है। • कोर्ट-मार्शल सिविल कार्यवाही की सुनवाई नहीं कर सकता है। • जब किसी व्यक्ति (सेवा में) पर अपराधी होने का आरोप लगाया जाता है, तो उसके कमांडर द्वारा अपराध के संबंध में जानकारी और अपराध की गंभीरता का पता लगाने के लिए आरोपों की जांच की जाती है। • जांच के बाद कमांडर अभियुक्त को छोड़ सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे गैर-न्यायिक दंड दे सकता है, उसके खिलाफ आरोप बना सकता है या मामले को आरोप बनाने के लिए उच्च अधिकारी को भेज सकता है। **अभियुक्तों के लिए उपलब्ध कानूनी सहारा:** • सेना अधिनियम के तहत अभियुक्त एक पूर्व-पुष्टि याचिका के साथ-साथ एक पश्च-पुष्टि याचिका दायर कर सकता है। • पूर्व-पुष्टि याचिका सेना कमांडर को भेजी जाएगी, जो इसकी विशेषताओं पर विचार करेगा। • चूँकि अधिकारी को बरखास्त कर उसकी रैंक छीन ली जाती है और उसे सेवा से निकाल दिया जाता है तथा सेना के कमांडर द्वारा सज़ा की पुष्टि करने के बाद सरकार को सिफारिस की जाती है। • इन विकल्पों के समाप्त हो जाने के बाद अभियुक्त सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का दरवाज़ा खटखटा सकता है, जो सज़ा को निलंबित कर सकता है। • भारत के राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा या सजा को क्षमा करने, राहत, राहत देने या छूट देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। **भारत में कोर्ट मार्शल से संबंधित कानूनी प्रावधान:** • 1950 का सेना अधिनियम: भारतीय सेना के सदस्यों पर लागू होता है। • 1957 का नौसेना अधिनियम : भारतीय नौसेना के सदस्यों पर लागू होता है। • 1950 का वायु सेना अधिनियम: भारतीय वायु सेना के सदस्यों पर लागू होता है।
एफ़िनिटी टेस्ट	**संदर्भ:** हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जाति के दावे को तय करने के लिए एक आत्मीयता परीक्षण यानि कि एफ़िनिटी टेस्ट, लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता है। **एफिनिटी टेस्ट के बारे में:-** • एक व्यक्ति को मानवशास्त्रीय और नृवंशविज्ञान संबंधी लक्षणों के माध्यम से स्थानांतरित कर एक जनजाति से जोड़ने के लिए एफ़िनिटी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। • इस बात की संभावना है कि अन्य संस्कृतियों के संपर्क, प्रवासन और आधुनिकीकरण ने एक जनजाति की पारंपरिक विशेषताओं को मिटा दिया होगा।

	• एक आत्मीयता परीक्षण विशेष जाति या जनजाति के बारे में विशिष्ट मानवशास्त्रीय और नृजातीय लक्षणों, देवताओं, अनुष्ठानों, रीति-रिवाजों, विवाह के तरीके, मृत्यु समारोहों, शवों को दफनाने के तरीकों और उनके बारे में आवेदकों का ज्ञान आदि के आधार पर जाति/जनजाति के दावों पर अधिकारियों द्वारा अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करना निर्धारित करता है। **जाति का दावा:-** • कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में नियुक्ति प्राधिकारी/चयन समिति/बोर्ड आदि को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। • यह उसे आरक्षण और विभिन्न छूटों और रियायतों के लिए पात्र बनाता है। • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित प्रपत्र में नियुक्ति अधिकारियों द्वारा जारी जाति / जनजाति / समुदाय प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार के दावे के समर्थन में प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

पद्म पुरस्कार	**संदर्भ:** हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 54 पद्म पुरस्कार प्रदान किए।
	इसके बारे में:-
	• पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।
	• पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे।
	• हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर 1978 और 1979 तथा 1993 से 1997 के वर्षों के दौरान संक्षिप्त बाधायों को छोड़कर इसकी घोषणा की जाती है।
	• इसकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है।
	• पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं:-
	  ○ **पद्म विभूषण:** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए
	  ○ **पद्म भूषण:** उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा
	  ○ **पद्म श्री:** प्रतिष्ठित सेवा
	• पुरस्कार गतिविधियों या विषयों के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना चाहता है जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है।
	• पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।
	• इसकी नामांकन प्रक्रिया जनता के लिए खुली रहती है।
	• स्व-नामांकन भी किया जा सकता है।
	• **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-**
	  ○ भारत सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कार-भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की।
	  ○ उत्तरवर्ती में तीन वर्ग थे, नामतः पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग।
	  ○ 8 जनवरी, 1955 को जारी किए गए राष्ट्रपति पद के अधिसूचना के बाद इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री रखा गया।
	• **पात्रता:-**
	  ○ जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए योग्य हैं।
	  ○ हालांकि, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर पीएसयू के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को ये पुरस्कार नहीं दिए जाते।
	• यह पुरस्कार विशिष्ट कार्यों को मान्यता देना चाहता है और गतिविधियों/विषयों के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिया जाता है: कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा, खेल और अन्य।
	• यह पुरस्कार आमतौर पर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है। हालांकि, स्पेशल मामलों में, सरकार मरणोपरांत पुरस्कार पुरस्कार देने पर भी विचार कर सकती है।
	• पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
	• पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाणपत्र) और एक पदक प्रदान किया जाता है।

	• प्राप्तकर्ताओं को पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है जिसे यदि पुरस्कार विजेता चाहें तो वे किसी भी समारोह/राज्य समारोह आदि के दौरान पहन सकते हैं। • एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या (मरणोपरांत पुरस्कारों और एनआरआई/विदेशियों/ओसीआई को छोड़कर) 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। • पुरस्कार एक शीर्षक की राशि नहीं है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता है। **चयन प्रक्रिया:-** • पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। • इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और चार से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल हैं। • समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं। **जरूर पढ़े:** रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
"सम्बद्धता के आधार पर दोषी" सिद्धांत	**संदर्भ:** हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र में "सम्बद्धता के आधार पर दोषी" सिद्धांत को बहाल किया। **इसके बारे में: -** • इसे एसोसिएशन फॉलसी के रूप में भी जाना जाता है। • इसे आधिकारिक तौर पर "किसी सबूत के कारण नहीं, बल्कि एक अपराधी के साथ उनके जुड़ाव के कारण किसी पर आरोपित अपराध" के रूप में परिभाषित किया गया है। • इस प्रकार, किसी मौजूदा समूह या संस्था के प्रति अपनी समानता के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को आलोचना या प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। • इसके विपरीत, एसोसिएशन द्वारा सम्मान एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां किसी को उन समूहों के साथ संबद्धता के परिणामस्वरूप सराहना की जाती है जिन्हें सकारात्मक प्रकाश में माना जाता है। • सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में आपराधिक न्यायशास्त्र में "सम्बद्धता के आधार पर दोषी" सिद्धांत को बहाल किया। • इसने अपने 2011 के निर्णयों के एक समूह को खारिज कर दिया और घोषित किया कि प्रतिबंधित संगठन की मात्र सदस्यता देश के आतंकवाद विरोधी कानून - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत अपराध होगी। **जरूर पढ़े:** यूएपीए का दुरुपयोग और यूएपीए अधिनियम के तहत गिरफ्तारियों में वृद्धि
भारत 6जी विजन डॉक्यूमेंट	**संदर्भ:** हाल ही में, प्रधान मंत्री ने भारत के 6G विज़न डॉक्यूमेंट का अनावरण किया, जो 2030 तक सर्विस रोलआउट को लक्षित करता है। **भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट के बारे में:** • यह 2030 तक 6G संचार सेवाओं को लॉन्च करने की भारत की योजना की रूपरेखा तैयार करता है। • डॉक्यूमेंट को 6G पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था। ○ यह विभिन्न मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों, मानकीकरण निकायों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उद्योग के विशेषज्ञों का एक समूह है। • 6G टेस्ट बेड भी लॉन्च किया गया। • यह उभरती प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य लोगों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए है।

	• विजन डॉक्यूमेंट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 6G अल्ट्रा-लो लेटेंसी प्रदान करेगा, जिसकी गति प्रति सेकंड 1 टेराबिट तक होगी। • यह 5G की टॉप स्पीड से 1,000 गुना तेज है। • 5G तकनीक में औसत स्पीड रेंज 40-1,100 एमबीपीएस के बीच होती है, जो संभावित रूप से मिलीमीटर वेब स्पेक्ट्रम और बीफार्मिंग जैसे तकनीकों के माध्यम से 10,000 एमबीपीएस की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है, यह 6G तेज और अधिक कुशल संचार सेवाएं प्रदान करेगी। • TIG-6G समूह के सदस्य भारत में 6G के लिए एक रोडमैप और कार्य योजना विकसित करेंगे। • यह देश में 6G प्रौद्योगिकियों के विकास और अपनाने के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा। • 2030 तक 6G संचार सेवाओं को लॉन्च करने की भारत की योजना नई तकनीकों को अपनाने और दूरसंचार उद्योग में सबसे आगे रहने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। **6G के बारे में:** 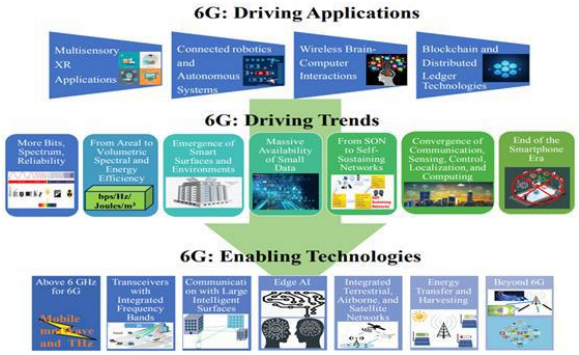 • 6G (छठी पीढ़ी का वायरलेस), 5G सेलुलर तकनीक का उत्तराधिकारी है। • यह 5G नेटवर्क की तुलना में उच्च आवृत्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगा। • यह काफी अधिक क्षमता और बहुत कम विलंबता (देरी) की स्थिति प्रदान करेगा। • 6G इंटरनेट का लक्ष्य एक माइक्रोसेकंड-लेटेंसी संचार (संचार में एक माइक्रोसेकंड की देरी) का समर्थन करना होगा। • यह एक मिलीसेकंड प्रवाह क्षमता की तुलना में 1,000 गुना तेज़ या 1/1000वाँ विलंबता (देरी) की स्थिति प्रदान करेगा। • यह आवृत्ति के टेराहर्ट्ज़ बैंड का उपयोग करेगा जो वर्तमान में अप्रयुक्त है। ○ टेराहर्ट्ज़ तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों और माइक्रोवेव के बीच गिरती हैं। **अवश्य पढ़ें: 5G**

सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022	**संदर्भ:** देश में शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULB) का उनके वित्तीय स्थिति के आधार पर मूल्यांकन करने के लिये हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022' लॉन्च की है।
	सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के बारे में:-
	• यह आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है।
	• भाग लेने वाले शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन तीन प्रमुख नगरपालिका वित्त मूल्यांकन मापदंडों में 15 संकेतकों के आधार पर किया जाएगा, वे इस प्रकार हैं:
	  ○ संसाधन संग्रहण
	  ○ व्यय प्रदर्शन
	  ○ राजकोषीय शासन
	• मूल्यांकन वर्तमान वित्तीय स्थिति की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार के आधार पर किया जाएगा।
	• प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा।
	महत्व:-
	• यह शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULB) को अपने वित्तीय प्रदर्शन में उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा जहां वे सुधार कर सकते हैं और अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं।

	• रैंकिंग नगर निगम के वित्त सुधारों को लागू करने के लिए शहर / राज्य के अधिकारियों और निर्णय निर्माताओं को प्रेरित करेगी। **जरूर पढ़े:** जलवायु वित्त
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक	**संदर्भ:** हाल ही में, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (Global Terrorism Index- GTI) के 10वें संस्करण में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन ने आतंकवादी समूहों को धन जुटाने, अपना पाँव पसारने और भर्ती करने का अवसर प्रदान किया है। **इसके के बारे में:-** • यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित एक रिपोर्ट है। • द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP), एक वैश्विक थिंक टैंक है। • इसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। • यह मुख्य रूप से अन्य स्रोतों के अलावा मैरीलैंड विश्वविद्यालय में आतंकवाद के अध्ययन और आतंकवाद के प्रति प्रतिक्रिया (START) के अध्ययन के लिए नेशनल कंसोर्टियम द्वारा एकत्र किए गए ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस (GTD) पर आधारित है। • सूचकांक 2000 से आतंकवाद में प्रमुख वैश्विक रुझानों और पैटर्न का एक व्यापक सारांश प्रदान करता है। • ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट में GTI स्कोर का सीधे उपयोग किया जाता है। • यह अप्रत्यक्ष रूप से विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांकों की रिपोर्ट और अर्थशास्त्री खुफिया इकाई द्वारा सुरक्षित शहरों के सूचकांक के संकलन में भी उपयोग किया जाता है। **जरूर पढ़े:** आतंकवाद और इसका वित्तपोषण
अनुकंपा नियुक्ति	**संदर्भ:** हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 'अनुकंपा नियुक्ति' के लिए पश्चिम बंगाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों द्वारा दायर कुछ आवेदनों को खारिज कर दिया। **अनुकंपा नियुक्ति के बारे में:** • अनुकंपा नियुक्तियों की अवधारणा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में खोजा जा सकता है। • अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत है और आजीविका के अधिकार के बारे में बात करता है। • इसका उद्देश्य एक सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करना है, जो सेवा में मर जाते हैं या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, परिवार को जीविका के किसी स्रोत के बिना छोड़ देते हैं। • ये नियुक्तियां केवल "ग्रुप 'सी' पदों के लिए सीधी भर्ती कोटा के तहत की जा सकती हैं। **पात्रता:-** **अनुकंपा नियुक्तियों का विस्तार एक सरकारी सेवक के परिवार के उन आश्रित सदस्यों तक हो सकता है जो:-** • सेवा के दौरान मर जाता है (आत्महत्या से मृत्यु सहित)। • चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त। **यह उपाय एक सशस्त्र बल कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है जो: -** • सेवा के दौरान मर जाता है। • कार्रवाई में मारा जाता है। • चिकित्सकीय रूप से अयोग्य है और सिविल रोजगार के लिए अयोग्य है। • हालाँकि सरकारी कर्मचारी को "नियमित आधार" पर नियुक्त किया जाना चाहिए न कि दैनिक वेतन, आकस्मिक, प्रशिक्षु, तदर्थ, अनुबंध, या पुनर्रोजगार के आधार पर। • इसके अलावा, मृतक के आश्रित केवल प्रथम श्रेणी के सम्बन्ध हो सकते है जैसे की उनके पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री (दत्तक सहित) आदि। • आवेदक को पद के लिए पात्र और उपयुक्त भी होना चाहिए। **नियुक्ति प्राधिकारी:-** • अनुकंपा नियुक्तियां या तो मंत्रालय में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव या संबंधित विभाग या विभाग के प्रमुख द्वारा की जाती हैं। • इन्हें विशेष मामलों में किसी मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा भी बनाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने क्रमशः "मुमताज़ यूनुस मुलानी बनाम, महाराष्ट्र राज्य और भारतीय स्टेट बैंक बनाम सूर्य नारायण त्रिपाठी" के मामलों में 2008 और 2014 के अपने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि "एक नीति का अस्तित्व अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश अनिवार्य है।

अवश्य पढ़े : मौलिक अधिकार

शिकायत अपील समिति (GAC) पोर्टल

संदर्भ: हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शिकायत अपील समिति (GAC) पोर्टल लॉन्च किया।

शिकायत अपील समिति (जीएसी) के बारे में:

- शिकायत अपील समिति (GAC) की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ["आईटी नियम"] के तहत की गई है।
- आईटी नियम और जीएसी का उद्देश्य भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय तथा जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।
- GAC एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र है।
- GAC सोशल मीडिया मध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों और अन्य मध्यस्थों के आईटी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों की शिकायतों और बिचौलियों द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित किसी भी अन्य मामले से पीड़ित उपयोगकर्ताओं (डिजिटल नागरिक) की अपील से निपटता है।
- समिति 30 दिनों के भीतर उपयोगकर्ता की अपील का जवाब देने का प्रयास करेगी।
- शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर, इसे ऑफिसियल स्वीकार करना होगा और 15 दिनों के भीतर एक प्रस्ताव पेश करना होगा।
- यह आवश्यक रहता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए।

GAC पोर्टल के बारे में:

- यह एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से काम करेगा।
- पूरी अपील प्रक्रिया, अपील दायर करने से लेकर उसके निर्णय तक, नए पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी।
- नया पोर्टल उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए विस्तृत FAQ सूचीबद्ध करता है।
- अपीलकर्ता लॉग इन विंडो के माध्यम से अपीलकर्ता अपनी अपील की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

ज्यूडिशियल कस्टडी बनाम पुलिस कस्टडी और अरेस्ट बनाम कस्टडी

संदर्भ: हाल ही में, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को शराब नीति मामले में 'न्यायिक हिरासत' में भेज दिया गया था।

इसके बारे में :

गिरफ्तारी:

Detention	Arrest	Custody
The action of detaining someone or the state of being detained in official custody.	Seize (someone) by legal authority and take them into custody.	Merely surveillance or restriction on the movement of the person concerned.
Police only need reasonable suspicion to hold the suspect	Police need hard evidence to arrest someone	Holding a person in custody for further inquiry and investigation
Less serious	More serious	More serious
May lead to an arrest, if more evidence found.	May lead to jail time if convicted.	There are two types of custody, Police and judicial depending upon the circumstances.
Does not show up on criminal record	Does show up on criminal record	It has police record.
Usually for a short period of time. Then they have to be let go or arrested.	Can be held until bail is posted or until their case comes to court.	Police custody is of 15 days and Judicial custody is of 60-90 days depends upon the case.

- गिरफ्तारी शब्द को या तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता या विभिन्न मौलिक अधिनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है।
- अरेस्ट शब्द फ्रेंच शब्द 'एरेट' से लिया गया है जिसका अर्थ है "रुकना या ठहरना"।
- गिरफ्तारी का अर्थ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना है।
- गिरफ्तारी एक व्यक्ति को पकड़ने और हिरासत में लेने का एक कार्य है, आमतौर पर क्योंकि उन्हें अपराध करने या

योजना बनाने का संदेह होता है।

कस्टडी :-

- किसी व्यक्ति या संपत्ति का नियंत्रण और देखभाल, खासकर जब अदालत द्वारा दी गई हो।
- कस्टडी सुरक्षा की स्थिति है, या अस्थायी रूप से जेल में रखा जाता है, विशेष रूप से पुलिस द्वारा।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार अभिव्यक्ति "हिरासत में" से तात्पर्य संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों पर निगरानी या प्रतिबंध से है।

कस्टडी और हिरासत में अंतर:-

- कस्टडी एक व्यक्ति को औपचारिक रूप से पुलिस हिरासत में लेने का एक तरीका है। जबकि 'हिरासत' केवल संबंधित व्यक्ति की आवाजाही पर निगरानी या प्रतिबंध को दर्शाता है।
- किसी व्यक्ति को पूरी तरह या आंशिक रूप से भी हिरासत में लिया जा सकता है।
- इस प्रकार, प्रत्येक गिरफ्तारी में अभिरक्षा होती है लेकिन इसका विलोम कभी भी सत्य नहीं हो सकता है।

कैद:

- जब पुलिस या कोई प्राधिकरण किसी अवैध कार्य के संदेह में किसी को पकड़ता है, लेकिन उस पर अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है, तो हिरासत के रूप में जाना जाता है।
- व्यक्ति को उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में लिया जाता है और उनकी स्वतंत्रता को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया जाता है।
- पुलिस को यह अधिकार है कि वह किसी को भी हिरासत में ले सकती है अगर उन्हें किसी पर गैरकानूनी गतिविधि या किसी गलत काम का संदेह हो।
- हालांकि, पुलिस उचित संदेह के बिना किसी को हिरासत में नहीं ले सकती है, और केवल एक निश्चित अवधि के लिए उन्हें हिरासत में रख सकती है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग होती है।
- निर्धारित समय के बाद, पुलिस को मामले के अनुसार व्यक्ति को या तो रिहा करना होगा या गिरफ्तार करना होगा।

न्यायिक हिरासत बनाम पुलिस हिरासत के बारे में :-

पुलिस हिरासत

- जब किसी व्यक्ति को जघन्य अपराध करने के आरोप में या संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे पुलिस हिरासत में रखा जाता है।
- किसी व्यक्ति को प्राथमिकी या संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस हिरासत में रखा जाता है।
- हिरासत की अवधि 15 दिन है।
- पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को उस विशेष पुलिस स्टेशन के जेल या सेल में रखा जाता है।
- जांच करने वाला पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है।
- व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, और उन आधारों के बारे में जानकारी करने का अधिकार है जिन्हें पुलिस को सुनिश्चित करना है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का नियम दिया गया है।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए और अगर आरोप साबित नहीं होते हैं, तो उसे जमानत दे दी जाती है, अन्यथा उसे आगे की जांच और पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में वापस भेज दिया जाता है।
- मजिस्ट्रेट को धारा 167 के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में भेजने का अधिकार दिया गया है।
- वह हिरासत को पुलिस हिरासत से न्यायिक हिरासत में बदलने का आदेश भी दे सकता है।
- ऐसी स्थिति में न्यायिक हिरासत की कुल समयावधि में से पुलिस हिरासत की अवधि घटा दी जाती है।

न्यायिक हिरासत

- इसका तात्पर्य है कि आरोपी जेल में बंद है और एक मजिस्ट्रेट की हिरासत में है।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट के दायरे में निरुद्ध व्यक्ति केन्द्रीय या राज्य कारागार में बंद होता है।
- न्यायिक हिरासत में अधिकारियों को पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है।
- गैर-जमानती अपराधों के मामले में, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम कारावास की सजा के मामले में, कैद की

	अवधि 90 दिन है, और जमानती अपराधों में, अधिकतम अवधि 60 दिन है। • न्यायिक हिरासत में एक व्यक्ति को सेंट्रल जेल में रखा जाता है। • व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में तब तक रखा जाता है जब तक उसे जमानत नहीं दी जाती है। • एक व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में तब रखा जाता है जब सरकारी वकील अदालत को विश्वास दिलाता है कि आगे की जांच के लिए ऐसी हिरासत आवश्यक है।
आत्म दोषारोपण	**संदर्भ:** हाल के एक प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में जमानत की मांग करने वाली दिल्ली के उपमुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। **आत्म दोषारोपण के बारे में:** • एक घोषणा या कार्य जो एक जांच के दौरान होता है जहां एक व्यक्ति या गवाह खुद को या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से दोषी ठहराता है, आत्म दोषारोपण के रूप में जाना जाता है। • यह अधिकार लैटिन सूक्ति पर आधारित है कि 'कोई भी स्वयं को दोष देने के लिए बाध्य नहीं है'। **भारतीय संविधान में आत्म-अपराध के प्रावधान:** • अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ तीन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। • इसमें कोई पूर्व-कार्योत्तर कानून नहीं, दोहरे दंड का निषेध, कोई आत्म-अभिशंसन नहीं से संबंधित प्रावधान हैं। • खुद को दोषी ठहराने का मतलब यह नहीं है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। • आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध सुरक्षा का मौखिक और लिखित साक्ष्य दोनों रूपों में प्रावधान है। • यद्यपि इसमें निहित नहीं है: भौतिक वस्तुओं का अनिवार्य उत्पादन, अँगूठे का निशान, हस्ताक्षर अथवा रक्त के नमूने देने की बाध्यता, शारीरिक अंगों के प्रदर्शन की बाध्यता। • इसके अलावा यह केवल आपराधिक कार्यवाही तक ही सीमित है, न कि दीवानी कार्यवाही या गैर-आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही तक। **आत्म-अभिशंसन पर न्यायिक फैसले:** **बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू ओघड़ 1961:** • बॉम्बे बनाम काठी कालू ओघड़ (1961) मामले में, सुप्रीम कोर्ट के ग्यारह-न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि फोटोग्राफ, उंगलियों के निशान, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान प्राप्त करने से अभियुक्त के "आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार" का उल्लंघन नहीं होगा। **सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामला, 2010** • इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोपी की सहमति के बिना नार्कोएनालिसिस टेस्ट देना आत्म-अभिशंसन के खिलाफ उसके अधिकार का उल्लंघन होगा। **रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2019:** • इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आवाज के नमूनों को शामिल करने के लिये हस्तलेखन नमूनों के मापदंडों का विस्तार किया, जिसमें कहा गया कि यह आत्म-अभिशंसन के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा।
श्रेष्ठ और स्माइल योजना	**संदर्भ:** लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (SHRESHTA) के कार्यान्वयन और आजीविका और उद्यम के लिए उपेक्षित व्यक्तियों के लिए सहायता (SMILE) की हाल ही में समीक्षा की गई थी। **लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूलों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (SHRESHTA) के बारे में:-** • यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। • यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • **उद्देश्य:** देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के मेधावी लड़के और लड़कियों को सीटें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। • हर साल, यह उम्मीद की जाती है कि योजना के तहत कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश के लिए लगभग (3000) छात्रों का चयन किया जाएगा। ○ CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों की कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा। • **चयन प्रक्रिया:** चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ (NETS) के रूप

	में जाना जाता है। ○ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 9वीं और 11वीं की कक्षा में प्रवेश के लिये इसका आयोजन किया जाएगा। ○ **NTA:** उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश / फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को एक प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षा संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। ▪ इसे शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860) के तहत एक स्वतंत्र, स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रमुख परीक्षण संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ▪ यह प्रमुख उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए कुशल, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत परीक्षण आयोजित करने के लिए है। **आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन (स्माइल) के बारे में:-** • यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। • यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • **उद्देश्य:** ○ यह उन अधिकारों की पहुंच को मजबूत और विस्तारित करना चाहता है जो लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं। ○ यह पहचान, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, आश्रय और व्यावसायिक अवसरों के कई आयामों के माध्यम से आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखता है। • इसमें दो उप-योजनाएं शामिल हैं - ○ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास और ○ भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास। **अवश्य पढ़ें: शिक्षा और राष्ट्र निर्माण**
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)	**संदर्भ:** हाल ही में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने विदेशी वकील और लॉ फर्म्स को पारस्परिक आधार पर भारत में कानून का अभ्यास करने की अनुमति दी है। **बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के बारे में:-** • यह 1961 के अधिवक्ता अधिनियम के तहत संसद द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। • यह पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करके और बार पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके नियामक कार्य करता है। • यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक तय करता है और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून में डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन हेतु योग्यता के रूप में काम करेगी। **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • 1961 में, 'अखिल भारतीय बार समिति' और 'कानून आयोग' द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम पेश किया गया था। • बार काउंसिल शुरू में विदेशी वकीलों और फर्मों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के खिलाफ थी। • हालांकि, देश भर में बीसीआई, स्टेट बार काउंसिल और अन्य हितधारकों के बीच संयुक्त सलाहकार सम्मेलनों में की गई सिफारिशों के आधार पर नियमों में बदलाव किया गया था। **नए नियम:-** • बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत में विदेशी वकीलों और अंतरराष्ट्रीय कानून फर्मों के पंजीकरण के लिए नए नियम और विनियम जारी किए हैं। • भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों के पंजीकरण और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2022 के माध्यम से ये वकील गैर-मुकदमे वाले मामलों में प्रैक्टिस कर सकेंगे। • इन वकीलों के लिए तीन प्रमुख फोकस क्षेत्र विदेशी कानून, अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दे और मध्यस्थता मामले होंगे। **जिन क्षेत्रों में विदेशी वकील और फर्में प्रैक्टिस कर सकती हैं:-** • उन्हें लेन-देन संबंधी कार्य/कॉर्पोरेट कार्य (गैर-मुकदमेबाज़ी अभ्यास) जैसे संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण, बौद्धिक

	संपदा मामले, अनुबंधों का मसौदा तैयार करना • कानूनी सलाह प्रदान करना और एक व्यक्ति, कंपनी, फर्म, निगम, ट्रस्ट आदि के लिए एक वकील के रूप में उपस्थित हों, जिसका पता किसी विदेशी देश में हो। • कानूनी सलाह प्रदान करना और अदालतों, न्यायाधिकरणों और बोर्डों के अलावा अन्य निकायों में एक वकील के रूप में उपस्थित हों, जो शपथ पर साक्ष्य लेने के कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं। • प्राथमिक योग्यता वाले देश के कानूनों और विविध कानूनी मुद्दों से संबंधित कानूनी सलाह प्रदान करना। • विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म भी भारत में लॉ ऑफिस खोल सकते हैं। • एक या एक से अधिक विदेशी वकीलों या भारत में रजिस्टर्ड विदेशी कानून फर्मों के साथ साझेदारी भी कर सकते हैं। • विदेशी वकीलों और विदेशी फर्मों को पहले काउंसिल में पंजीकरण कराए बिना भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जाती है। • **अपवाद:** हालांकि, विदेशी कानून या अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर ग्राहक को कानूनी सलाह देने के उद्देश्य से "फ्लाई इन और फ्लाई आउट आधार" पर भारत आने वाले विदेशी वकील या विदेशी लॉ फर्म के लिए इस नियम में ढील दी जा सकती है। • इन वकीलों या फर्मों का भारत में कार्यालय नहीं हो सकता है और वे 12 महीने की किसी भी अवधि में 60 दिनों से अधिक कानून का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। • एक विदेशी वकील के लिए पंजीकरण शुल्क $25,000 (लगभग 20.64 लाख रुपये) है और विदेशी फर्मों के लिए पंजीकरण शुल्क $50,000 (लगभग 41.28 लाख रुपये) है। **जरूर पढ़े: कोर्ट रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण**
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम	**संदर्भ:** हाल ही में, स्वयंभू सिख उपदेशक और चल रहे वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया है। **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में: -** • नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। • यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। • 1980 में देश की सुरक्षा के लिहाज से सरकार को ज्यादा शक्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। • यह एक्ट सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि यदि उसे लगे कि किसी को देशहित में गिरफ्तार करने के की आवश्यकता है तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। **एनएसए (NSA) के प्रावधान** • नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। • इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की समयावधि को 12 महीने तक किया जा सकता है। • साथ ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति हाईकोर्ट के एडवाइजरी के सामने अपील कर सकता है और राज्य सरकार को यह बताना होता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है। **जरूर पढ़े: राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC)**
जस्टिस दीपक वर्मा कमेटी	**संदर्भ:** हाल ही में, एक पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति को किसी बचाव या पुनर्वास केंद्र या चिड़ियाघर द्वारा जंगली जानवरों की खरीद या कल्याण का काम सौंपा गया था। **न्यायमूर्ति दीपक वर्मा समिति के बारे में :-** • इसकी स्थापना पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की अध्यक्षता में की गई है। **उद्देश्य:** एचपीसी का गठन शुरू में उत्तर-पूर्वी राज्यों से बंदी जंगली हाथियों के स्थानांतरण की देखरेख के लिए किया गया था और इसका दायरा त्रिपुरा और गुजरात तक सीमित था। • भारत में कहीं भी पुनर्वास या बचाव की आवश्यकता वाले सभी जंगली जानवरों को पूरा करने के लिए अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

	अवश्य पढ़े: वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) का पुनर्गठन किया।
अग्रिम जमानत या पूर्व-गिरफ्तारी जमानत	**संदर्भ:** हाल ही में, उच्चतम न्यायालय कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें राज्य उच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक के एक विधायक को दी गई पूर्व-गिरफ्तारी जमानतको चुनौती दी गई थी। **पूर्व-गिरफ्तारी जमानत या अग्रिम जमानत के बारे में:-** • ज़मानत जांच और परीक्षण के दौरान कारावास या हिरासत से किसी व्यक्ति की सशर्त रिहाई है। • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) एक जमानती अपराध को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करती है जिसे CrPC की पहली अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, या जिसे किसी अन्य कानून द्वारा उस समय के लिए जमानती बनाया गया है और एक गैर-जमानती अपराध का मतलब है कोई अन्य अपराध। • 1969 में 41वें विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान पेश किया गया था, जिसमें एक ऐसे उपाय की आवश्यकता की सिफारिश की गई थी जो किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मनमाने उल्लंघन से बचाता है, जैसे कि जब राजनेता अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाते हैं। • यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित)। • इसका अभ्यास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) का सार है। • दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की परिकल्पना की गई है। • यह अभियुक्त को गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा करने के निर्देश की मांग करते हुए सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है। • आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) "जमानती" और "गैर-जमानती" अपराधों के बीच अंतर करती है। • यह तीन प्रकार की जमानत को भी परिभाषित करता है जिसे धारा 437 और 439 के तहत नियमित जमानत; अंतरिम जमानत या अल्पकालिक जमानत जो नियमित या अग्रिम जमानत याचिका अदालत के समक्ष लंबित होने पर दी जाती है; और अग्रिम या पूर्व-गिरफ्तारी जमानत दी जा सकती है। **अग्रिम जमानत देने की शर्तें:-** • आरोप की प्रकृति और गंभीरता • आवेदक के पिछले मामले • अदालत कुछ नियम और शर्तें लगा सकती है • विदेश यात्रा पर प्रतिबंध • इसने इनकार किया कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है **अवश्य पढ़े: जमानत कानून**
बेटियों के लिए संपत्ति का अधिकार	**संदर्भ:** हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने पारिवारिक संपत्ति पर बेटियों के अधिकार की जांच की। **बेटियों के लिए संपत्ति के अधिकार के बारे में:-** • हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिंदू अविभाजित परिवार के भीतर संपत्ति विभाजन को नियंत्रित करता है। • हिंदू कानून का मिताक्षरा स्कूल, एक पर्सनल लॉ, जिसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया है, हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार और उत्तराधिकार को नियंत्रित करता था। • इस कानून के तहत, केवल पुरुषों को ही परिवार में कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई थी। • वर्ष 2005 में संसद में संशोधन कर बेटियों को समान अधिकार की अनुमति दी गई। • अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया ताकि पुत्री को पुत्र की तरह जन्म से ही सह-मालिक/सहदायिक बनाया जा सके। **प्रकाश बनाम फूलवती मामला, 2015** • इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 2005 का संशोधन केवल "जीवित सहदायिकों/सह-मालिकों की जीवित बेटियों" को संशोधित खंड में शब्दों के अनुसार दिया जा सकता है। • इसका तात्पर्य यह था कि केवल वही पुत्रियाँ जिनके पिता सितंबर 2005 की कट-ऑफ तिथि के बाद जीवित थे, वे ही संशोधन के तहत लाभ की हकदार होंगी। **2018 के फैसले:** • इस फैसले ने तारीख को आगे बढ़ाकर 2001 कर दिया, लेकिन कट-ऑफ को जल्द ही 2005 तक पूर्ववत कर दिया गया।

	• फरवरी 2018 में, 2015 के फैसले के विपरीत, दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि 2001 में मरने वाले पिता का हिस्सा भी उनकी बेटियों को सहदायिक के रूप में दिया जाएगा। • पहले, बेटे संपत्ति को विरासत में ले सकते थे चाहे उनके पिता 'जीवित/मृत' हों, बेटियां केवल तभी ऐसा कर सकती थीं जब उनके पिता 2005 के बाद जीवित थे। • ऐसा इसलिए किया गया ताकि पहले से ही निपटाए गए सहदायिकी मामलों को फिर से न उजागर किया जाए। • हालांकि, अप्रैल 2018 में न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एक और दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 2015 में अपनाई गई स्थिति को दोहराया। **बाद में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया:-** • कि एक हिंदू महिला का पैतृक संपत्ति का संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से है। • इस प्रकार, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि 2005 में जब कानून बनाया गया था तब उसके पिता जीवित थे या नहीं। • हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने हिंदू महिलाओं को उसी तरह सहदायिक या संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी होने का अधिकार दिया, जिस तरह एक पुरुष उत्तराधिकारी को मिलता है। • यह तब भी लागू होता है जब वे परिवर्तन से पहले पैदा हुए थे या संशोधन के समय पिता जीवित नहीं थे। • यदि संशोधन लागू होने से पहले महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसका हिस्सा उसके बच्चों को दिया जा सकता है। **अवश्य पढ़े:** संपत्ति का अधिकार
ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (GPLC)	**संदर्भ:** हाल ही में, भारत सरकार ने ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (GPLC) का गठन किया है। **ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) के बारे में:** • इसका गठन मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार (म.प्र.) की अध्यक्षता में किया गया है। • **उद्देश्य:** ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप प्रबंधन योजना के व्यवस्थित और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। **केन और बेतवा नदियों के बारे में:** • केन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। • नदी का उद्गम जबलपुर जिले में कैमूर रेंज के उत्तर-पश्चिम ढलान पर होता है। • केन नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ: सोनार, भालूमा, कोपरा, बेवास, उर्मिल, मिरहसन, कुटनी, कैल, गुर्ने, पाटन, सियामेरी, चंद्रावल, बन्ने और अन्य। इसमें सोनार, सबसे लंबी सहायक नदी है। 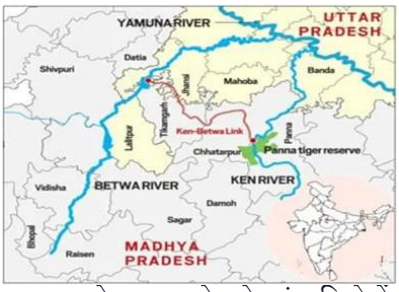 • केन उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा से मिलती है। • केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। • बेतवा नदी (Betwa River), जिसका प्राचीन नाम वेत्रवती (Vetravati) था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के ठीक उत्तर में विंध्य रेंज में निकलती है। • यह आम तौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के माध्यम से उत्तर पूर्व में बहती है और हमीरपुर के ठीक पूर्व में यमुना नदी में मिलती है। • जामनी और धसान नदियाँ मुख्य सहायक नदियाँ हैं। **पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में:** • यह भारत में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। • इसे 1994 में भारत का 22वां और मध्य प्रदेश में 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। • पन्ना को भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 2007 में उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया था।

	• यूनेस्को ने 2020 में मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल किया। • यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में बाघ, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर और सुस्त भालू (sloth bear) हैं।

अर्थव्यवस्था

वित्त विधेयक 2023

संदर्भ: हाल ही में वित्त विधेयक 2023 को संशोधनों के साथ मंजूरी दी गई।

वित्त विधेयक 2023 के बारे में:-

विधेयक की मुख्य बातें:-

- अनिवासियों को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी और तकनीकी सेवा शुल्क पर विदहोल्डिंग टैक्स की दर 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है, इससे प्रौद्योगिकी के आयात की लागत बढ़ सकती है।
- विकल्प अनुबंध अब 0.017% से पहले 0.021% एसटीटी आकर्षित करेंगे और वायदा 0.01% से ऊपर 0.0125% का प्रीमियम आकर्षित करेगा।
- वित्त विधेयक ने देश भर में GST अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें नई दिल्ली में एक प्रमुख पीठ और कई राज्य पीठें होंगी।
- ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे।
- शेयर बाजार में 1 अप्रैल, 2023 से वायदा और विकल्प अनुबंधों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में वृद्धि देखी गई है।
- यह वायदा और विकल्प (F&O) में अत्यधिक व्यापार को हतोत्साहित करने के लिए है।

धन विधेयक बनाम वित्त विधेयक:

- वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो देश के वित्त से संबंधित है, जैसा कि नाम से पता चलता है - यह करों, सरकारी खर्च, सरकारी उधार, राजस्व आदि के बारे में हो सकता है।
- केंद्रीय बजट को वित्त विधेयक के रूप में अधिनियमित किया जाता है क्योंकि यह इन मुद्दों से संबंधित है।
- वित्त विधेयक को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
    - वित्तीय विधेयक - I
    - वित्तीय विधेयक - II
- धन विधेयक, जैसा कि नाम से पता चलता है, वे विधेयक होते हैं जिनके प्रावधान अनुच्छेद 110(1) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी मुद्दे से पूरी तरह संबंधित होते हैं।
    - इसमें करों का अधिरोपण, निरसन और विनियमन, सरकारी उधारी पर नियंत्रण, समेकित या आकस्मिक निधियों की सुरक्षा और ऐसी किसी भी निधि से धन का अंतर्वाह या बहिर्वाह, भारत की संचित निधि से धन का आवंटन, और इसी तरह जैसे मुद्दे शामिल हैं।

वित्तीय विधेयकों के प्रकार:-

- **अनुच्छेद 117 (1)-वित्तीय बिल (I)**
    - एक वित्तीय विधेयक (I) एक ऐसा उपाय है जिसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित न केवल कोई या सभी विषय शामिल हैं, बल्कि अन्य सामान्य विधायी प्रावधान भी शामिल हैं।
    - एक वित्त विधेयक (I) दो तरीकों से धन विधेयक के बराबर है: (a) दोनों को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में और (b) दोनों को राष्ट्रपति की सलाह पर ही पेश किया जा सकता है।
    - अन्य सभी तरीकों से, एक वित्त विधेयक (I) एक सामान्य विधेयक के समान संसदीय प्रक्रिया का पालन करता है।
- **अनुच्छेद 117 (3)- वित्तीय विधेयक (II)**
    - इसमें वह बिल शामिल है जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय का प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 110 में उल्लिखित कोई भी मामला शामिल नहीं है।
    - यह साधारण विधेयक के रूप में शामिल होता है सिवाय इसके कि इसे किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति ने उस सदन में विधेयक पर विचार करने की सिफारिश नहीं की।

	○ इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरुरी नहीं है। **अवश्य पढ़े:** एंजेल टैक्स
सोशल स्टॉक एक्सचेंज	**संदर्भ:** हाल ही में, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) स्थापित करने हेतु बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से अंतिम मंज़ूरी मिल गई है। **सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में:** • सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) एक ऐसा मंच है जो निवेशकों को चुनिंदा सामाजिक उद्यमों या सामाजिक पहलों में निवेश करने की अनुमति देता है। • केंद्रीय बजट (2019-20) में बाजार नियामक के दायरे में स्टॉक एक्सचेंज बनाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है। • सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) भारत में एक नई अवधारणा है और इस तरह के पाठ्यक्रम का उद्देश्य निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्र के प्रदाताओं को अधिक से अधिक पूंजी प्रदान करना है। • **वैश्विक उदाहरण:** यह सिंगापुर और यूके जैसे देशों में मौजूद है। ये देश सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली फर्मों को जोखिम पूंजी जुटाने की अनुमति देते हैं। **मुख्य विशेषताएं:** • खुदरा निवेशक केवल मुख्य बोर्ड के तहत लाभकारी सामाजिक उद्यमों (Social Enterprises- SE) द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। • अन्य सभी मामलों में केवल संस्थागत निवेशक और गैर-संस्थागत निवेशक सामाजिक उद्यमों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। **पात्रता:** • कोई भी गैर-लाभकारी संगठन (Non-Profit Organisation- NPO) या लाभकारी सामाजिक उद्यम (FPSEs) जो सामाजिक प्रधानता का इरादा रखता है, को सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता दी जाएगी, जो इसे SSE में पंजीकृत या सूचीबद्ध होने के योग्य बनाएगा। • गैर-लाभकारी संगठन निजी नियोजन या सार्वजनिक निर्गम से ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) इंस्ट्रूमेंट जारी करके या म्यूचुअल फंड से दान के माध्यम से धन जुटा सकते हैं। **जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में:** • ये एक गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) द्वारा जारी किए जाते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) खंड के साथ पंजीकृत होंगे। • वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रयोजनों के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित किया है। • ये उपकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे। **जीरो-कूपन बॉन्ड के बारे में:** • यह एक ऋण सुरक्षा है जो ब्याज का भुगतान नहीं करती है बल्कि एक गहरी छूट पर व्यापार करती है, परिपक्वता पर लाभ प्रदान करती है, जब बांड को उसके पूर्ण मूल्य के लिए भुनाया जाता है। • जीरो कूपन बांड के खरीद मूल्य और सम मूल्य के बीच का अंतर निवेशक की वापसी को दर्शाता है।
विंडसर फ्रेमवर्क	**संदर्भ:** हाल ही में, ब्रिटेन सरकार ने ब्रेक्सिट के बाद के व्यापार नियमों पर यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है जो उत्तरी आयरलैंड को नियंत्रित करेगा। **विंडसर फ्रेमवर्क के बारे में:** • 'विंडसर फ्रेमवर्क' उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की जगह लेगा, जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह की समस्याएं

	पैदा करने वाले ब्रेक्सिट के सबसे कठिन परिणामों में से एक साबित हुआ था। **उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल:** • उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल एक व्यापारिक समझौता है जिस पर यूके और ईयू के बीच 2020 में बातचीत हुई थी। • प्रोटोकॉल के तहत, यू.के. और ई.यू. सहमत हुए कि ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच सामान का निरीक्षण किया जाएगा। • उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ के एकल बाजार में एक बन रहा, और ग्रेट ब्रिटेन से आने वाले सामानों का व्यापार और सीमा शुल्क निरीक्षण आयरिश सागर के साथ उसके बंदरगाहों पर हुआ। **उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल से संबंधित मुद्दे:** • प्रोटोकॉल के कारण उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक विभाजन हुआ है। • चेक ने ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच व्यापार को बोझिल बना दिया, खाद्य उत्पादों के साथ, विशेष रूप से, जब वे मंजूरी के लिए इंतजार कर रहे थे तो उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई। यूरोपीय संघ के नियमों के कारण यूके सरकार की कुछ कराधान और व्यय नीतियों को उत्तरी आयरलैंड में लागू नहीं किया जा सका। • दवाओं की बिक्री भी, विभिन्न ब्रिटिश और यूरोपीय संघ के नियमों के बीच फंसी हुई थी। **विंडसर फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं:** **ढांचे के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं:** • **ग्रीन लेन और रेड लेन सिस्टम की शुरुआत -** ग्रीन लेन प्रणाली उन सामानों के लिए होगी जो उत्तरी आयरलैंड में रहेंगे। लाल लेन प्रणाली उन सामानों के लिए होगी जो यूरोपीय संघ में जाएंगे। • **स्टॉर्मोन्ट ब्रेक -** यह उत्तरी आयरलैंड के सांसदों और लंदन को किसी भी यूरोपीय संघ के विनियमन को वीटो करने की अनुमति देता है। वीटो लागू होता है यदि वे मानते हैं कि विनियमन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। • **टू-लेन सिस्टम-** उत्तरी आयरलैंड के लिए आने वाली ब्रिटिश वस्तुएं बंदरगाहों पर ग्रीन लेन का उपयोग करेंगी और उन्हें न्यूनतम कागजी कार्रवाई और जांच के साथ गुजरने की अनुमति होगी। • सामान संदिग्ध पाए जाने पर अब नियमित जांच के स्थान पर फिजिकल जांच की जाएगी। • आयरलैंड या शेष यूरोपीय संघ के लिए नियत माल को परिचर सीमा शुल्क और अन्य चेक के साथ लाल लेन लेना होगा।
स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग (SWAMIH)	**स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग (SWAMIH) के बारे में:** • यह भारत का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव कोष है जिसे विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये बनाया गया है। • **प्रायोजक (Sponsors):** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBICAP Ventures Ltd. द्वारा किया जाता है। • यह एक सरकार समर्थित फंड है जिसे श्रेणी-II AIF (वैकल्पिक निवेश कोष) डेट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। • यह 2019 में सेबी के साथ पंजीकृत है। • **उद्देश्य:** SWAMIH Investment Fund का गठन रुकी हुई, RERA- पंजीकृत सस्ती और मध्यम आय श्रेणी की आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिए गठित, जो धन की कमी के कारण अटकी हुई हैं। **पात्रता मापदंड:** • रियल एस्टेट परियोजनाएँ, जो धन की कमी के कारण रुकी हुई हैं, को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA) के तहत अवश्य पंजीकृत होना चाहिये। • इनमें से प्रत्येक परियोजना लगभग पूरी होने के करीब होनी चाहिये। • इन्हें 'किफायती और मध्यम-आय परियोजना' श्रेणी के अंतर्गत भी आना चाहिये (कोई भी आवास परियोजना जिसमें आवास इकाइयाँ 200 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक में न हों)। • SWAMIH फंडिंग नेट वर्थ-पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स के साथ पहल के लिए भी उपलब्ध है। **अवश्य पढ़े:** वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के बारे में
वार्षिक सूचना विवरण (AIS)	**संदर्भ:** हाल ही में, आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)/करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) में उपलब्ध जानकारी को देखने के लिए 'एआईएस फॉर टैक्सपेयर' नाम से एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ

और करदाता सूचना सारांश (TIS)	किया है। **वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) के बारे में:-** • वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) करदाता की जानकारी का एक व्यापक दृश्य है जो फॉर्म 26AS में दिखाई देता है। • करदाता एआईएस में प्रदर्शित जानकारी पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। • AIS प्रत्येक जानकारी जैसे स्रोत पर कर (TDS), वित्तीय लेनदेन का विवरण (SFT) और अन्य जानकारी के लिए रिपोर्ट किए गए मूल्य (रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा घोषित मूल्य) और परिवर्तित मूल्य (करदाताओं की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद मूल्य) दोनों को दर्शाता है। **AIS और फॉर्म 26AS में अंतर:-** • AIS फॉर्म 26AS का विस्तार है। • फॉर्म 26AS वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अचल संपत्ति की खरीद, मूल्यवान निवेश और टीडीएस/टीसीएस लेनदेन का विवरण दिखाता है। • AIS में बचत खाता ब्याज, लाभांश, प्राप्त किराए, प्रतिभूति/संपत्ति की खरीद और बिक्री, विदेशी प्रेषण, जमा ब्याज, जीएसटी टर्नओवर आदि शामिल हैं। **करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) के बारे में:-** • करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) एक करदाता के लिए श्रेणीवार समग्र सूचना सारांश है। • यह संसाधित मूल्य दिखाता है जिसका अर्थ है पूर्व-निर्धारित नियमों और व्युत्पन्न मूल्य के आधार पर जानकारी के डुप्लीकेशन के बाद उत्पन्न मूल्य। • यह प्रत्येक सूचना श्रेणी, जैसे वेतन, ब्याज, लाभांश आदि के तहत करदाता की प्रतिक्रिया और संसाधित मूल्य पर विचार करने के बाद प्राप्त मूल्य है। • टीआईएस में प्राप्त जानकारी का उपयोग, यदि लागू हो, रिटर्न भरने के लिए किया जाएगा। • करदाता सूचना सारांश एआईएस में एक महत्वपूर्ण खंड है जिसमें करदाता का एक महत्वपूर्ण सूचना सारांश शामिल है। टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी में एक व्यक्ति को विभिन्न विवरण दिखाए जाएंगे, जैसे:- • सूचना श्रेणी • संसाधित मूल्य • व्युत्पन्न मूल्य **अवश्य पढ़े:** इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

मैकमोहन रेखा	**संदर्भ:** अमेरिकी सीनेट के एक द्विदलीय प्रस्ताव के अनुसार अमेरिका मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है। **मैकमोहन रेखा के बारे में:-** 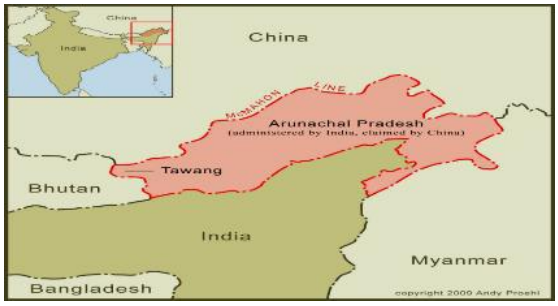 • मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में चीन और भारत के बीच वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करती है। • यह विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच, पश्चिम में भूटान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। • चीन ने ऐतिहासिक रूप से सीमा पर विवाद किया है और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (TAR) के हिस्से के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य का दावा करता है। **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला कन्वेंशन के दौरान बनाई गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच कन्वेंशन के रूप में वर्णित किया गया था। • मैकमोहन रेखा ने तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी म्यांमार के प्रभाव के संबंधित क्षेत्रों को सीमांकित किया। • सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने से पहले इस क्षेत्र की सीमा अपरिभाषित थी। **शिमला संधि :-** • शिमला संधि के अनुसार, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा है। • ब्रिटिश शासकों ने भारत की ओर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तथा तिब्बत के दक्षिणी भाग को भारत का अंग माना और जिसे तिब्बतियों ने भी स्वीकार कर लिया। • इसके कारण अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। **मैकमोहन रेखा की वर्तमान स्थिति:-** • भारत मैकमान रेखा को मानता है और इसे भारत और चीन के बीच 'वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)' के रूप में विचार करता है। • जबकि चीन मैकमान रेखा को मान्यता नहीं देता है। • भारत और चीन के बीच यह भूमि विवाद तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में है, जिसे चीन तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। • शिमला समझौते के अनुसार, यह भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। **अवश्य पढ़े:** गलवान के एक साल बाद भारत-चीन तवांग टकराव और भारत-चीन संबंध
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)	**संदर्भ:** ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के प्रमुख के रूप में "सर्वसम्मति से निर्वाचित" किया गया है। **न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के बारे में:-**

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) पांच ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है।
- इसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी।
- NDB का मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है।
- NDB अध्यक्ष संस्थापक सदस्यों में से एक के आधार पर एक घूर्णी आधार पर (a rotational basis) चुना जाता है।
- के. वी. कामथ, भारत से, एनडीबी के पहले निर्वाचित अध्यक्ष हैं।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की शुरुआती सब्सक्राइब्ड पूंजी और 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की शुरुआती अधिकृत पूंजी है।
- प्रारंभिक सब्सक्राइब्ड पूंजी को संस्थापक सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।
- हालांकि, ब्रिक्स देशों का हिस्सा कभी भी वोटिंग पावर के 55% से कम नहीं हो सकता है।
- NDB की क्रेडिट रेटिंग AA+ है।

भारत में NDB द्वारा वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाएं:-

- मुंबई मेट्रो रेल
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और कई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं।
- NDB ने अब तक लगभग 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- 2020 में, भारत ने ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एनडीबी के साथ 1 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते की घोषणा की।

अवश्य पढ़ें: ब्रिक्स

भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका (IBSA)

संदर्भ: एक हालिया रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका डिजिटल गवर्नेंस में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसके के बारे में:

- यह समान चुनौतियों का सामना कर रहे भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, तीन बड़े लोकतंत्रों और तीन अलग-अलग महाद्वीपों की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।
- जब जून 2003 में ब्रासीलिया में तीन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और ब्रासीलिया घोषणापत्र जारी किया गया, तब इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया और इसका नाम आईबीएसए डायलॉग फोरम रखा गया।
- अब तक पांच आईबीएसए नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं।
- 5वां आईबीएसए शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2011 में प्रिटोरिया में आयोजित किया गया था।
- भारत ने 2021 में "जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र" विषय के तहत 6वें IBSA शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
- आईबीएसए का मुख्यालय या स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है।
- IBSAMAR (IBSA समुद्री अभ्यास) संयुक्त नौसैनिक अभ्यास IBSA त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग का एक अभिन्न अंग है।
- गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए आईबीएसए सुविधा (आईबीएसए फंड) मार्च 2004 में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई थी।
- वर्ष 2016 में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से IBSA विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम की स्थापना

	की गई थी।
राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन (1961)	**संदर्भ:** हाल ही में, खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ के बाद विदेश मंत्रालय ने वियना कन्वेंशन का आह्वान किया। **राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन (1961) के बारे में:** • यह स्वतंत्र संप्रभु देशों के बीच सहमति के आधार पर राजनयिक संबंधों की स्थापना, रखरखाव और समाप्ति के लिए एक पूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। • शब्द "वियना कन्वेंशन" वियना में हस्ताक्षरित कई संधियों में से किसी को भी संदर्भित कर सकता है। • यह 24 अप्रैल, 1964 को लागू हुआ। • यह लगभग सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित है, लेकिन पलाऊ और दक्षिण सूडान इसके अपवाद हैं। • कन्वेंशन राजनयिक प्रतिरक्षा के लंबे समय से चली आ रही प्रथा को संहिताबद्ध करता है। • इसके तहत, राजनयिक मिशनों को विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं जो राजनयिकों को मेजबान देश द्वारा जबरदस्ती या उत्पीड़न के डर के बिना अपना कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। **अवश्य पढ़े:** खालिस्तान खतरा : लगातार सतर्कता की जरूरत
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति	**संदर्भ:** विवादास्पद स्वयंभू धर्मगुरू नित्यानंद के तथाकथित देश 'संयुक्त राज्य कैलासा (USK)' के प्रतिनिधियों ने हाल ही में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति (CESCR) द्वारा आयोजित एक चर्चा में भाग लिया। **आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति के बारे में:** • आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति (CESCR) 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है जो अपने राज्य दलों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। • इसकी स्थापना 1985 में ECOSOC संकल्प 1985/17 के तहत की गई थी। • आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को कैसे लागू किया जा रहा है, इस बारे में सभी राज्य पक्ष समिति को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। • राज्यों को शुरू में अनुबंध को स्वीकार करने के दो साल के भीतर और उसके बाद हर पांच साल में रिपोर्ट करनी चाहिए। • समिति प्रत्येक रिपोर्ट की जांच करती है और "निष्कर्ष अवलोकन" के रूप में राज्य पार्टी को अपनी चिंताओं और सिफारिशों को संबोधित करती है। • आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का वैकल्पिक प्रोटोकॉल, जो 2013 में लागू हुआ, समिति को प्रसंविदा के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होने का दावा करने वाले व्यक्तियों से संचार प्राप्त करने और उन पर विचार करने की क्षमता देता है। • समिति जिनेवा में मिलती है और आम तौर पर प्रति वर्ष दो सत्र आयोजित करती है।

इतिहास, कला और संस्कृति

अकबर

संदर्भ: हाल ही में, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह अकबर की 'व्यापकता और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता' की प्रशंसा करने के लिए चर्चा में थे।

अकबर के बारे में:

- **राजवंश:** तैमूरिद; मुगल
- **पूर्वज:** हुमायूँ
- **उत्तराधिकारी:** जहाँगीर
- **जीवनी:** अकबरनामा; आईन-ए-अकबरी
- **मकबरा:** सिकंदरा, आगरा
- अकबर नसीरुद्दीन हुमायूँ का पुत्र था और वर्ष 1556 में सम्राट बना।
- अकबर का जन्म उमरकोट (जो अब सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है) में हुआ था और मृत्यु आगरा, भारत में हुई थी।
- उसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल सत्ता का विस्तार किया और उसने 1556 से 1605 तक शासन किया।
- वह प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की और विवाह गठबंधन और कूटनीति की नीति अपनाई।
- **जीवनी :** अबुल फ़ज़ल

प्रशासन

- सम्राट स्वयं साम्राज्य का सर्वोच्च शासक था।
- उसने सर्वोच्च न्यायिक, विधायी और प्रशासनिक शक्ति को किसी अन्य के ऊपर बनाए रखा।
- उसने सेना को प्रभावी ढंग से संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की।
- उसने कई मंत्रियों द्वारा अकुशल शासन में सहायता प्रदान की गई थी -
- **वकील**-समस्त मामलों में राजा का मुख्य सलाहकार
- **दीवान**-वित्त प्रभारी मंत्री
- **सदर-ए-सदुर**– राजा का धार्मिक सलाहकार
- **मीर बख्शी**- वह जो सभी रिकॉर्ड रखता है
- **दारोगा-ए-डाक चौकी** - कानून के उचित प्रवर्तन की निगरानी करना
- **मुहतसिब**– डाक विभाग की देखरेख करना

राजस्व प्रणाली:

- मुगल काल के दौरान, भूमि को चार श्रेणियों अर्थात् पोलज, परती, चाचर और बंजर में विभाजित किया गया था।
- **पोलज** - सम्पूर्ण साम्राज्य में, पोलाज आदर्श और सर्वोत्तम प्रकार की भूमि थी। इस भूमि पर हमेशा खेती की जाती थी और इसे कभी परती नहीं रहने दिया जाता था ।
- **परौती** – परौती वह भूमि है जिसे अपनी खोई हुई उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए थोड़े समय के लिए खेती से बाहर रखा गया था।
- **चाचर** – चाचर भूमि को तीन या चार वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ी जाती थी।
- **बंजर** - बंजर सबसे खराब प्रकार की भूमि थी जिसे पांच साल या उससे अधिक समय से बंजर छोड़ दिया जाता था।
- बीघा भूमि माप की इकाई थी।
- भू-राजस्व का भुगतान या तो नकद या वस्तु के रूप में किया जाता था।
- भूमि कराधान की आईन-ए-दहसाला प्रणाली अकबर के शासनकाल में शुरू की गई थी।

न्यायिक सुधार:

- अकबर के शासन काल में पहली बार हिंदू प्रजा के मामले में हिंदू रीति-रिवाजों और कानूनों का उल्लेख किया गया

	था। • सम्राट कानून में सर्वोच्च अधिकारी था और मृत्युदंड देने की शक्ति पूरी तरह से उसके पास थी। • अकबर द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमुख सामाजिक सुधार 1563 में हिंदुओं के लिए तीर्थयात्रा कर के साथ-साथ जज़िया कर को समाप्त करना था। • अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया और हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। • 1582 में, अकबर ने दीन-ए-इलाही या ईश्वरीय आस्था नामक एक नए धर्म का प्रचार किया। **वास्तुकला और संस्कृति** • अकबर के शासन के दौरान बनाए गए वास्तुशिल्प चमत्कारों में आगरा का किला (1565-1574), फतेहपुर सीकरी (1569-1574) के साथ खूबसूरत जामी मस्जिद (Jami Masjid) और बुलंद दरवाजा, हुमायुं का मकबरा (1565-1572), अजमेर का किला (1563-1573), लाहौर का किला (1586-1618) और इलाहाबाद का किला (1583-1584) शामिल हैं। • अकबर के नवरत्न या नौ रत्न : अबुल फजल, फैजी, मियां तानसेन, बीरबल, राजा टोडर मल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान-ए-खाना, फकीर अजियाओ-दीन और मुल्ला दो पियाजा। **महत्वपूर्ण विजय:** 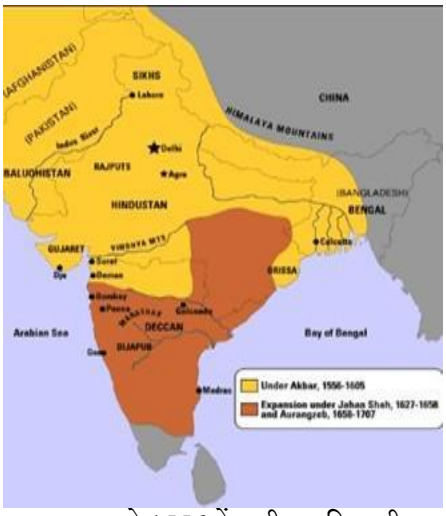 • उसने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया। उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध के साथ 1576 तक अधिकांश उत्तर और मध्य भारत और फिर राजपुताना पर अपना वर्चस्व मजबूत कर लिया। • अकबर गुजरात (1584), काबुल (1585), कश्मीर (1586-87), सिंध (1591), बंगाल (1592) और कंधार (1595) को मुगल क्षेत्र में मिला लिया। • जनरल मीर मौसम के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1595 तक क्वेटा और मकरान के आसपास बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। • 1600 तक, अकबर ने बुरहानपुर, असीरगढ़ किले और दक्कन में खानदेश पर कब्जा कर लिया था।
शिशुपालगढ़	**संदर्भ:** हाल ही में, प्राचीन शहर शिशुपालगढ़ भू-माफियाओं द्वारा किए गए नुकसान के कारण खबरों में था। **शिशुपालगढ़ के बारे में:** • यह ओडिशा में भुवनेश्वर शहर के पास स्थित है। • यह कभी कलिंग की राजधानी थी, जो ओडिशा का प्राचीन नाम है। • यह मौर्य काल से पहले का है। • यह 2,000 साल पुराना किलाबंद शहर है। • यह भारत में सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन दुर्गों में से एक माना जाता है। • किलेबंदी के अवशेषों की खोज 1948 में भारतीय पुरातत्वविद बी.बी.लाल ने की थी।
राजेंद्र प्रसाद	**राजेंद्र प्रसाद के बारे में: -** • राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। • महात्मा गांधी के समर्थक प्रसाद को 1931 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान

	ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बंदी बना लिया गया था। • 1920 के दशक की शुरुआत में, वह एक हिंदी साप्ताहिक देश और एक अंग्रेजी द्विसाप्ताहिक के संपादक बने। • **भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन:** ○ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। ○ वे 1911 में पार्टी में शामिल हुए और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए चुने गए। ○ वह महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने चंपारण, 1917, बिहार में इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी का समर्थन किया था। ○ बाद में उन्होंने 1920 में एक वकील के रूप में अपने आकर्षक करियर को छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद पड़े और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ○ उन्होंने बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। ○ उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 1921 में पटना में नेशनल कॉलेज शुरू किया और लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा। ○ उन्होंने 1935 के क्वेटा भूकंप के बाद अपनी अध्यक्षता में सिंध और पंजाब में क्वेटा केंद्रीय राहत समिति की स्थापना की। • उन्हें 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। • 1939 में सुभाष चंद्र बोस के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। • वे 1947 में तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने जब जे.बी. कृपलानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। **संविधान निर्माण में योगदान:-** • 1946 में, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भारत की अंतरिम सरकार में शामिल हुए। • कृषि उत्पादन को अधिकतम करने में दृढ़ विश्वास के रूप में, उन्होंने "अधिक अन्न उगाओ" का नारा दिया। • उन्हें बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था जहाँ उन्होंने 1946 से 1950 तक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। • 24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा के अंतिम सत्र में, प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। • उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। • डॉ. प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा की समितियों में शामिल हैं: ○ राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति ○ प्रक्रिया नियम समिति ○ वित्त और कर्मचारी समिति ○ संचालन समिति **साहित्यिक कार्य:** • चंपारण में सत्याग्रह (1922) • इंडिया डिवाइडेड (1946) • आत्मकथा (1946) बांकीपुर जेल में 3 साल की जेल की अवधि के दौरान लिखी गई उनकी आत्मकथा • महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें (1949) • बापू के कदमों में (1954) • स्वतंत्रता के बाद से (1960) **अवश्य पढ़े:** सी. राजगोपालाचारी
वैदिक विरासत पोर्टल	**संदर्भ:** हाल ही में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा बनाए गए वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया गया। **वैदिक हेरिटेज पोर्टल के बारे में:-** • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा निर्मित 'वैदिक विरासत पोर्टल' है। • यह 'वैदिक विरासत' के बारे में कोई भी जानकारी चाहने वाले आम उपयोगकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान है। • यह प्रकाशित पुस्तकों/पांडुलिपियों या उपकरणों के रूप में मौखिक परंपराओं, पाठ्य परंपराओं के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।

	• इसका उद्देश्य वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना है। • इससे आम लोगों को वेदों की सामान्य समझ हासिल करने में मदद मिलेगी। • चारों वेदों की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग वैदिक हेरिटेज पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी है। • पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के साथ चारों वेदों के 18 हजार से अधिक मंत्र होंगे। **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बारे में:-** • IGNCA संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। • इसकी स्थापना 1987 में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। • IGNCA के संस्थापक ट्रस्टी श्री राजीव गांधी, श्री आर. वेंकटरमन, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव, श्रीमती पुपुल जयकर, 1987 के वित्त मंत्री, श्री एच. वाई. शारदा प्रसाद और डॉ. कपिला वात्स्यायन। • यह कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार का केंद्र है। • आईजीएनसीए की छह कार्यात्मक इकाइयां हैं: - ○ कला निधि, बहुरूपी पुस्तकालय ○ कला कोश (Kala Kosa), मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं में मौलिक ग्रंथों के अध्ययन और प्रकाशन के लिए समर्पित है। • IGNCA का एक ट्रस्ट (न्यासी बोर्ड) है, जो केंद्र के काम के बारे में सामान्य निर्देश देने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। • न्यासियों में से बनाई गई कार्यकारी समिति, एक अध्यक्ष के अधीन कार्य करती है। **कला वैभव के बारे में: -** • यह एक आभासी संग्रहालय है। • यह 64 कलाओं पर आधारित है। • **उद्देश्य:** दुनिया को भारत की वास्तुकला, चित्रकला, नाटक, संगीत और इस प्रकार देश की गौरवशाली संस्कृति के समृद्ध इतिहास से परिचित कराना। **जरूर पढ़े:** मंडला आर्ट
शहीद दिवस	**संदर्भ:** शहीद दिवस (शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस) हाल ही में मनाया गया। **शहीद दिवस के बारे में:-** • यह 23 मार्च को मनाया जाता है। • इसे शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। • इसी दिन 1931 में ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी थी। • 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए उन्हें फांसी दी गई थी। • उन्होंने उसे ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया था। यह स्कॉट था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जो अंततः लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण बना था। **भगत सिंह के बारे में नेहरू:-** • नेहरू ने कहा था, मैं उनसे सहमत हूं या नहीं, मेरा दिल भगत सिंह जैसे व्यक्ति के साहस और आत्म-बलिदान के लिए प्रशंसा से भरा है। • भगत सिंह जैसा साहस अत्यंत दुर्लभ है। **सुखदेव के बारे में:-** • वह एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई थी। • वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य थे। • उन्होंने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रकोष्ठों का आयोजन किया। • उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में युवाओं को शिक्षित भी किया, जिससे उन्हें भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के साथ लाहौर में 'नौजवान भारत सभा' की शुरुआत की, जो विभिन्न गतिविधियों में शामिल एक संगठन था। ○ इन्होंने मुख्य रूप से युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए प्रेरित किया था।

	• सुखदेव ने खुद कई क्रांतिकारी गतिविधियों जैसे वर्ष 1929 में 'जेल की भूख हड़ताल' में सक्रिय भूमिका निभाई थी। • वह भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथी थे। • जिन्होंने मिलकर वर्ष 1928 में पुलिस उप-अधीक्षक जे. पी. सॉन्डर्स की हत्या की थी, इस प्रकार के षडयंत्र को बनाकर पुलिस उप-अधीक्षक को मारने का कारण वरिष्ठ नेता, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था। **शिवराम राजगुरु के बारे में: -** • वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (HSRA) में शामिल हो गए। • राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को खेड़ में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के घर हुआ था। • उन्होंने खेड़ में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में पुणे में नाना का बाड़ा में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में अध्ययन किया। • वह भगत सिंह और सुखदेव के साथी थे, जिन पर 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगाया गया था। • 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा राजगुरु को फांसी दी गई थी। **अवश्य पढ़े:** भारत की स्वतंत्रता संग्राम की महिला गुमनाम नायिकाओं
बखमुत की लड़ाई	**संदर्भ:** बखमुत हाल ही में रूसी-यूक्रेनी युद्ध के संबंध में खबरों में रहा है। **बखमुत की लड़ाई के बारे में:** • बख्मुत दोनेत्स्क के पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र का एक शहर है। • बख्मुत वर्तमान समय में खंडहर के रूप में है, यह रूसी हमलों का केंद्र बिंदु रहा है और यूक्रेनी सेना द्वारा हठधर्मी रक्षा का स्थल रहा है। • यह औद्योगिक शहर, नमक और जिप्सम खानों के लिए जाना जाता है। • यह 1950 में सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के आदेश पर स्थापित एक वाइनरी का स्थल भी है। • **पृष्ठभूमि:** बख्मुत 2014 से संघर्ष में फंस गया है, जब रूस समर्थित अलगाववादियों ने डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए डरा दिया था। अलगाववादियों ने उस वर्ष शहर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, इससे पहले कि यूक्रेनी सेना ने उन्हें बाहर निकाल दिया। • बख्मुत कई महत्वपूर्ण सड़कों के निकट है, जिनका रूसी अग्रिम के लिए कुछ सामरिक महत्व हो सकता है। • यह एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है, बहुत सारी आपूर्ति लाइनें यहाँ से गुजरती हैं और रूस इसे आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
वसंत विषुव और उत्सव	**संदर्भ:** हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चैत्र शुक्लादि, उगादी, गुड़ीपड़वा, चेटी चंद, नवरेह और साजिबु चीराओबा की पूर्व संध्या पर नागरिकों को बधाई दी। **चैत्र शुक्लादि के बारे में:-**

- यह विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत का प्रतीक है।
- विक्रम संवत उस दिन पर आधारित है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया, उज्जैन पर आक्रमण किया और एक नए युग का आह्वान किया।
- उनकी देखरेख में, खगोलविदों ने लूनिसोलर सिस्टम पर आधारित एक नया कैलेंडर विकसित किया, जो अभी भी उत्तरी भारत में उपयोग किया जाता है।
- यह चैत्र (हिंदू कैलेंडर का पहला महीना) में वर्द्धमान अर्धचंद्र चरण (जिसमें चंद्रमा का दृश्य पक्ष प्रत्येक रात बढ़ रहा होता है) का पहला दिन होता है।

उगादी के बारे में:-

- उगादी पर घरों में दरवाज़ों को आम के पत्तों से सजाया जाता है जिन्हें कन्नड़ में तोरणालु या तोरण कहा जाता है।
- ये त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाए जाते हैं।
- इसमें गुड़ (मीठा) और नीम (कड़वा) परोसा जाता है, जिसे दक्षिण में बेवु-बेला कहा जाता है।

गुड़ी पड़वा के बारे में:-

- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र में लोगों द्वारा त्योहार मनाए जाते हैं।
- इसमें गुड़ (मीठा) और नीम (कड़वा) परोसा जाता है, जिसे दक्षिण में बेवु-बेला कहा जाता है, यह जीवन में आने वाले सुख और दुख का प्रतीक होता है।
- गुड़ी महाराष्ट्र में घरों में तैयार की जाने वाली एक गुड़िया है।
- यह दिन भारत में वसंत ऋतु या वसंत ऋतु का भी प्रतीक है।

चेटीचंड के बारे में:-

- चेटीचंड सिंधी समुदाय का नववर्ष का त्योहार है।
- सिंधी में चैत्र मास को 'चेत' कहते हैं।
- यह त्योहार सिंधी समुदाय के संरक्षक संत झूलेलाल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- चेटी चंद को अत्यधिक लाभकारी और नए प्रयास शुरू करने का वादा करने वाला माना जाता है।
- सिंधी विभिन्न अनुष्ठान करते हैं और चालीस दिनों तक प्रार्थना करते हैं। इस प्रसाद को चालिहो के नाम से जाना जाता है।
- इसके बाद वे चेटी चंद का भव्य उत्सव मनाते हैं।
- उनमें से कई इस दिन उपवास भी रखते हैं और फलों के साथ औपचारिक प्रसाद पूरा करने के बाद इसे तोड़ते हैं।

नवरेह के बारे में:-

- यह चंद्र नव वर्ष है जो कश्मीर में मनाया जाता है।
- यह संस्कृत शब्द 'नव-वर्षा' है जिससे 'नवरेह' शब्द बना है।
- यह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पड़ता है।
- इस दिन कश्मीरी पंडित एक कटोरी चावल देखते हैं जिसे धन और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है।

साजिबू चेराओबा के बारे में: -

	• यह मैतेई (मणिपुर में एक जातीय समूह) का महान अनुष्ठान त्योहार है। • यह मणिपुर चंद्र माह शाजिबु के पहले दिन मनाया जाता है, जो हर साल अप्रैल के महीने में पड़ता है। • त्योहार का उद्देश्य परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और भाईचारे के बंधन को मजबूत करना है। • लोग पारिवारिक भोज का आयोजन करते हैं जिसमें घर के प्रवेश द्वार पर केले के पत्ते पर स्थानीय देवताओं को पारंपरिक व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। • भरपूर भोजन के बाद, लोग प्रार्थना करने के लिए दोपहर में चिंगमेइरोंग में चीराओ चिंग पहाड़ी पर चढ़ते हैं या पास की एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हैं। विश्वास यह है कि यह उन्हें अपने सांसारिक जीवन में अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। **अवश्य पढ़े:** गोवा का साओ जोआओ फेस्टिवल
खंडगिरि और उदयगिरि गुफाएं	**संदर्भ:** हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India -ASI) ने खंडागिरी और उदयगिरि गुफाओं के बीच की सड़क को सील कर दिया है। **खंडगिरि उदयगिरि गुफाओं के बारे में:-** • इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में हुआ था। • गुफा परिसर में मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों तरह की गुफाएं हैं। • उदयगिरि में 18 और खंडगिरि में 15 गुफाएं हैं। • उन्हें पहले कटक गुफाओं या कटक गुफाओं के रूप में जाना जाता था। • जुड़वां पहाड़ियां उदयगिरि और खंडगिरि (अक्षांश 20.16 उत्तर; देशांतर 85.47 पूर्व) भुवनेश्वर शहर के आसपास स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पहाड़ियों के करीब से होकर गुजरता है। • ये दो पहाड़ियाँ पूर्वी भारत में जैन रॉक-कट आर्किटेक्चर के शुरुआती समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करती हैं। • ये पहाड़ियाँ खुदी हुई चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं से युक्त हैं, जो अनिवार्य रूप से जैन वैरागी लोगों के निवास स्थान के लिए हैं। • शिलालेखीय साक्ष्य के आधार पर, इन गुफाओं की खुदाई सबसे पहले चेदि वंश के राजा खारवेल और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा की गई थी, जो ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान धर्मनिष्ठ जैन थे। • खंडगिरि पहाड़ी की चोटी पर जैन मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी के अंत में किया गया था और पहाड़ी के गौरवशाली अतीत की निरंतरता और परंपरा को संरक्षित करते हुए वर्तमान में भी पूजा की जा रही है। • रानीगुम्फा और स्वर्गपुरी-मंचपुरी गुफाएं दो मंजिला हैं और आकार में सबसे बड़ी हैं। • उदयगिरि में रानी और हाथी गुम्फा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उड़ीसा-ओडिसी में नृत्य की संस्कृति का वर्णन है। • रानीगुम्फा या रानी का महल पूरे परिसर का वास्तुशिल्प चमत्कार है। • वास्तुकला की दृष्टि से हाथी गुम्फा नगण्य है लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व इसके माथे पर उत्कीर्ण राजा खारवेल के प्रसिद्ध शिलालेख में निहित है। • 17-पंक्ति का शिलालेख राजा खारवेल के अभियानों को दर्ज करता है जिसमें मगध की जीत और नंद राजा द्वारा बहुत पहले ले ली गई जैन पंथ की छवि की पुनर्प्राप्ति शामिल है। • बाराभुजी गुफा में ससनदेवियों के साथ 24 तीर्थंकरों का चित्रण, खंडगिरि के अनंत गुम्फा में सूर्य गजलक्ष्मी और जैन प्रतीकों का चित्रण प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय कला की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। • इसके अलावा, 1958 में एक अप्साइडल संरचना के अवशेषों का पता लगाया गया था, उदयगिरि पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली सबसे पुरानी संरचना है। **अवश्य पढ़े:** प्राचीन शैल चित्र
महर्षि दयानंद सरस्वती	**संदर्भ:** प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि यह शुभ अवसर दो साल तक मनाया जाएगा और कहा कि सरकार ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाने का फैसला किया है। **महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में:-** • महर्षि दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक और सामाजिक नेता थे। • वह आर्य समाज के संस्थापक थे। • **आर्य समाज:** वैदिक धर्म का सुधार आंदोलन था।

	• वह 1876 में "भारतीयों के लिए भारत" के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे।
	• दर्शन: मूर्तिपूजा और कर्मकांडों की पूजा की निंदा करते हुए, उन्होंने वैदिक विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम किया।
	• वह वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास करता था।
	• उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की वकालत की।
	• **दयानंद का योगदान:** महिलाओं के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा देना, जैसे कि शिक्षा का अधिकार और भारतीय शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार।
	• उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और तीन पुस्तकें लिखीं:
	  ○ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में,
	  ○ वेद भाष्य भूमिका: उनके वैदिक भाष्य का परिचय, और
	  ○ वेद भाष्य: यजुर्वेद और ऋग्वेद के प्रमुख भाग पर संस्कृत में एक वैदिक टिप्पणी।
	• उन्होंने सभी जातियों की लड़कियों और लड़कों की शिक्षा के लिए वैदिक विद्यालयों की भी स्थापना की।
	• महर्षि दयानंद ने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए की थी, जो या तो स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से इस्लाम या ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे।
	आर्य समाज के दस सिद्धांत इस प्रकार हैं:
	• ईश्वर सभी सच्चे ज्ञान का कुशल कारण है।
	• ईश्वर विद्यमान, बुद्धिमान और आनंदमय है। वही पूजा के योग्य है।
	• वेद सभी सच्चे ज्ञान के शास्त्र हैं। उन्हें पढ़ना, पढ़ाना और सुनाना और उन्हें पढ़ा हुआ सुनना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है।
	• सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।
	• सभी कार्य धर्म के अनुसार किए जाने चाहिए, अर्थात सही और गलत क्या है, इस पर विचार करने के बाद।
	• विश्व का कल्याण करना ही आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य है अर्थात् सबका भौतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण करना।
	• सभी के प्रति हमारा आचरण प्रेम, धार्मिकता और न्याय द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
	• हमें अविद्या (अज्ञानता) को दूर करना चाहिए और विद्या (ज्ञान) को बढ़ावा देना चाहिए।
	• सभी की भलाई को बढ़ावा देने में अपनी भलाई को देखना चाहिए।
	• सभी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए गणना किए गए समाज के नियमों का पालन करने के लिए स्वयं को प्रतिबंधित मानना चाहिए, जबकि व्यक्तिगत कल्याण के नियमों का पालन करने में सभी को स्वतंत्र होना चाहिए।
	अवश्य पढ़े: स्वामी विवेकानंद

झमरकोटरा और जावर	**संदर्भ:** हाल ही में, राजस्थान में झमरकोटरा और जावर के भारत के भू विरासत स्थलों की बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता पर आवाज उठाई गई थी। **झमरकोटरा के बारे में:** • जियोहेरिटेज ऐसी साइटें हैं जो पृथ्वी के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं जिनका उपयोग अनुसंधान, संदर्भ और जागरूकता के लिए किया जा सकता है। • राजस्थान के झमरकोटरा में एक जीवाश्म पार्क में 1.8 अरब वर्ष पुराने स्ट्रोमैटोलाइट्स हैं। • ये कई प्रकार की बनावट और आकार प्रदर्शित करते हैं। • **स्ट्रोमेटोलाइट:** यह सूक्ष्मजीवों द्वारा निर्मित एक परतदार तलछटी चट्टान है। • स्ट्रोमेटोलाइट जीवाश्म सायनोबैक्टीरिया के रिकॉर्ड को संरक्षित करते हैं, जिसे आमतौर पर नीले-हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है - जो कि ग्रह पर शुरुआती जीवन है। • इन जीवों ने प्रकाश संश्लेषण और अपना भोजन बनाने की क्षमता विकसित की। ऐसा करके, उन्होंने बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को आदिम पृथ्वी के वातावरण में पंप किया, जिससे अधिकांश अन्य जीवन विकसित और फलने-फूलने की अनुमति मिली। • झमरकोटरा के जीवाश्म फॉस्फेट से भरपूर हैं क्योंकि फंसे तलछट मुख्य रूप से फॉस्फेट खनिज थे। **जावर के बारे में:-**

	• यह उदयपुर के दक्षिण में स्थित है। • यह उदयपुर में स्थित दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जिंक प्रगालक स्थल है। • इसमें प्राचीन काल से जिंक खनन और प्रगलन के कई निशान हैं। • इनमें ओपन स्टॉप, ट्रेंच, चैंबर्स, गैलरी, शाफ्ट और ओपन-पिट माइन शामिल हैं। • बैंगन के आकार वाले मिटटी के बर्तन, लंबी गर्दन वाले मिट्टी के बर्तनों की खोज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ इनकी उपस्थिति से पता चलता है कि ज़ावर के पास एक अद्वितीय जिंक-प्रगलन वाली विरासत थी। • ज़ावर का ज़िंक गलाने का काम 2,000 साल पुराना है। **अवश्य पढ़े:** तमिलनाडु में पहला जैव विविधता विरासत स्थल
संगीता कलानिधि पुरस्कार	**संदर्भ:** हाल ही में प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। **संगीता कलानिधि पुरस्कार के बारे में :-** • यह 1942 में अस्तित्व में आया। • इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। • इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक बिरुदु पत्र (प्रशस्ति पत्र) शामिल है। • 1942 में, यह निर्णय लिया गया कि संगीतकार को संगीत कलानिधि की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। • लालगुड़ी श्री जीजेआर कृष्णन और श्रीमती विजयलक्ष्मी ने 2022 का पुरस्कार प्राप्त किया। • कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को 2023 के पुरस्कार के लिए चुना गया है। **संगीता कला आचार्य के बारे में: -** • यह पुरस्कार 1993 में स्थापित किया गया था। • यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने संगीत समारोह के मंच पर कई शिष्यों को लाकर योगदान दिया है। • यह दो वरिष्ठ संगीतकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने कई शिष्यों को संगीत कार्यक्रम के मंच पर लाकर योगदान दिया है। **नाट्य कला आचार्य के बारे में: -** • 2012 में डॉ एंगिकोलाई कृष्णन और डॉ लीला कृष्णन द्वारा स्थापित, यह प्रत्येक वर्ष जनवरी में वार्षिक नृत्य उत्सव के उद्घाटन के अवसर पर एक वरिष्ठ नर्तक को प्रदान किया जाता है। **अवश्य पढ़े:** कराकट्टम नृत्य
श्री श्री हरिचंद ठाकुर	**संदर्भ:** प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्री श्री हरिचंद ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। **श्री श्री हरिचंद ठाकुर के बारे में:-** • श्री श्री हरिचंद ठाकुर ने बंगाल प्रेसीडेंसी के अछूत लोगों के बीच काम किया। • ठाकुर का परिवार वैष्णव हिंदू था, और उन्होंने वैष्णव हिंदू धर्म के एक संप्रदाय की स्थापना की जिसे मटुआ के नाम से जाना जाता है। • नामशूद्र समुदाय (Namasudra) के सदस्यों ने इस संप्रदाय को अपनाया। • तत्कालीन बंगाल में इस समुदाय के सदस्यों को 'चांडाल' कहकर अपमानजनक तरीके से बुलाया जाता था और उन्हें अछूत माना जाता था। • **दर्शनशास्त्र:** संप्रदाय जातिगत उत्पीड़न का विरोधी था और इसने समुदाय को शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए प्रेरित किया। • इतिहासकार शेखर बंद्योपाध्याय के अनुसार, ठाकुर ने "आत्म दर्शन या आत्म-रहस्योद्घाटन का अनुभव किया, जिसके द्वारा उन्होंने महसूस किया कि वह स्वयं भगवान के अवतार थे, जो इस दुनिया में दलितों को मुक्ति दिलाने के लिए पैदा हुए थे"। **अवश्य पढ़े:** भक्ति आंदोलन
प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (AMASR)	**प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (AMASR) (संशोधन) विधेयक के बारे में:** • यह प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों के संरक्षण के लिए, पुरातात्विक खुदाई के नियमन के लिए, और मूर्तियों, नक्काशियों और इसी तरह की अन्य वस्तुओं के संरक्षण के लिए एक अधिनियम है।

(संशोधन) विधेयक	• यह पूरे भारत में फैला हुआ है। • संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर के दायरे को निषिद्ध क्षेत्र और अगले 300 मीटर के दायरे को विनियमित क्षेत्र घोषित करने के लिए 2010 में AMASR अधिनियम, 1958 में संशोधन किया गया था। **प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017 के बारे में:** • इसे 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम में संशोधन करने के लिए पेश किया गया था। अधिनियम एक 'निषिद्ध क्षेत्र' को एक संरक्षित स्मारक या क्षेत्र के आसपास 100 मीटर के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है। • केंद्र सरकार प्रतिबंधित क्षेत्र को 100 मीटर से आगे बढ़ा सकती है। • अधिनियम कुछ शर्तों को छोड़कर, ऐसे निषिद्ध क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति नहीं देता है। • अधिनियम 'निषिद्ध क्षेत्रों' में निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाता है, भले ही यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हो। • विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए 'निषिद्ध क्षेत्रों' में सार्वजनिक कार्यों के निर्माण की अनुमति देने के लिए इस प्रावधान में संशोधन करना था। • बिल 'सार्वजनिक कार्यों' की परिभाषा प्रस्तुत करता है। • सार्वजनिक कार्यों के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया: बिल के अनुसार, संबंधित केंद्रीय सरकारी विभाग, जो निषिद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण करना चाहता है, को सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करना चाहिए। • यदि कोई निर्माण परियोजना 'सार्वजनिक निर्माण' के योग्य है या नहीं, इससे संबंधित कोई प्रश्न है, तो इसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को भेजा जाता है। यह प्राधिकरण केंद्र सरकार को लिखित कारणों से अपनी सिफारिशें करता है। • केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होता है । • यदि केंद्र सरकार का निर्णय प्राधिकरण के निर्णय से भिन्न होता है, तो उसे इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए। • यह निर्णय प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

भूगोल

नील नदी	**संदर्भ:** जर्नल अर्थ्स फ्यूचर में प्रकाशित हालिया दस्तावेज़ के अनुसार, अनुपचारित कृषि जल निकासी और अपशिष्ट जल से बड़े पैमाने पर प्रदूषण नील नदी की डेल्टा प्रणाली पर अस्तित्वगत दबाव बना रहा है। **नील नदी के बारे में:-** • नदी नील नदी अफ्रीका में है। • यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी में निकलती है, और उत्तरपूर्वी अफ्रीका के माध्यम से उत्तर की ओर बहती है, अंततः मिस्र से बहती है और अंत में भूमध्य सागर में बहती है। • **स्रोत:** नील नदी का स्रोत कभी-कभी विक्टोरिया झील माना जाता है, लेकिन झील में कागेरा नदी की तरह काफी आकार की फीडर नदियां हैं। • नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक माना जाता है। • नील बेसिन में तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो (किंशासा) और केन्या के हिस्से शामिल हैं। • नील नदी एक धनुषाकार डेल्टा बनाती है जो भूमध्य सागर में गिरती है। • त्रिकोणीय या पंखे के आकार वाले डेल्टा को धनुषाकार (चाप-जैसा) डेल्टा कहा जाता है। • नील तीन प्रमुख धाराओं द्वारा निर्मित है: ब्लू नील, अटबारा और व्हाइट नील। **अवश्य पढ़े:** वेस्ट नाइल वायरस और लेक चाड
कोठारी नदी	**संदर्भ:** हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) को कोठारी नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए कार्रवाई करने में विफलता के लिए भीलवाड़ा नगरपालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया। **कोठारी नदी के बारे में:-** 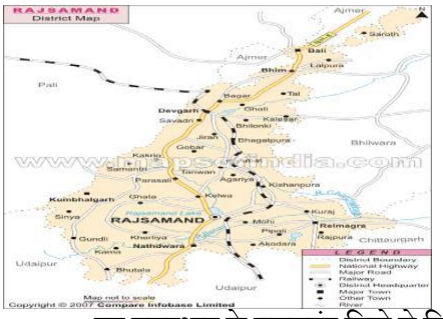 • यह राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती है। • **स्रोत:** देवगढ़ (राजसमंद, राजस्थान) के पास अरावली की पहाड़ियाँ। • यह बनास नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियों में से एक है। • यह नदी कोटरी तहसील के नंदराय में बनास नदी में मिलती है। • कोठारी नदी पर बना मेजा बांध भीलवाड़ा जिले को पीने का पानी उपलब्ध कराता है।

	• **नदी प्रदूषण:-** ○ कोठारी नदी के पास के गाँवों में अधिकांश खुले कुएँ, जो औद्योगिक बेल्ट के साथ बहती हैं, में क्रोमियम, सीसा, लोहा, जस्ता और सोडियम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक, जहरीला पानी था। **अवश्य पढ़े:** नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और पर्यावरण रिपोर्ट 2022 पर सुप्रीम कोर्ट
प्लास्टिक की चट्टानें	**संदर्भ:** हाल ही में, ब्राजील के सुदूरवर्ती द्वीप ट्रिनेडेड पर प्लास्टिक की चट्टानें पाई गई हैं। **प्लास्टिक चट्टानों के बारे में:-** • ये तलछटी कणिकाओं और प्लास्टिक द्वारा एक साथ रखे गए अन्य मलबे से बने होते हैं। • इन चट्टानों को "प्लास्टिग्लोमेरेट्स" कहा जाता है क्योंकि ये तलछटी कणिकाओं और प्लास्टिक द्वारा एक साथ रखे गए अन्य मलबे के मिश्रण से बने होते हैं। • इन्हें एंथ्रोपोसीन का एक संभावित मार्कर माना जाता है। • **एन्थ्रोपोसीन:** कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और भूवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित चतुर्धातुक काल का एक अनौपचारिक युग। • प्लास्टिग्लोमरेट (Plastiglomerate) संभावित रूप से भूगर्भिक रिकॉर्ड पर मानव प्रदूषण का एक मार्कर क्षितिज बना सकता है। • ये भविष्य के जीवाश्म के रूप में जीवित रह सकते हैं। • लावा प्रवाह या जंगल की आग से प्रभावित प्लास्टिक-प्रदूषित क्षेत्रों में भी प्लास्टिग्लोमरेट का गठन किया जा सकता है। • ये सतह के साथ-साथ रेत के नीचे भी पाए गए हैं।
डेलाइट सेविंग टाइम (डीएसटी)	**संदर्भ:** हाल ही में, लेबनान ने अपनी सरकार द्वारा अंतिम समय में डेलाइट सेविंग टाइम की शुरुआत में एक महीने की देरी के बाद बड़े पैमाने पर भ्रम देखा। **डेलाइट सेविंग टाइम (डीएसटी) के बारे में:-** • गर्मी के दौरान घड़ियों को मानक समय से एक घंटे आगे और शरद ऋतु में पुनः सेट करने की प्रक्रिया है। • इस प्रथा का सुझाव सबसे पहले 1784 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। • भारत डेलाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं करता है क्योंकि भूमध्य रेखा के पास स्थित देशों में मौसम के बीच दिन के घंटों में बदलाव का ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। ○ हालांकि, पूर्वोत्तर के लोगों ने भारत की अनुदैर्ध्य चौड़ाई के कारण दिन के प्राकृतिक उजाले के नुकसान की भरपाई के लिए एक अलग समय क्षेत्र की मांग की है। • ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों ने कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता को कम करके ईंधन के संरक्षण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान डेलाइट सेविंग टाइम को अपनाया। • पोर्ट आर्थर (ओंटेरियो) में कनाडाई लोगों के एक समूह ने सबसे पहले 1908 में अपनी घड़ियों को एक घंटा आगे सेट करने की प्रथा को अपनाया था। • सबसे बड़े नुकसानों में से एक है बॉडी क्लॉक या सर्कैडियन रिदम (circadian rhythm) का विघटन जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं।
डिप्लिटिड यूरेनियम	**संदर्भ:** हाल ही में, यूके यूक्रेन को घटिया यूरेनियम युक्त हथियार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। **डिप्लिटिड यूरेनियम के बारे में:-** • यह समृद्ध यूरेनियम बनाने की प्रक्रिया का उप-उत्पाद है, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों और परमाणु हथियारों में किया जाता है। • समृद्ध यूरेनियम की तुलना में, डिप्लिटिड यूरेनियम बहुत कम रेडियोधर्मी है। • यह परमाणु प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में अक्षम है। • यह लेड से अधिक सघन होता है। • इस प्रकार, यह हथियारों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह आसानी से आर्मर प्लेटिंग में प्रवेश कर सकता है। • अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और पाकिस्तान यूरेनियम हथियार बनाते हैं।

	• यूरेनियम हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के अनुसार, इन्हें परमाणु हथियारों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। • यूरेनियम हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (ICBUW):- ○ यह संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर दुनिया भर में घटे हुए यूरेनियम गोला-बारूद के खिलाफ अभियान का समन्वय करता है। ○ विशेष रूप से, अभियान IPPNW (परमाणु युद्ध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक) और IALANA (परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के खिलाफ लॉयर) द्वारा समर्थित है। ○ इसकी स्थापना 2003 में बेर्लार, बेल्जियम में की गई थी। ○ इसे 2005 से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। ○ यह गठबंधन यूरेनियम हथियारों के मुद्दे के सभी पहलुओं से निपटने के लिए ढांचा प्रदान करता है और इस मुद्दे पर शांति, मानवाधिकारों और पर्यावरण आंदोलनों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। ○ गठबंधन का उद्देश्य DU के हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, यूरेनियम हथियारों के उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को खत्म करना, पीड़ितों की मदद करना और भविष्य में ऐसे हथियारों और कार्यों से होने वाले नुकसान को रोकना है। ○ गठबंधन गैर-सरकारी संगठनों, समूहों और लोगों के लिए खुला है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करना चाहते हैं। • इन्हें खाने या सूंघने से गुर्दे की कार्यक्षमता कम हो जाती है और कैंसर की एक श्रृंखला विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। • नष्ट हुए यूरेनियम युद्ध सामग्री जो अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं, भूजल और मिट्टी को जहरीला बना सकते हैं। **अवश्य पढ़े:** ईरान परमाणु कार्यक्रम
पश्चिमी विक्षोभ	**संदर्भ:** हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो रहा है। **पश्चिमी विक्षोभ के बारे में:-** • पश्चिमी विक्षोभ कम दबाव वाले क्षेत्र हैं जो पछुआ हवाओं में सन्निहित हैं। • **पछुआ हवाएँ:** ये हवाएँ जो 30°-60° अक्षांश के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। • नाम में विक्षोभ "परेशान" या हवा के कम दबाव वाले क्षेत्र को दर्शाता है। • पश्चिमी विक्षोभ प्राकृतिक रूप से बनते हैं। • इन्हें एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में लेबल किया गया है। • अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय: इसका अर्थ है उष्णकटिबंधीय के बाहर। • जैसा कि डब्ल्यूडी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर उत्पन्न होता है, उनके लिए "एक्स्ट्रा-ट्रॉपिकल" शब्द का उपयोग किया जाता है। • ये भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और नमी से भरे भारत में प्रवेश करने के लिए ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ओर जाते हैं। • भारत में, हिमालय प्रभावी ढंग रोकता है, जिससे पश्चिमी हिमालय में बारिश और हिमपात होता है। • जनवरी-फरवरी के दौरान ये आमतौर पर हल्की बारिश लाते हैं, जो रबी की फसल के लिए फायदेमंद है।

	• चूंकि गेहूँ रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है और इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य आहार है, सर्दियों की बौछारें भारत की खाद्य सुरक्षा को पूरा करने में योगदान करती हैं। • ये आसमान में बादल छाए रहने, रात के तापमान में बढ़ोतरी और असामान्य बारिश से जुड़े हैं। • पश्चिमी विक्षोभ के कारण अत्यधिक वर्षा भारत-गंगा के मैदानी इलाकों में फसल क्षति, भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन का कारण बन सकती है। • ये कभी-कभी शीत लहर की स्थिति और घना कोहरा लाते हैं। **अवश्य पढ़े:** पूर्वोत्तर (सर्दियों) मानसून
कोल बेड मीथेन	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री ने लोकसभा में कोल बेड मीथेन के निष्कर्षण पर चर्चा की। **कोल बेड मीथेन के बारे में:-** 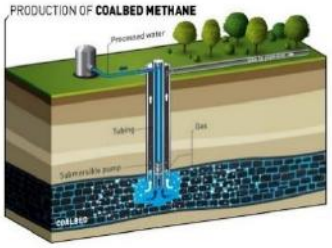 • यह प्राकृतिक गैस का अपरंपरागत रूप है। • यह कोयले के निक्षेपों या कोयले की परतों में पाया जाता है। • यह कोयलाकरण (coalification) की प्रक्रिया के दौरान, पौधों की सामग्री के कोयले में परिवर्तन के दौरान बनता है। **निष्कर्षण:-** • कोल बेड मीथेन को अपरंपरागत गैस जलाशयों से निकाला जाता है। • अपरंपरागत गैस जलाशय वे होते हैं जहां गैस सीधे उस चट्टान से निकाली जाती है जो गैस का स्रोत होता है। • उदाहरण: शेल गैस के मामले में शेल और सीबीएम के मामले में कोयला। **प्रक्रिया:-** • मीथेन गैस कोयले की परतों के नीचे पाई जाती है। इसे ड्रिल किया जाता है तथा नीचे उपस्थित भूमिगत जल को हटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। • दबाव में परिणामी गिरावट के कारण कोयले से मीथेन निकलती है। **कोल बेड मीथेन के उपयोग:-** • इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। • इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) ऑटो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। • इसका उपयोग उर्वरकों के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है। • इसका उपयोग सीमेंट उत्पादन, रोलिंग मिल, इस्पात संयंत्र और मेथनॉल उत्पादन जैसे औद्योगिक उपयोगों के लिए किया जा सकता है। **भारत में भंडार: -** 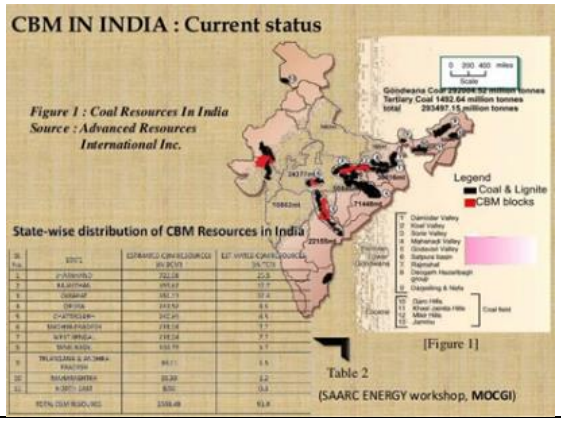

	• देश का कोयला और सीबीएम भंडार भारत के लगभग 12 राज्यों में पाया जाता है। • पूर्वी भारत के गोंडवाना तलछट में भारी मात्रा में जमाव है। • दामोदर कोयल घाटी और सोन घाटी सीबीएम विकास के संभावित क्षेत्र हैं। • रानीगंज कोलफील्ड्स, झरिया कोलफील्ड्स में परबतपुर ब्लॉक और ईस्ट तथा वेस्ट बोकारो कोलफील्ड्स में मौजूद सीबीएम प्रोजेक्ट। • सोन घाटी में सोनहत उत्तर और सोहागपुर पूर्व और पश्चिम ब्लॉक शामिल हैं। **अवश्य पढ़े:** मीथेन उत्सर्जन
येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान	**संदर्भ:** हाल ही में, येलोस्टोन ने अपनी 151वीं वर्षगांठ मनाई। **येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:** • यह पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यान है। **मुख्य विशेषताएं :** • येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और इसे व्यापक रूप से दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है। • यह पार्क अपने वन्य जीवन और इसकी कई भू-तापीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से ओल्ड फेथफुल गीज़र, जो इसके सबसे लोकप्रिय में से एक है। • सबलपाइन वन सबसे प्रचुर मात्रा में है । • यह दक्षिण-मध्य रॉकीज़ वनों के ईकोरियोजन का हिस्सा है। • स्नेक-कोलंबिया बेसिन, ग्रीन-कोलोराडो बेसिन, और मिसौरी नदी बेसिन की नदियाँ कॉन्टिनेंटल डिवाइड पर बर्फ के रूप में शुरू होती हैं क्योंकि यह येलोस्टोन की चोटियों और पठारों में फैली हुई है। • येलोस्टोन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी ऊँची झीलों में से एक है और येलोस्टोन काल्डेरा पर केंद्रित है, जो महाद्वीप पर सबसे बड़ा सुपरवॉलकेनिक है। **काल्डेरा** 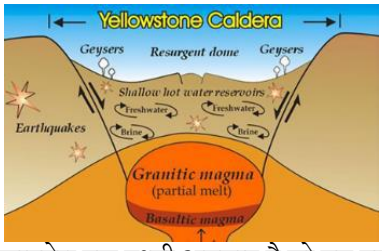 • काल्डेरा एक पृथ्वी अवसाद है जो तब उत्पन्न होता है जब एक ज्वालामुखी फटता है और फटने के बाद फ़ैल जाता है। • यह आमतौर पर मैग्मा (पिघली हुई चट्टान) के एक अंतर्निहित निकाय द्वारा प्रस्तुत समर्थन को हटाने के कारण ज्वालामुखीय शंकु या शंकु के समूह के शीर्ष के ढहने से बनता है। • काल्डेरा क्रेटर के समान हैं, लेकिन इन भूगर्भीय विशेषताओं की उत्पत्ति, आकार और परिमाण भिन्न होता है।
लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया	**संदर्भ:** हाल ही में ISRO ने भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया। **भूस्खलन के बारे में:-** • भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद् संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। • यह एक प्रकार का वृहद् पैमाने पर अपक्षय है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में मिट्टी और चट्टान समूह खिसककर ढाल से नीचे गिरते हैं। • भू-स्खलन तीन प्रमुख कारकों के कारण होता है: भू-विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान और मानव गतिविधि। **भूस्खलन के कारण :-** • वर्षा और हिमपात • भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट • खनन, उत्खनन और सड़क काटना

- घरों का निर्माण
- वनों की कटाई

भारत में भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र: हिमालय क्षेत्र, उत्तर-पूर्व भारत के उप-हिमालयी इलाकों में पहाड़ियाँ/पर्वत, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु कोंकण में नीलगिरी।

भारत के भूस्खलन एटलस के बारे में:-

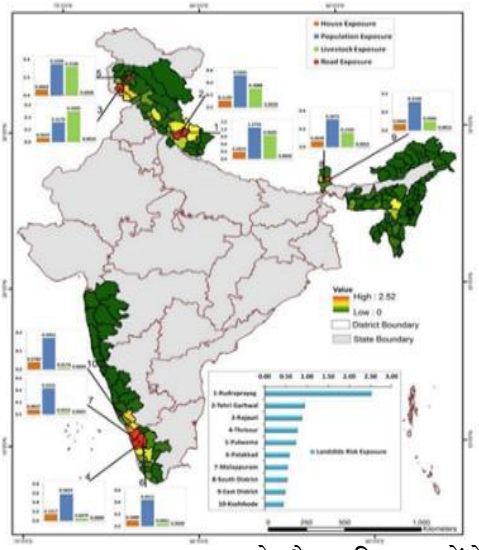

- यह 1998-2022 के दौरान की घटनाओं के आधार पर भारत के भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों का एक डेटाबेस है।
- यह राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इसरो अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार द्वारा बनाया गया है।
- हवाई छवियों के अलावा, रिसोर्ससैट-1 और 2, आदि का उपयोग करके ली गई उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह छवियों का उपयोग भूस्खलन का अध्ययन करने के लिए किया गया था।
- यह एटलस भारत के भूस्खलन प्रांतों में मौजूद भूस्खलन का विवरण प्रदान करता है।
- डेटाबेस हिमालय और पश्चिमी घाट में भारत के 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भूस्खलन-संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल करता है।
- डेटाबेस में 1998-2022 की अवधि के लिए तीन प्रकार की भूस्खलन सूची मौसमी, घटना-आधारित और रूट-वाइज शामिल है।
- उपयोग की जाने वाली तकनीक: IRS-1D PAN + LISS-III, रिसोर्ससैट-1, 2 और 2A LISS-IV Mx, कार्टोसैट-1 और 2S जैसे उच्च से उच्च रिज़ॉल्यूशन के उपग्रह डेटा, अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों से डेटा (सेंटिनल-1 और 2, प्लीएड्स और वर्ल्डव्यू) और हवाई छवियों का उपयोग भूस्खलन के मानचित्रण में किया गया था।
- **भेद्यता रैंकिंग:** डेटाबेस का उपयोग भारत के 17 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 147 जिलों को प्रमुख सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के संदर्भ में भूस्खलन के जोखिम के लिए रैंक करने के लिए किया गया था।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम :-

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India-GSI) ने देश में पूरे 4,20,000 वर्ग किमी भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र के 85% के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण किया है।
- आपदा की प्रवृत्ति के अनुसार क्षेत्रों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

अवश्य पढ़े : राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण (National Landslide Susceptibility Mapping-NLSM) कार्यक्रम और जोशीमठ संकट

उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव

संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र मौसम विज्ञान एजेंसी की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों ध्रुवों पर समुद्री बर्फ का स्तर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर है।

उत्तरी ध्रुव के बारे में:-

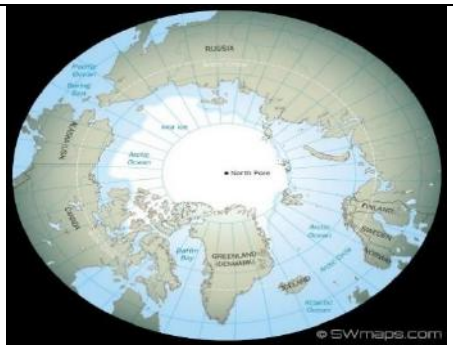

आकलन:

- भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष का उत्तरी बिंदु है।
- उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु है।
- इसका अक्षांश 90 डिग्री उत्तर है, और देशांतर की सभी रेखाएँ वहाँ मिलती हैं।
- उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर में पाया जाता है।
- यह समुद्री बर्फ के टुकड़ों को लगातार खिसका रहा है।
- उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की तुलना में अधिक गर्म है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कम ऊंचाई (समुद्र तल) पर स्थित है और समुद्र के बीच में स्थित है, जो अंटार्कटिका के बर्फ से ढके महाद्वीप से अधिक गर्म है।
- वास्तव में, उत्तरी ध्रुव प्रत्येक वर्ष केवल एक सूर्योदय (मार्च विषुव पर) और एक सूर्यास्त (सितंबर विषुव पर) का अनुभव करता है।
- उत्तरी ध्रुव किसी देश का हिस्सा नहीं है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र:** ध्रुवीय भालू (उर्सस मैरिटिमस), आर्कटिक लोमड़ी (वुल्प्स लैगोपस), और अन्य स्थलीय जानवर शायद ही कभी उत्तरी ध्रुव की ओर पलायन करते हैं।

दक्षिणी ध्रुव के बारे में :-

आकलन

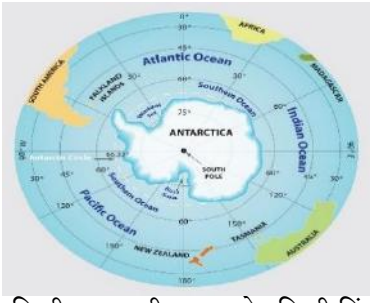

- दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है।
- इसका अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण है, और देशांतर की सभी रेखाएँ वहाँ (साथ ही उत्तरी ध्रुव पर) मिलती हैं।
- दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में स्थित है।
- यह प्रत्येक वर्ष केवल एक सूर्योदय (सितंबर विषुव पर) और एक सूर्यास्त (मार्च विषुव पर) का अनुभव करता है।
- दक्षिणी ध्रुव से, सूर्य हमेशा गर्मियों में क्षितिज के ऊपर और सर्दियों में क्षितिज के नीचे होता है। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में गर्मियों में 24 घंटे धूप और सर्दियों में 24 घंटे तक अंधेरा रहता है।
- प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण दक्षिणी ध्रुव की सटीक स्थिति लगातार गतिमान है।
- यहाँ आवास अधिकांश जीवों के जीवित रहने के लिए बहुत जटिल है।

अवश्य पढ़े: दक्षिणी ध्रुव पर भारत के ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन

माउंट मेरापी ज्वालामुखी	**सुर्खियों में क्यों:** इंडोनेशिया में माउंट मेरापी गैस के बादलों और लावा के हिमस्खलन से फट गया। • मेरापी इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में सबसे अधिक सक्रिय है और हाल ही के दिनों में बार-बार लावा और गैस के बादलों से फटा है। • मध्य जावा प्रांत और योग्याकार्टा, इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है।

ज्वालामुखियों के बारे में:

- ज्वालामुखी, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं।
- तापीय संवहन धाराओं के कारण मेंटल में पिघली हुई चट्टान का हिलना, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव (क्षरण, जमाव, यहां तक कि क्षुद्रग्रह प्रभाव और हिमनदों के बाद के प्रतिक्षेप के पैटर्न) ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक गति और अंततः ज्वालामुखी के कारण होता है।
- ज्वालामुखी विस्फोट से स्थानीय और क्षेत्रीय पर्यावरण जैसे भूकंप, भूस्खलन, लहरें (कीचड़ का बहाव), राख और गरज के साथ झंझावात (thunderstorms) हो सकते हैं।

ज्वालामुखी को प्रभावित करने वाले कारक:

- टेक्टॉनिक प्लेट
- समुद्र तल का फैलाव
- कमजोर पृथ्वी की सतह
- फॉल्ट्स
- मेग्मा क्रिस्टलीकरण
- बाहरी दबाव में कमी
- प्लेट मूवमेंट

नीलगिरी में प्रमुख जनजातियाँ

संदर्भ: हाल ही में, आदिवासियों सहित 700 से अधिक परिवारों को नीलगिरी में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

नीलगिरी की प्रमुख जनजातियों के बारे में:-

- नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ों, जंगलों और चाय के बागानों का एक क्षेत्र है।
- यहां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य मिलते हैं।
- नीलगिरि की पहाड़ियां टोडा, कोटा, बडगा और कुरुम्बा सहित कुछ असामान्य जनजातीय समूहों का घर हैं।

बडगा (Badaga):-

- बडगा एक समूह है जो नीलगिरी पहाड़ियों में रहता है जहां केरल और तमिलनाडु एक साथ आते हैं।
- इनके नामों का अर्थ "उत्तरी (northerner)" है, इस तथ्य का संदर्भ है कि ये मैसूर जिले के मैदानी इलाकों से उत्तर में बहुत दूर नहीं आये थे।
- बडगा हिंदू हैं जो अतिविवाह प्रथा में अभ्यस्त हैं, एक ऐसी प्रणाली जिसमें महिलाएं एक ऐसी जाति में शादी कर सकती हैं जो उनके जन्म से ऊंची होती है, और निम्न जाति में भी शादी करती हैं।

इरुला:-

- इरुला एक अनुसूचित जनजाति है जो उत्तरी तमिलनाडु और नीलगिरि पहाड़ियों में रहती है।
- इनकी कई सजीव मान्यताएं हैं लेकिन कई रूढ़िवादी हिंदू मान्यताओं को अपनाने के लिए हिंदुओं के साथ इनका काफी मिलन था।

	• इरुला गांवों में रहते हैं जहां रजस्वला महिलाओं के लिए विशेष "पॉल्यूशन हट्स" हैं, बहुत सारे आम और कटहल के पेड़ हैं, और पत्थरों वाले पुश्तैनी मंदिर हैं जो मृतकों का वर्णन करते हैं। **कोटा:-** • कोटा एक ऐसा समूह है जिन्हें तमिलनाडु की नीलगिरि पहाड़ियों का मूल निवासी माना जाता है। • इन समुदायों में महिलाओं ने परंपरागत रूप से विशेष झोपड़ियों में जन्म दिया है। • कोटा में "हरी" और "सूखी" अंत्येष्टि की प्रथा है। **कुरुम्बस:-** • कुरुम्बा एक अन्य समूह है जो नीलगिरि पहाड़ियों में रहता है। • परंपरागत रूप से कुरुम्बों ने शिकारी और संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत किया है। • कुरुंबों की जादूगरी करने की प्रतिष्ठा है। **नायक:-** • नायक एक अन्य समूह है जो नीलगिरि पहाड़ियों में रहता है। • परंपरागत रूप से शहद इकट्ठा करने वाले और जंगल के लोगों के रूप में माना जाता है। • नायक का कोई औपचारिक विवाह समारोह नहीं होता है। **पहाड़ी पंडारम:-** • पहाड़ी पंडारम एक अनुसूचित जनजाति है जो केरल राज्य के पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में रहती है। • ये खानाबदोश ग्रामीण हैं जो तमिल और मलयालम की बोलियां बोलते हैं और पहाड़ी आत्माओं, पैतृक भूतों और अन्य अलौकिक प्राणियों की मान्यताओं से प्रभावित हिंदू धर्म का अभ्यास करते हैं। **कानी एंड देयर मैजिक बेरी:-** • केरल के वर्षावन के कानी लोग। • ये गरीब होते हैं और फूस की झोपड़ियों में रहते हैं। **अवश्य पढ़े:** बेट्टा-कुरुबा जनजाति
निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन प्रौद्योगिकी (LTTD)	**संदर्भ:** नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जल्द ही लक्षद्वीप में एक हरित, स्व-संचालित विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। **इसके बारे में:-** • यह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। • इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। • **मुख्यालय:** चेन्नई, तमिलनाडु **उद्देश्य:-** • संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में निर्जीव और जीवित संसाधनों की कटाई से जुड़ी विभिन्न इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए विश्वसनीय स्वदेशी तकनीक विकसित करना **निम्न तापमान तापीय विलवणीकरण प्रौद्योगिकी के बारे में:-:** 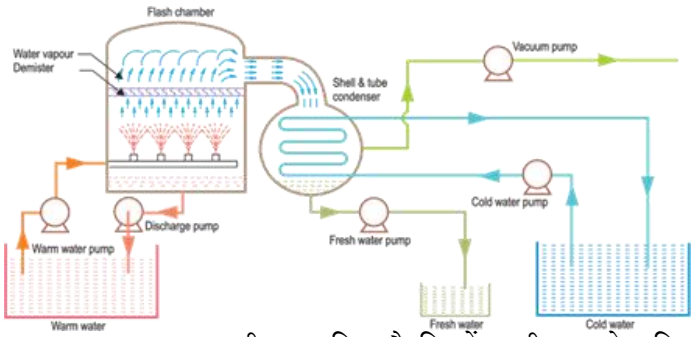 • यह एक अलवणीकरण प्रक्रिया है, जिसमें समुद्री जल को वाष्पित करने और ताजे पानी का उत्पादन करने के लिए आमतौर पर 70 डिग्री सेल्सियस से नीचे निम्न-श्रेणी की तापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। • प्रौद्योगिकी को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने में कुशल और लागत प्रभावी होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। **कार्यचालन:-**

	• LTTD सतह पर और लगभग 600 फीट की गहराई पर समुद्र के पानी के तापमान में अंतर का उपयोग करता है जो 15°C के करीब है। • इस ठंडे पानी का उपयोग सतह पर पानी को संघनित करने के लिए किया जाता है। • सतह पर पानी गर्म होता है और वैक्यूम पंपों का उपयोग करके इसे कम दबाव पर बनाए रखा जाता है। • इतने कम दबाव पर परिवेश के तापमान पर पानी वाष्पित हो जाता है। • संघनित होने पर परिणामी वाष्प लवण और दूषित पदार्थों से मुक्त होता है और उपभोग करने के लिए उपयुक्त होता है। **अवश्य पढ़े:** डीप ओशन मिशन (DOM) और ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी (O-SMART)
लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण दर्रे	**संदर्भ:** हाल ही में, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला ज़ोजिला दर्रा रिकॉर्ड 68 दिनों में खुल गया। **लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में:-** **मिंटाका दर्रा:-** • यह कश्मीर और चीन के पास स्थित है। • यह भारत-चीन और अफगानिस्तान सीमा का ट्रीजंक्शन है। **पारंपरिक दर्रा:-** • यह कश्मीर और चीन के पास स्थित है। • यह भारत-चीन सीमा पर मिंटाका दर्रे के पूर्व में है। **खुंजराब दर्रा:-** • कश्मीर और चीन • यह भारत-चीन सीमा पर स्थित है। **अघिल दर्रा:-** • यह चीन के झिंजियांग (सिंकियांग) प्रांत के साथ भारत के लद्दाख क्षेत्र के पास है। • यह समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर है। • यह K2 चोटी (भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची हीट पीक) के उत्तर में है। **बनिहाल दर्रा:-** • यह जम्मू और श्रीनगर में है। • यह 2832 मीटर पर है। • यह पीर-पंजाल रेंज में स्थित है। • जम्मू से श्रीनगर की सड़क 1956 तक बनिहाल दर्रे को पार करती थी जब पास के नीचे जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था। • सड़क अब सुरंग से गुजरती है और बनिहाल दर्रा अब सड़क परिवहन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। • एक दूसरी 11 किमी लंबी सुरंग बनिहाल और काजीगुंड के बीच एक रेलवे लिंक प्रदान करती है। • इसे जुलाई 2013 में रेलवे परिवहन के लिए खोल दिया गया था।

चांग ला पास:-

- यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है।
- यह 5360 मीटर की ऊंचाई पर है।
- इसमें एक मंदिर है जो चांग-ला बाबा को समर्पित है जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है।

खारदुंग ला:-

- यह लद्दाख रेंज में लेह के पास है।
- यह 5602 मीटर पर है।
- दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क इस दर्रे से होकर गुजरती है।
- यह सर्दियों में भारी हिमपात के कारण बंद रहता है।

लानक दर्रा:-

- यह भारत और चीन (जम्मू और कश्मीर का अकासाई-चिन क्षेत्र) क्षेत्र में स्थित है।
- यह दर्रा लद्दाख और ल्हासा के बीच एक मार्ग प्रदान करता है।
- झिंजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण चीनियों ने किया है।

पीर पंजाल दर्रा:-

- यह पीर पंजाल रेंज के पार है।
- यह जम्मू से कश्मीर घाटी तक सबसे आसान और सबसे छोटी धातु की सड़क प्रदान करता है।
- लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन के परिणामस्वरूप इस मार्ग को बंद करना पड़ा।

क़ारा टैग ला:-

- यह काराकोरम रेंज में इंडो-चाइना सीमा पर है।
- यह 6000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है।

इमिस ला:-

- यह भारत के लद्दाख क्षेत्र और चीन के तिब्बत क्षेत्र में है।

पेंसी ला:-

- यह कश्मीर घाटी और कारगिल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
- यह भारी हिमपात के कारण नवंबर से मध्य मई तक यातायात के लिए बंद रहता है।

ज़ोजी ला:-

- यह एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है।
- इस दर्रे से गुजरने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-1D) के रूप में नामित किया गया है।
- सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) सर्दियों के दौरान सड़क के रखरखाव और बर्फ से इसे साफ करने के लिए उत्तरदायी है।
- इन तमाम कोशिशों के बावजूद इस दर्रे से होकर जाने वाली सड़क दिसंबर से मई के मध्य तक बंद रहती है।

अवश्य पढ़े: लद्दाख

पर्यावरण

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट	**संदर्भ:** हाल ही में अरावली को पुनर्जीवित करने के लिए वनीकरण परियोजना ग्रीन वॉल शुरू की गई है।
	ग्रीन वाल प्रोजेक्ट के बारे में:-
	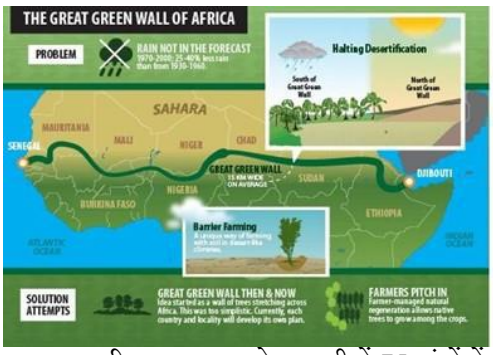
	
	• हरियाणा सरकार ने हाल ही में 75 गांवों में "ग्रीन वॉल" नामक एक व्यापक वनीकरण और वृक्षारोपण परियोजना शुरू की है।
	• **उद्देश्य:** बड़े पैमाने पर खनन, कचरे के डंपिंग और अतिक्रमणों से खतरे में पड़ी अरावली को पुनर्जीवित करना।
	• अरावली पर्वतमाला ने इतना हरा-भरा आवरण खो दिया है कि यह पश्चिम से आने वाली गर्मी और धूल के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करने की अपनी क्षमता खो रही है।
	• यह जितना हरा-भरा रहता है, उतनी ही कम संभावना है कि रेगिस्तान शेष भारतीय भूभाग में फैलेगा।
	• इस परियोजना की संकल्पना अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम की तर्ज पर की गई थी।
	• अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा शुरू किया गया था
	  ○ **उद्देश्य:** अफ्रीका के बिगड़े हुए परिदृश्य को पुनर्स्थापित करना और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक (साहेल) में लाखों लोगों के जीवन को बदलना।
	  ○ इसका उद्देश्य कृषि योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि करना था।
	  ○ यह अफ्रीका के सहारा मरुस्थल की सीमा वाले क्षेत्र साहेल में शुरू की गई एक पहल थी।
	  ○ यह हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जिसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है, के सामने आशा का प्रतीक है।
	अवश्य पढ़े: भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण

डीकार्बोनाइजिंग इंडिया: आयरन एंड स्टील सेक्टर रिपोर्ट	**संदर्भ:** सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत का लौह और इस्पात क्षेत्र कम उत्सर्जन पैदा कर सकता है और एक ही समय में अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। **इसके बारे में:** • लोहा और इस्पात क्षेत्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मामले में एक कठिन-से-कम करने वाला क्षेत्र है, लेकिन यह देश के आर्थिक विकास में समान रूप से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। • भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और 2030 तक इसके उत्पादन को लगभग तीन गुना करने की योजना है। • रिपोर्ट (डीकार्बोनाइजिंग इंडिया: आयरन एंड स्टील सेक्टर) सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा जारी की गई थी। • इसके अनुसार भारत का लोहा और इस्पात क्षेत्र कम उत्सर्जन पैदा कर सकता है और एक ही समय में अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। • विश्लेषण से पता चलता है कि 2030 तक हमारे लौह और इस्पात क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को काफी कम करना संभव है, जबकि भारत के स्टील के उत्पादन को दोगुना से भी अधिक करना। • 2030 तक कच्चे इस्पात के उत्पादन से उत्सर्जन लगभग 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान है।

	• यह रिपोर्ट लौह और इस्पात क्षेत्र के जीएचजी उत्सर्जन और 2030 के लिए इसके भविष्य के उत्सर्जन परिदृश्यों में एक विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है - रिपोर्ट उपलब्ध जानकारी के आधार पर, उत्सर्जन पर इकाई और कंपनी-वाइज डेटा प्रदान करती है, जो आगे के आधार को डिजाइन करने में मदद करेगी। • रिपोर्ट जीएचजी उत्सर्जन में कमी के मार्गों पर प्रकाश डालते हुए इस क्षेत्र के लिए एक रोडमैप सुझाती है। मूल्यांकन में स्पष्ट रूप से पाया गया है कि इस उत्सर्जन-गहन क्षेत्र के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वक्र को मोड़ने के बड़े अवसर हैं, लेकिन इसके लिए योजना, प्रौद्योगिकी और पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। **भारत में लौह और इस्पात उद्योग के बारे में:** • वर्ष 2019 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दूसरे शीर्ष इस्पात उत्पादक के रूप में स्थान बनाया। • भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक था। • चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बना हुआ है। • भारत दुनिया में स्पंज आयरन (sponge iron) का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तैयार इस्पात उपभोक्ता है। • सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 की शुरुआत और स्वत: मार्ग के तहत इस्पात क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना शामिल है। • लोहा और इस्पात उद्योग की शुरुआत 1907 में जमशेदपुर में टिस्को संयंत्र की स्थापना के साथ हुई थी। • पहली पंचवर्षीय योजना (FYP) के दौरान लौह और इस्पात उद्योग के विकास की परिकल्पना की गई थी, लेकिन यह दूसरी पंचवर्षीय योजना (FYP) के दौरान भिलाई (पूर्व USSR तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ), राउरकेला (जर्मन की सहायता से) और दुर्गापुर (ब्रिटेन की सहायता से) में तीन एकीकृत परियोजनाएँ शुरू की गईं। • तीसरी पंचवर्षीय योजना (FYP) के दौरान, बोकारो स्टील प्लांट शुरू किया गया था (उत्पादन 1972 में शुरू हुआ था)। • भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) 1973 में स्थापित, सेल एक सरकारी उपक्रम है और इस्पात संयंत्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। **लौह अयस्क का वितरण:** • छोटा नागपुर का पठार भारत के सभी प्रमुख इस्पात निर्माण केंद्रों का घर है, जो चार राज्यों: पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। **प्रमुख इस्पात उद्योग :** • टिस्को-जमशेदपुर, झारखंड • विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट-भद्रावती, कर्नाटक • भिलाई इस्पात संयंत्र - छत्तीसगढ़ • राउरकेला स्टील प्लांट-ओडिशा • दुर्गापुर स्टील प्लांट- पश्चिम बंगाल • बोकारो स्टील प्लांट-झारखंड • सलेम स्टील प्लांट-तमिलनाडु • विशाखापत्तनम स्टील प्लांट- आंध्र प्रदेश
मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट	**संदर्भ:** हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने अपनी वार्षिक मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट जारी की। **इसके बारे में:** • यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। **पृष्ठभूमि :** • मीथेन एक ग्रीनहाउस गैस है जो पूर्व-औद्योगिक समय से 30% वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरे स्थान पर है। • मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में गर्म करने में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:** • रिपोर्ट बताती है कि सस्ती और आसानी से उपलब्ध तकनीक से 75% मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। • वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा - 150 देश वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा में शामिल हुए हैं जिसका उद्देश्य 2030 तक मानव गतिविधि

	से मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से 30% तक कम करना है। • भारत 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33-35% कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। • कुल औसत मीथेन उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 40% है। • मीथेन उत्सर्जन को रोकने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से 80% को शुद्ध शून्य लागत पर लागू किया जा सकता है। • वर्ष 2022 में तेल और गैस उद्योग द्वारा प्राप्त शुद्ध आय के 3% से कम मीथेन कटौती उपायों को लागू करने की लागत आती है। • प्राकृतिक गैस की बर्बादी में 75% की कमी सदी के मध्य तक वैश्विक तापमान वृद्धि को लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के बारे में:** • यह 1974 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है। • **मुख्यालय:** पेरिस • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) 31 सदस्य देशों से बना है। • **उद्देश्य:** अपने सदस्य देशों और बाकि विश्व के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। • अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम पर समझौता (आईईपी समझौता) ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की छत्रछाया में आईईए के अधिदेश और संरचना की स्थापना की। **सदस्यता के लिए पात्रता मानदंड:** • IEA के लिए एक उम्मीदवार देश के पास पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर कच्चा तेल और/या उत्पाद भंडार (रणनीतिक तेल भंडार) होना चाहिए, जिस पर सरकार की तत्काल पहुंच हो (भले ही वह सीधे मालिक न हो) और वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। • भारत 2017 में IEA का एसोसिएट सदस्य बना। • भारत ने 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने के लिए IEA के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। • भारत का वर्तमान सामरिक तेल भंडार उसकी आवश्यकता के 9.5 दिनों के बराबर है। • भारत ओईसीडी का सदस्य नहीं है बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। • IEA ने भारत को पूर्ण सदस्य बनकर IEA के साथ अपने सहयोग को गहरा करने के लिए आमंत्रित किया। **IEA के प्रमुख प्रकाशन:** • विश्व ऊर्जा आउटलुक (WEO) • **2050 तक नेट जीरो:** वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक रोडमैप • ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य (ETP) • ग्लोबल ईवी आउटलुक (GEVO) • तेल बाजार रिपोर्ट • विश्व ऊर्जा निवेश • स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम
सी-हॉर्स	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि 'हिप्पोकैम्पस केलॉगी' या समुद्री घोड़ा, व्यापक पैमाने पर मत्स्य शिकार के कारण तटीय ओडिशा की ओर पलायन होने को मजबूर हो सकते हैं। **समुद्री घोड़े के विषय में प्रमुख तथ्य:**

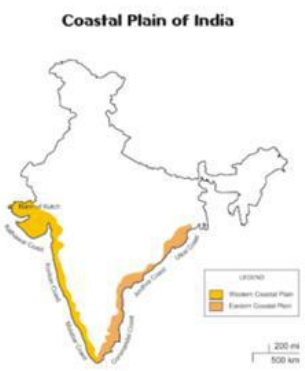

- सी-हॉर्स हिप्पोकैम्पस जीनस की छोटी समुद्री मछलियों की 46 प्रजातियों में से एक है।

अभिलक्षणिक विशेषता :

- सिर और गर्दन घोड़े की तरह का होना,
- सीहॉर्स में खंडित बोनी कवच, एक सीधी मुद्रा और एक मुड़ी हुई प्रीहेंसाइल पूंछ भी होती है

आवास और भारत भर में वितरण:

- समुद्री घोड़े मुख्य रूप से दुनिया भर में उथले उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण खारे पानी में पाए जाते हैं, लगभग 45°S से 45°N तक।
- ये आश्रय वाले क्षेत्रों में रहते हैं जैसे कि समुद्री घास के बेड्स, ज्वारनदमुख, प्रवाल भित्तियाँ, और मैंग्रोव।
- सी-हॉर्स का आकार 1.5 से 35.5 सेमी तक होता है।
- इनका नाम इनके समान दिखने के लिए रखा गया है, जिसमें मुड़ी हुई गर्दन और लंबे थूथन वाले सिर और विशिष्ट ट्रंक और पूंछ शामिल है।
- इन प्रजातियों को लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा गुजरात से ओडिशा तक आठ राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों के तटों पर वितरित किया जाता है।

संरक्षण की स्थिति :

- **आईयूसीएन स्थिति :** संवेदनशील
- **साइट्स:** परिशिष्ट II

ई-ईंधन (e-Fuels)

ई-ईंधन के बारे में:-

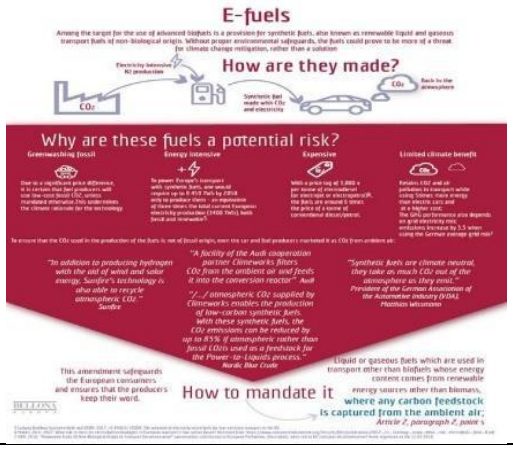

	• इसका उत्पादन एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन के निष्कर्षण पर आधारित है जो पानी (जैसे अलवणीकरण संयंत्रों से समुद्री जल) को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अपने घटकों में ब्रेक करता है। • फिर इस हाइड्रोजन को मेथनॉल बनाने के लिए हवा से फ़िल्टर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है। • इसके बाद मेथनॉल को एक्सॉनमोबिल-लाइसेंस प्राप्त तकनीक का उपयोग करके गैसोलीन में परिवर्तित किया जाता है। • ईंधन का उपयोग किसी भी कार में किया जा सकता है। • ये अक्षय स्रोतों से विद्युत ऊर्जा का भंडारण करके बनाए जाते हैं। • इस प्रक्रिया और आगे के उत्पादन चरणों के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है। • इलेक्ट्रो ईंधन कार्बन तटस्थ ईंधन का एक नया वर्ग है • इन्हें सिंथेटिक ईंधन भी कहा जाता है। • इस ईंधन को जैव ईंधन के विकल्प के तौर में देखा जा रहा है। • ई-ईंधन उन सभी क्षेत्रों में जलवायु-तटस्थ योगदान दे सकते हैं जहां वर्तमान में पारंपरिक ईंधन का उपयोग किया जाता है (उदाहरण के लिए परिवहन या इमारतों में हीटिंग)। • वे ऊर्जा परिवर्तन की दो चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं: नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण और परिवहन की समस्या। **अन्य विद्युत ईंधन:-** • ई-डीज़ल कार्बन डाइऑक्साइड, बिजली और पानी से अक्षय ऊर्जा द्वारा संचालित एक प्रक्रिया के साथ बनाया जाता है। • ई-गैसोलीन एक तरल ऑक्टेन ईंधन है। यह एक कार्बन-तटस्थ ईंधन है और सल्फर और बेंजीन से मुक्त है। **अवश्य पढ़े:** इथेनॉल सम्मिश्रण और ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV)
जैव विविधता विरासत स्थल	**संदर्भ:** हाल ही में गंधमर्दन पहाड़ियों को ओडिशा में तीसरी जैव विविधता विरासत स्थल का नाम दिया गया था। **गंधमर्दन पहाड़ी के बारे में:-** • गंधमर्दन पहाड़ी (गंधमर्दन आरक्षित वन) ओडिशा केबालांगीर-बरगढ़ जिलों में फैली हुई है। • यह पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र वनस्पति और जीव विविधता में समृद्ध है और ओडिशा जैव विविधता नियम, 2012 के तहत संरक्षित है। **जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में:-** • ये अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र हैं जो अद्वितीय, पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र हैं। • इनके पास जंगली और पालतू प्रजातियों की उच्च विविधता, दुर्लभ और खतरे वाली प्रजातियों की उपस्थिति, और कीस्टोन प्रजातियां हैं। • जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित कर सकती है। **जैव विविधता विरासत स्थल के मानदंड -** • जंगली के साथ-साथ पालतू जानवरों की समृद्धि प्रजातियां या अंतर-विशिष्ट श्रेणियां। • उच्च स्थानिकता। • दुर्लभ और खतरे वाली प्रजातियों की उपस्थिति। • कीस्टोन प्रजातियां • विकासवादी महत्व की प्रजातियां। • घरेलू/कृषि प्रजातियों या उनकी किस्मों के जंगली पूर्वज। • जीवाश्म बेड द्वारा दर्शाए गए जैविक घटकों की पूर्व-प्रतिष्ठा। • सांस्कृतिक, नैतिक या सौंदर्यवादी मूल्य और सांस्कृतिक विविधता। **भारत में जैव विविधता विरासत स्थल:-** • भारत में 36 जैव विविधता विरासत स्थल हैं। • उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

	जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) — जिला/राज्य • नल्लूर इमली ग्रोव — कर्नाटक • होगरेकन — कर्नाटक • कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय — कर्नाटक • अंबरगुडा — कर्नाटक • अल्लापल्ली — महाराष्ट्र • दार्जिलिंग वन प्रभाग के तहत टोंगलू बीएचएस और धोत्रे बीएचएस - दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल • मंदसरू — ओडिशा • डायलोंग गांव — मणिपुर • अमीनपुर झील — तेलंगाना • माजुली — असम • घड़ियाल पुनर्वास केंद्र — उत्तर प्रदेश • चिल्कीगढ़ कनक दुर्गा — पश्चिम बंगाल • पूर्वताली राय — गोवा • नारो हिल्स — मध्य प्रदेश • आश्रमम — केरल • शिस्तुरा हिरण्यकेशी — महाराष्ट्र • अरितापट्टी — तमिलनाडु **अवश्य पढ़े:** तमिलनाडु में पहला जैव विविधता विरासत स्थल
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य	**संदर्भ:** हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई शुरू की है। **राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में:-** • यह उत्तरी भारत में एक त्रिकोणीय राज्य संरक्षित क्षेत्र है। • यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल (छोटे मगरमच्छ), लाल-मुकुट वाली छत वाले कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन का घर है। • कहा जाता है कि भारत में घड़ियाल की आबादी सबसे अधिक है। • यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि-बिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है। • इसे पहली बार 1978 में मध्य प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। • यह तीन राज्यों द्वारा सह-प्रशासित एक लंबा संकीर्ण इको-रिजर्व बनता है। • अभयारण्य के भीतर प्राचीन चंबल नदी अपने किनारों के साथ कई रेतीले समुद्र तटों के साथ खड्डों और पहाड़ियों की भूल-भुलैया को काटती है। **घड़ियाल के बारे में:** • घड़ियाल एक प्रकार के एशियाई मगरमच्छ हैं जो अपने लंबे, पतले थूथन से पहचाने जाते हैं। • मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल हैं। **घड़ियाल का निवास स्थान:** • **प्राकृतिक आवास:** भारत के उत्तरी भाग का ताज़ा पानी। • **प्राथमिक आवास:** चंबल नदी (यमुना की एक सहायक नदी)। • **माध्यमिक आवास:** घाघरा, गंडक नदी, गिरवा नदी (उत्तर प्रदेश), रामगंगा नदी (उत्तराखंड) और सोन नदी (बिहार)। **संरक्षण की स्थिति:-** • घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस): IUCN रेड लिस्ट- गंभीर रूप से संकटग्रस्त • वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I • **साइट्स:** परिशिष्ट I • **महत्व:** घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी के पानी का एक अच्छा संकेतक है।

	• सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और महानदी-ब्राह्मणी नदी प्रणालियों की मुख्य नदियों और सहायक नदियों में कभी घड़ियाल बहुतायत में थे। • लेकिन अब वे भारत और नेपाल के केवल 14 विस्तृत स्थानों और प्रतिबंधित इलाकों तक सीमित हैं। • भारत में घड़ियाल सोन नदी, गिरवा नदी, गंगा, महानदी और चंबल नदी में मौजूद हैं। • महानदी में सतकोसिया गॉर्ज घड़ियालों की सबसे दक्षिणी सीमा है। **भारत में मगरमच्छों की तीन प्रजातियाँ पाई जाती हैं:** • **घड़ियाल:** IUCN रेड लिस्ट- गंभीर रूप से संकटग्रस्त • **मगर मगरमच्छ:** IUCN- सुभेद्य • **खारे पानी का मगरमच्छ:** IUCN- सबसे कम चिंताजनक **अवश्य पढ़े:** खारे पानी का मगरमच्छ और चंबल नदी
ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री (MoPSW) और आयुष ने ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम (GTTP) की घोषणा की। **इसके बारे में:** • यह बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। • कार्यक्रम 'ग्रीन हाइब्रिड टग्स' के साथ शुरू होगा, जो ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित होगा और बाद में गैर-जीवाश्म ईंधन समाधान (जैसे मेथनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन) को अपनाएगा। • **उद्देश्य:** देश में काम कर रहे सभी टगबोट्स को 'ग्रीन हाइब्रिड टग्स' में बदलना। • **ग्रीन हाइब्रिड टग्स:** टगबोट्स गैर-जीवाश्म ईंधन पर चल रही हैं। • वर्ष 2025 तक सभी प्रमुख बंदरगाहों पर ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम-सक्षम टग बोट काम करने लगेंगी। • **लक्ष्य:** 2030 तक, मौजूदा टगबोट बेड़े के 50% को हरे रंग के टग से बदल दिया जाएगा। • ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoEGPS) जीटीटीपी के लिए नोडल इकाई के रूप में कार्य करता है। • ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) के लॉन्च के साथ भारत का लक्ष्य 2030 तक 'ग्रीन शिप के लिए ग्लोबल हब' बनना है। **ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के बारे में:-** • यह ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoEGPS) है। • यह बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत काम करता है। • यह गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। **ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के बारे में:-** • TERI एक गैर-लाभकारी शोध संस्थान है। • इसकी स्थापना 1974 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। • वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट' कर दिया गया। • इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों के वैश्विक समाधान को आकार देने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना है। • यह ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। • **मुख्यालय:** नई दिल्ली **अवश्य पढ़े:** भारत में ग्रीन पोर्ट्स और ग्रीन शिपिंग और ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर
मगर क्रोकोडाइल	**संदर्भ:** हाल के एक अध्ययन के अनुसार, अवैध मछली पकड़ने और रेत खनन जैसे मानवजनित खतरे राप्ती नदी के मगर क्रोकोडाइल (Crocodylusplastris) के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। **मगर क्रोकोडाइल के बारे में:** • यह एक मध्यम आकार का चौड़ा थूथन वाला मगरमच्छ है, जिसे मगर और मार्श मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। • **वैज्ञानिक नाम:** क्रोकोडिलस पोरोसस (Crocodylus palustris) • यह दलदल, झीलों, नदियों और कृत्रिम तालाबों में पाया जाता है।

भौगोलिक सीमा:

- वे पूरे दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं - भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश - साथ ही दक्षिण-पूर्वी ईरान।
- मगर 15 भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं, जिनकी सबसे बड़ी आबादी मध्य गंगा (बिहार-झारखंड) और चंबल (मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान) घाटियों में है।

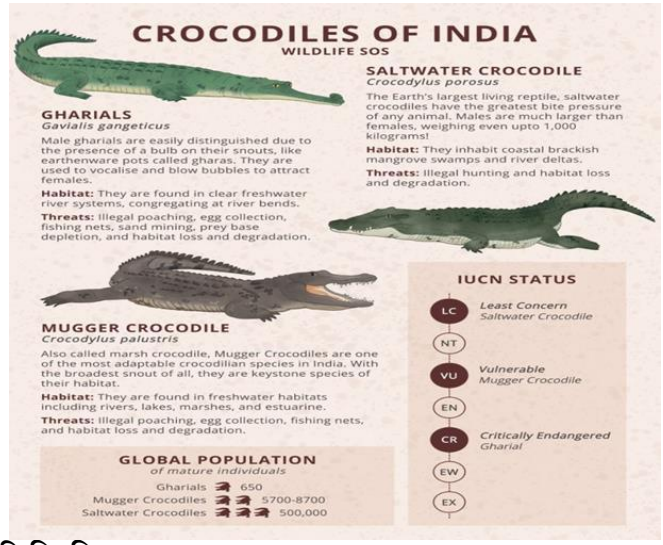

संरक्षण की स्थिति:

- CITES- परिशिष्ट I
- IUCN रेड लिस्ट: संवेदनशील

संरक्षण परियोजनाएं:

रामतीर्थ मगरमच्छ परियोजना

- **काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल:** यह उत्तराखंड के खटीमा में तराई पूर्वी वन प्रभाग में चल रहा है।
- **भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना:** इसे 1975 में देश के विभिन्न राज्यों में शुरू किया गया था।

भारत में मगरमच्छ की अन्य प्रजातियाँ

खारे पानी या एस्टुरीन मगरमच्छ

- **आवास:** पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के काले और मीठे पानी के क्षेत्र।
- **IUCN रेड लिस्ट:** कम चिंताजनक
- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

घड़ियाल (गैवियलिस गैंगेटिकस)

- यह सभी जीवित मगरमच्छों में सबसे लंबा है।
- **IUCN रेड लिस्ट:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- **साइट्स:** परिशिष्ट I

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में:

- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत में हिमालय के तराई के जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है।
- यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है।
- यह देश के गंगा के मैदानी जैव-भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है; जंगल में भाबर और तराई इलाकों का संयोजन है।
- यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है।
- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में बाघ, सुस्त भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सूअर आदि शामिल हैं।

चितवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- चितवन राष्ट्रीय उद्यान (CNP), 1973 में स्थापित, नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान था।
- यह नेपाल के दक्षिणी मध्य तराई में स्थित है।

	• पार्क 'तराई' क्षेत्र के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का अंतिम जीवित उदाहरण है और उपोष्णकटिबंधीय तराई को कवर करता है, जो बाहरी हिमालय की शिवालिक श्रेणी के आधार पर दो पूर्व-पश्चिम नदी घाटियों के बीच फैला हुआ है। • कोर क्षेत्र उत्तर में नारायणी (गंडक) और राप्ती नदियों और दक्षिण में रेउ नदी और नेपाल-भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच, सुमेश्वर और चुरिया पहाड़ियों (Churia hills) पर, और नारायणी के पश्चिम में डॉनी पहाड़ियों से, और पूर्व में पारसा वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ सीमाएँ बनाता है। • चितवन राष्ट्रीय उद्यान (CNP) एक विश्व विरासत संपत्ति है। इसके अंदर बीशाजार (Beeshazar) को रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। **गंडक नदी के बारे में:** 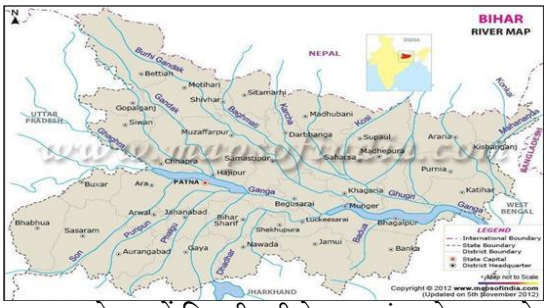 • नेपाल में त्रिसूली नदी के साथ संगम के बाद इसे काली गंडकी और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। • यह भारत में गंगा की उत्तर-किनारे की सहायक नदी है। • **उद्गम** — यह नेपाल सीमा के पास तिब्बत से निकलती है। • यह भारत में दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती है और फिर उत्तर प्रदेश-बिहार राज्य की सीमा के साथ-साथ भारत-गंगा के मैदान में दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ जाती है। **राप्ती नदी के बारे में:** • पश्चिम राप्ती नदी घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। • इसकी उत्पत्ति नेपाल में हुई है। • पश्चिम राप्ती नदी पश्चिमी हिमालय और पहाड़ों की महाभारत श्रृंखला में एक शिखर पर निकलती है। • यह पटना, बिहार के निकट गंगा नदी में मिलती है। • लुंगरीखोला, झिमरूकखोला, आमी नदी, रोहिणी नदी राप्ती के बायें किनारे की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। • अरुण खोला (Arun Khola) राप्ती के दाहिने किनारे की सहायक नदी है।
नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान	**संदर्भ:** हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से लॉग और एक ट्रक जब्त किया गया था। **नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:-** • यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। • यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। • इसे 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। • इसे उसी वर्ष 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। • यह भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी है। • यह भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है। • यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट है। • इसके आस-पास के क्षेत्र, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में पटकाई पहाड़ियों और उत्तर में हिमालय से घिरे हुए हैं। • यह क्षेत्र भारत-म्यांमार-चीन ट्राइजंक्शन के करीब स्थित है। • नामदफा वास्तव में उद्यान से निकलने वाली एक नदी का नाम है और यह नोआ-देहिंग नदी से मिलती है। • नोआ-देहिंग नदी, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में उत्तर-दक्षिण दिशा में बहती है। • यह पार्क मिश्मी हिल्स के दफा बम रेंज और पटकाई रेंज के बीच स्थित है • यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।

- पहले तीन लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क और उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क हैं।
- **वनस्पति:** वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों (उष्णकटिबंधीय वर्षा वन) की विशेषता है।
- **जीव-जंतु:** हाथी, काले भालू, भारतीय बाइसन, हिरण की कई प्रजातियां, सरीसृप और विभिन्न प्रकार के वनवासी जानवर।
- **महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ:** सफेद पंखों वाली वुड डक, एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जंगलफॉवल और तीतर।
- यह विश्व का एकमात्र पार्क है जहां बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस), तेंदुआ (पैंथेरा परडस), हिम तेंदुआ (पैंथेरा उनसिया) और क्लाउडेड तेंदुआ (नियोफेलिस नेबुलोसा) नामक बड़ी बिल्ली की चार बिल्ली प्रजातियां हैं।
- यह नमदाफा उड़ने वाली गिलहरी जैसी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो आखिरी बार 1981 में देखी गई थी।
- **हूलॉक गिबन्स,** भारत में पाई जाने वाली एकमात्र 'एप' प्रजाति इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है।

अरुणाचल प्रदेश में अन्य संरक्षित क्षेत्र:-

पक्के वन्यजीव अभयारण्य

मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:-

- इसकी स्थापना 1972 में हुई थी।
- यह नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होने वाला दूसरा था।
- इस पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 483 वर्ग किलोमीटर है और यह दिहांग-दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के पश्चिम में स्थित है।
- मौलिंग पीक, पार्क की सबसे ऊंची चोटी, एमएम इसे एक अविरल क्षेत्र बनाती है।
- सियोम जैसी नदियाँ पार्क की पश्चिमी सीमा से होकर गुजरती हैं।
- मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों और पक्षियों सहित विभिन्न संरक्षित जानवरों की दृष्टि प्रदान करता है।

कमलांग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:-

- कमलांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है।
- यह नाम कमलांग नदी से आया है, जो अभयारण्य से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है।
- यहाँ के स्थानीय निवासी हिश्मी, दिगारू और मिज़ो हैं।
- ये स्वयं को "महाभारत" के "राजा रुकमो" के वंशज होने का दावा करते हैं।
- इस वन्यजीव अभयारण्य में बिल्ली परिवार की चार बड़ी प्रजातियों अर्थात बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड हैं।
- इसमें होलॉक गिब्बन, स्लोरिसिस, लेपर्ड कैट, हिमालयन पाम सिवेट आदि जैसे लुप्तप्राय की आबादी भी है। प्रसिद्ध तीर्थस्थल, "परशुराम कुंड" तक 20 किमी की दूरी पर साल भर वाकरो से पहुंचा जा सकता है।
- **जीव-जंतु:** इस अभयारण्य में हाथी, बाघ, तेंदुआ और हूलॉक गिबन्स जैसे जानवर हैं। स्टंप-टेल्ड मकाक, कैप्ड लंगूर, सूअर, सिवेट, हिरण, हॉर्नबिल, विशालकाय और उड़न गिलहरी आदि।
- **फ्लोरा:** केनेरियम रेसिनिफेरस (धूना), टर्मिनेलिया चेबुला (हिलिका), गमेलिना आर्बोरिया (गामारी), अम्मोरावाल्लीची (अमरी) आदि।

ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:-

- ईटानगर आरक्षित वन को ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया।
- इसकी भौगोलिक सीमा पूर्व में पाम नदी, दक्षिण में पचिन, उत्तर-पूर्व में नियोरोची और उत्तर में चिंगके नदी के साथ है।
- इस अभयारण्य की वनस्पति को उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- इन वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सबसे आम बांस हैं (1) बम्बूसपालिडा (बिजुली) और (2) डेंड्रोकलामुशामिल्टोनि (काको)।
- **पेड़ की प्रजातियाँ:** (1) दुआबांगा ग्रैंडिफ्लोरा (खोकन) (2) अमूरा वालिची (अमन) (3) टूना सिलियाटा (पोमा)

	(4) मैगनोलिया एसपीपी (सोपा) (5) शिमा वालिची (मक्रिसल) और कैस्टोनोप्सिस इंडिका (हिंगोरी) आदि। • **घास:** सुचरामप्रोसेरम, एस.स्पोंटमम, एंड्रोपोगोन एसिमिलिस, फ्रामाइट्सकरका, एल्पिनियाआलुगस। • **जीव:** हाथी, बाघ, पैंथर, सांभर, बार्किंग हिरण और भालू जैसे जानवर काफी सामान्य है। • कभी हॉर्नबिल देखने में बहुत आम पक्षी थे। लेकिन अब हॉर्नबिल देखने का अवसर रहता है। **अवश्य पढ़े:** अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण
जीआई टैग और राज्यों के साथ आम की किस्में	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि बढ़ता मानसून, गर्म सर्दी अल्फांसो आम की उपज को 40% तक कम कर सकती है। **मुख्य बिंदु** 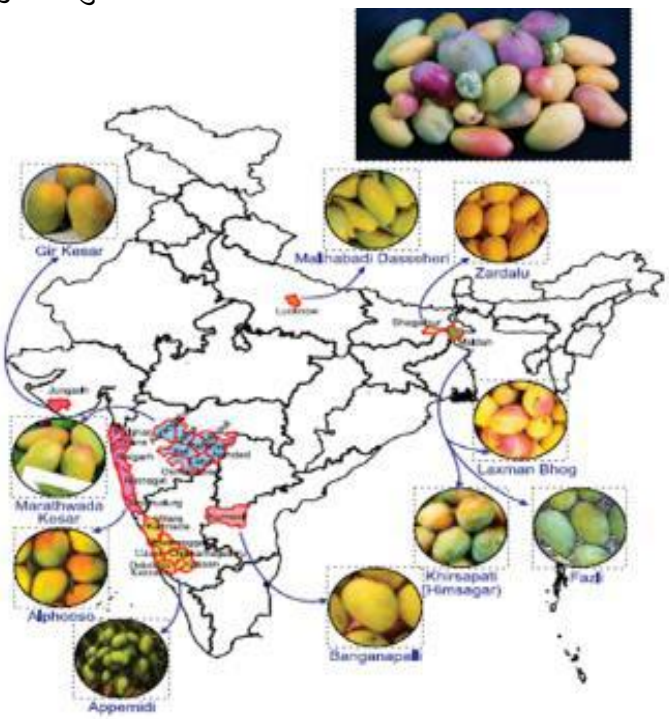 • अल्फांसो - महाराष्ट्र (कोंकण क्षेत्र जिसमें पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं) • लक्ष्मण भोग - पश्चिम बंगाल (मालदा) • खिरसापति (हिमसागर) - पश्चिम बंगाल (मालदा) • फजली - पश्चिम बंगाल (मालदा) • मलीहाबादी दशहरी - लखनऊ/उत्तर प्रदेश (मलिहाबाद, माल, काकोरी और गोमती नदी के किनारे बख्शिका तालाब) • अप्पिमिडी - कर्नाटक (शिमोगा, उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, चिकमंगलूर, हासन और उडुपी क्षेत्र) • गिर केसर - गुजरात (जूनागढ़-गिर वन के आसपास) • मराठवाड़ा केसर - महाराष्ट्र (मराठवाड़ा मंडल-औरंगाबाद, नांदेड़, परभणी, लातूर, बीड, हिंगोली, जालना और उस्मानाबाद) • बंगनपल्ले - आंध्र प्रदेश (बंगनापल्ली, कुरनूल) • जर्दालू- बिहार (भागलपुर एवं बांका तथा मुंगेर जिले का परिवेश) • रटौल - उत्तर प्रदेश (बागपत) • सालेम आम - तमिलनाडु (कृष्णागिरी, सालेम, नमक्कल, धर्मपुरी)
वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलें	**संदर्भ:** हाल ही में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। **वेम्बनाड झील के बारे में: -** • यह केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है।

	• यह अलाप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम से घिरा हुआ है। • इसका स्रोत चार नदियों में है: मीनाचिल, अचनकोविल, पम्पा और मणिमाला। • यह अरब सागर से एक संकीर्ण बैरियर द्वीप द्वारा अलग है और केरल में एक लोकप्रिय बैकवाटर स्ट्रेच है। • वल्लम कली (अर्थात नेहरू ट्रॉफी बोट रेस): हर साल अगस्त के महीने में वेम्बनाड झील में एक स्नेक बोट रेस आयोजित की जाती है। • इसे 2002 में रामसर कन्वेंशन द्वारा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में शामिल किया गया था। • यह पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। • भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत वेम्बनाड आर्द्रभूमि की पहचान की है। • कुमारकोम पक्षी अभयारण्य झील के पूर्वी तट पर स्थित है। • वर्ष 2019 में, विलिंगडन द्वीप, एक बंदरगाह बनाया गया था। **अष्टमुडी झील के बारे में:-** 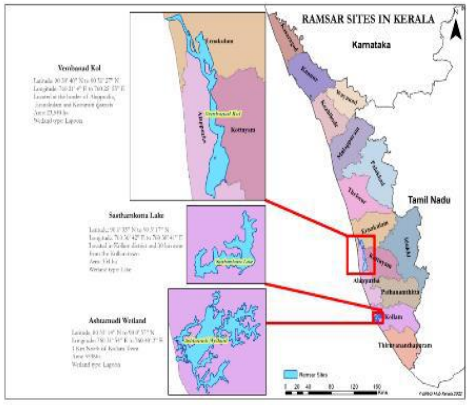 • यह दक्षिणी भारत के राज्य केरल के कोल्लम जिले में स्थित मीठे पानी की झील है। • यह एक व्यापक नदीनमुख प्रणाली है, जो केरल राज्य में दूसरी सबसे बड़ी है। • स्थानीय मलयालम भाषा में अष्टमुडी का अर्थ है 'आठ चोटी'। • इसे रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नामित एक आर्द्रभूमि साइट है। ○ रामसर कन्वेंशन: आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, और भारत इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता है। **अवश्य पढ़े:** वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन का COP14
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और रिपोर्ट	**संदर्भ:** एक रिसर्च के मुताबिक महासागरों में 170 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े जमा हो गए हैं। **अध्ययन की मुख्य बातें :-** • अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर के महासागर मुख्य रूप से माइक्रोप्लास्टिक्स से बने बढ़ते प्लास्टिक स्मॉग से प्रदूषित होते हैं। • मिस्र, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पर प्लास्टिक लीकेज के लिए सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। • प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड की 2022 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्जीरिया और मोरक्को समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण में योगदान देने वाले शीर्ष 20 तटीय देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। • **भारत:** UNEP के अनुसार, प्रतिदिन दक्षिण एशियाई समुद्रों में डाला जाने वाला कचरा 60 प्रमुख भारतीय शहरों से उत्पन्न होता है। **अब तक के नीतिगत हस्तक्षेप:-** • 1988 में, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अनुबंध V जोड़ा, जिसने 154 देशों के बीच नौसेना, मछली पकड़ने और शिपिंग बेड़े से प्लास्टिक के निर्वहन को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते स्थापित किए। • इन हस्तक्षेपों के बाद 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और 1972 में कचरे और अन्य पदार्थों के

	डंपिंग द्वारा समुद्री प्लास्टिक की रोकथाम पर सम्मेलन किया गया। • 1991 में, प्लास्टिक इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन ने 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य बायोटा में घटते पेलेट अंतर्ग्रहण के साथ कारखानों से प्लास्टिक छर्रों, पाउडर और गुच्छे (flakes) के जीरो लॉस के लक्ष्य के साथ था। **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में:-** • यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है। • यह जंगल के संरक्षण और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम कर रहा है। • इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। • इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। • यह दुनिया का अग्रणी संरक्षण संगठन है और 100 से अधिक देशों में काम करता है। • डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का उद्देश्य ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें। • वर्तमान में, इसका काम इन छह क्षेत्रों के आसपास आयोजित किया जाता है: भोजन, जलवायु, मीठे पानी, वन्य जीवन, जंगल और महासागर। • **प्रकाशन:** लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, 1998 से हर दो साल में। **अवश्य पढ़े :** माइक्रोप्लास्टिक्स
IQAir और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट	**संदर्भ:** हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, दिल्ली दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में चौथे स्थान पर है। **विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में:-** • इसे IQAir ने तैयार किया है। • वर्ष 2022 की रिपोर्ट 7,323 शहरों और 131 देशों के PM2.5 डेटा पर आधारित है। • यह डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और जोखिम संचार के आधार के रूप में 2021 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों और अंतरिम लक्ष्यों को शामिल करता है। • WHO वार्षिक PM2.5 स्तर 5 g/m3 की सिफारिश करता है। • वर्ष 2022 में दिल्ली का औसत PM2.5 स्तर 92.6 μg/m3 था, जो वर्ष 2021 के 96.4 μg/m3 के औसत से थोड़ा कम है। • लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, इसके बाद चीन का होतान और राजस्थान का भिवाड़ी ज़िला है। • चाड दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। • भारत इस सूची में चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो और कुवैत से पीछे है। • कुल 39 भारतीय शहर ('दिल्ली' और 'नई दिल्ली' सहित) 2022 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में हैं। • इनमें नोएडा, गुड़गांव, बुलंदशहर, मेरठ, चरखी दादरी (Charkhi Dadri), जींद, गाजियाबाद, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे शहर शामिल हैं। **IQAir के बारे में:-** • यह एक स्विस समूह है जो पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 की सघनता के आधार पर वायु गुणवत्ता के स्तर को मापता है। **उद्देश्य:-** • सरकार, शोधकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों, कंपनियों और नागरिकों को वायु गुणवत्ता में सुधार लाने और स्वस्थ समुदायों और शहरों को बनाने के लिए एक साथ काम करने के लिए संलग्न करना, शिक्षित करना और प्रेरित करना। • एक सूचित संवाद की सुविधा के लिए और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए जो वायु गुणवत्ता और वैश्विक समुदायों और शहरों के स्वास्थ्य में सुधार करता है। **अवश्य पढ़े:** IQ Air की वैश्विक वायु प्रदूषण रिपोर्ट 2021
सतत खाद्य प्रणालियों पर	**संदर्भ:** हालिया आईपीईएस रिपोर्ट उच्च ऋण के बीच वैश्विक भूख संकट पर प्रकाश डालती है। **इसके बारे में:-**

विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल (आईपीईएस) की रिपोर्ट	• यह आईपीईएस-फूड द्वारा जारी किया गया है। • आईपीईएस-फूड विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र पैनल है जो विश्व भर में टिकाऊ खाद्य प्रणालियों में संक्रमण के तरीके पर बहस को आकार देता है। • यह विशेषज्ञों का एक विविध और स्वतंत्र पैनल है जो अनुसंधान, स्थिरता और खाद्य प्रणालियों के बारे में सोचने के नए तरीकों से निर्देशित होता है। **मुख्य निष्कर्ष:-** • वर्ष 2022 में अफगानिस्तान, कैमरून, इथियोपिया, हैती, लेबनान, सोमालिया, श्रीलंका, सूडान और जिम्बाब्वे सहित कम से कम 21 देश ऋण संकट और बढ़ती भूख दोनों के भयावह स्तर के करीब थे। • वर्ष 2022 में विश्व के सबसे गरीब देशों ने अपने ऋण चुकाने की लागत में 35 प्रतिशत की वृद्धि देखी। • 62 विकासशील देशों ने कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष के दौरान स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में ऋण भुगतान पर अधिक खर्च किया। • वर्ष 2022 में, गरीब देशों ने बाहरी ऋण भुगतान का 47 प्रतिशत निजी ऋणदाताओं को, 12 प्रतिशत चीन को, 14 प्रतिशत अन्य सरकारों को और शेष 27 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को भुगतान किया। • अफ्रीका की खाद्य आयात निर्भरता हाल के दशकों में तीन गुना हो गई है, जिससे देश 2022 की तरह खाद्य मूल्य में वृद्धि के संपर्क में आ गए हैं। • आयात पर निर्भरता, निष्कर्षण वित्तीय प्रवाह, बूम-बस्ट कमोडिटी चक्र, और जलवायु-संवेदनशील खाद्य प्रणालियां दुनिया के सबसे गरीब देशों के वित्त को अस्थिर करने के लिए संयोजन कर रही हैं। **एलडीसी स्तर से जुड़ी रियायतों में निम्नलिखित क्षेत्रों में लाभ शामिल हैं:** • विकास वित्तपोषण, विशेष रूप से दाताओं और वित्तीय संस्थानों से अनुदान और ऋण। • बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, जैसे अधिमान्य बाजार पहुंच और विशेष उपचार। • तकनीकी सहायता, विशेष रूप से, व्यापार को मुख्यधारा में लाने के लिए (उन्नत एकीकृत ढांचा)। **अवश्य पढ़े:** ग्लोबल हंगर इंडेक्स

अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिये आयोग (CCAMLR)	**संदर्भ:** हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि भारत अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण आयोग (CCAMLR) के प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेगा।
	इसके बारे में:-
	• यह अंटार्कटिक समुद्री जीवन के संरक्षण के उद्देश्य से 1982 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था।
	• यह 27 सदस्यों वाला एक अंतरराष्ट्रीय आयोग है।
	• **महत्वपूर्ण सदस्य:** ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, यूके, यूएसए आदि।
	• अब तक 10 देशों ने कन्वेंशन को स्वीकार किया है।
	• भारत कन्वेंशन का सदस्य है।
	• CAMLR कन्वेंशन 7 अप्रैल 1982 को लागू हुआ।
	• इसका सचिवालय ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य के होबार्ट शहर में स्थित है।
	• कन्वेंशन क्षेत्र में अनुसंधान, निगरानी और संरक्षण उपायों के अनुप्रयोग के सीसीएएमएलआर के कार्यक्रम अंटार्कटिक संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
	संयुक्त राष्ट्र 30×30 फ्रेमवर्क के बारे में:-
	• यह संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, COP15 द्वारा अपनाया गया एक ऐतिहासिक समझौता है।
	• **COP15**
	  ○ यह मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित किया गया था।
	  ○ इसे मूल रूप से 2020 में चीन के कुनमिंग में आयोजित किया जाना था, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
	• **"30 तक 30 लक्ष्य" (30 by 30 goal):** यह लक्ष्य इस समझौते द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसका

	उद्देश्य वर्ष 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि, महासागरों, तटीय क्षेत्रों और अंतर्देशीय जल की रक्षा करना है। • संयुक्त राष्ट्र ने पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकने के लिए अगले 10 वर्षों को "बहाली के दशक" के रूप में नामित किया है। • 30×30 लक्ष्य विशेष रूप से अत्यावश्यक है क्योंकि किसी पर्यावरण को नष्ट होने से बचाना आसान है बजाय इसके कि पहले से खराब हो चुके वातावरण को फिर से बनाया जाए। • संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, समुद्र के 7.74% के साथ, दुनिया भर में अनुमानित 16.44% भूमि वर्तमान में संरक्षित है। • मोटे तौर पर सभी भूमि पर्यावरण का तीन-चौथाई और समुद्र का दो-तिहाई हिस्सा मानवीय गतिविधियों के कारण काफी खराब हो गया है। • 30% संरक्षण लक्ष्य ग्रह को ठीक होने का अवसर देता है और लाखों प्रजातियों को विलुप्त होने से बचा सकता है। • देश कानून के माध्यम से अपनी 30% भूमि और समुद्री स्थानों की रक्षा कर सकते हैं। **अवश्य पढ़े:** समुद्री संसाधनों का संरक्षण और बिम्सटेक तथा समुद्री संरक्षण

ONLINE

IAS BABA

Most Trusted

Integrated Learning Program (ILP) - 2024

The Most Comprehensive Self-Study Program

1. VAN (Comprehensive Notes for entire UPSC Syllabus)
2. Daily MICRO Planning
3. Mains Tests-59 and Discussion Videos
4. Prelims Tests-67
5. Dedicated Portal and App
6. Answer writing forum & Model Answers
7. Effective NewsPaper Reading Sessions
8. Infographics on important topics

ADMISSION OPEN

Scan Here to Know More

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रोटॉन बीम थेरेपी	**संदर्भ:** हाल के अध्ययन कैंसर के साथ कई लोगों के लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी की दुर्गमता के बारे में चर्चा करते हैं। **प्रोटॉन बीम थेरेपी उपचार के बारे में:** • प्रोटॉन बीम थेरेपी एक प्रकार का कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिये उच्च-ऊर्जा प्रोटॉन बीम का उपयोग करती है। • प्रोटॉन चिकित्सा एक नए प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जो धनावेशित कणों (प्रोटॉन) से ऊर्जा का उपयोग करती है। • प्रोटॉन चिकित्सा ने कई प्रकार के कैंसर के उपचार में आशा दिखाई है। • यह पारंपरिक विकिरण की तुलना में कम दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है क्योंकि डॉक्टर बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं कि प्रोटॉन बीम अपनी ऊर्जा कहाँ पहुँचाते हैं। • प्रोटॉन थेरेपी सटीक रूप से बहुत विशिष्ट स्थानों को लक्षित करती है, जिसके परिणामस्वरूप आसपास के ऊतकों को कम नुकसान हो सकता है, जबकि पारंपरिक विकिरण चिकित्सा कम लक्षित होती है, और ट्यूमर के क्षेत्र में अधिक "सामान्य" कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। • प्रोटॉन बीम थेरेपी एक ही प्रकार का उपचार नहीं है, बल्कि इसके विभिन्न प्रकार और तरीके हैं। **लाभ:** • कम दीर्घकालिक क्षति के साथ सटीक वितरण • यह 'उच्च विकिरण खुराक' की अनुमति देता है • यह आसपास के ऊतकों को कम नुकसान और कम दीर्घकालिक जोखिम का कारण बनता है। • प्रोटॉन बीम को नियंत्रित करना आसान होता है • इसे अच्छी तरह सहन किया जा सकता है • इसका उपयोग निष्क्रिय ट्यूमर के लिए किया जाता है **हानि** • यह विकिरण क्षेत्र के बाहर कैंसर को चूक कर सकता है। • मौजूदा समय में, प्रोटॉन बीम थेरेपी पारंपरिक विकिरण थेरेपी से लगभग दोगुनी महंगी है। • प्रोटॉन थेरेपी के साथ चुनौतियों में गति प्रबंधन और शरीर रचना में परिवर्तन शामिल हैं जो उपचार से पहले और उसके दौरान होते हैं। • प्रोटॉन बीम चिकित्सा केंद्रों की सीमित उपलब्धता। **अनुप्रयोग:** प्रोटॉन चिकित्सा का इस्तेमाल कभी-कभी निम्नलिखित के उपचार के लिए किया जाता है: इनमें ब्रेन ट्यूमर, विभिन्न प्रकार के कैंसर जिनमें ब्रेस्ट कैंसर, लिंफोमा, पिट्यूटरी ग्रंथि ट्यूमर आदि शामिल हैं।
स्क्रब टाइफस	**संदर्भ:** हाल के अध्ययनों से पता चला है कि कॉम्बिनेशन थैरेपी स्क्रब टाइफस में अधिक जीवन बचा सकती है। **स्क्रब टाइफस के बारे में:** 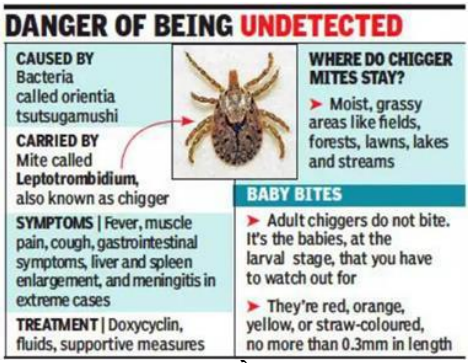 • स्क्रब टाइफस को बुश टाइफस (Bush typhus) के नाम से भी जाना जाता है।

	• सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार यह एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो Orientia tsutsugamushi नामक बैक्टीरिया से होता है। • स्क्रब टाइफस संक्रमित चीगर (लार्वा माइट) के काटने से लोगों में फैलता है। • स्क्रब टाइफस के सबसे आम लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और कभी-कभी दाने शामिल हैं। • स्क्रब टायफस से बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। **डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में:** • डॉक्सीसाइक्लिन एक ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कुछ जीवाणु और परजीवी संक्रमण जैसे जीवाणु निमोनिया, मुँहासे, क्लैमाइडिया संक्रमण, लाइम रोग, हैजा, टाइफस और सिफलिस के उपचार में किया जाता है।
एरिथ्रिटोल	**संदर्भ:** हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि कृत्रिम स्वीटनर एरिथ्रिटोल दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ा सकता है। **एरिथ्रिटोल के बारे में:** 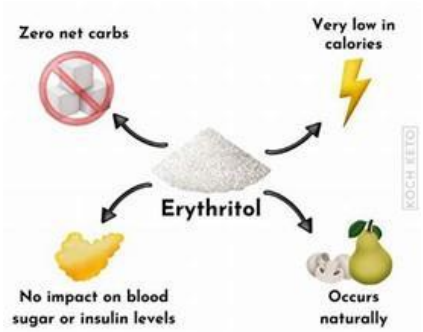 • यह एक चीनी शराब है जिसका उपयोग कम कैलोरी वाले स्वीटनर के रूप में किया जाता है। • एरिथ्रिटोल चीनी अल्कोहल नामक यौगिकों के एक वर्ग से संबंधित है। • अन्य चीनी अल्कोहल: ज़ाइलिटोल, सोर्बिटोल और माल्टिटोल है। • चीनी की केवल 6% कैलोरी के साथ, इसमें अभी भी 70% मिठास होती है। **प्राकृतिक घटना और उत्पादन** • एरीथ्रिटोल, सॉर्बिटोल और ज़ाइलिटोल की तरह, एक चीनी शराब है जो स्वाभाविक रूप से कई फलों, सब्जियों और फर्मेन्टेड फ़ूड में पाया जाता है। • यह मानव शरीर के तरल पदार्थ जैसे आंखों के लेंस ऊतक, सीरम, प्लाज्मा, भ्रूण द्रव और मूत्र में भी होता है। • औद्योगिक स्तर पर, यह एक यीस्ट, मोनिलिएलापोलिनिस के साथ किण्वन द्वारा ग्लूकोज से उत्पन्न होता है। **उपयोग** • इसका उपयोग कॉफी और चाय, तरल आहार पूरक, रस मिश्रण, शीतल पेय, और स्वादयुक्त पानी उत्पाद विविधताओं जैसे पेय पदार्थों में किया जाता है, जिसमें कन्फेक्शन, बिस्कुट और कुकीज़, टेबलटॉप स्वीटनर और चीनी मुक्त च्यूइंग गम शामिल हैं। **लाभ :** • यह चीनी मुक्त या कम चीनी वाले उत्पादों में कम कैलोरी मिठास के रूप में कार्य करता है। • यह प्रकृति में कम मात्रा में पाया जाता है, खासकर फलों और सब्जियों में। • इसमें लगभग कोई कैलोरी नहीं होती है। • यह रक्त शर्करा या इंसुलिन के स्तर को नहीं बढ़ाता है। • मानव अध्ययन बहुत कम दुष्प्रभाव दिखाते हैं। **एरिथ्रिटोल के दुष्प्रभाव:-** • आपके द्वारा खाए जाने वाले एरिथ्रिटोल का लगभग 90% आपके रक्तप्रवाह में अवशोषित हो जाता है। • इनकी अनूठी रासायनिक संरचना के कारण, शरीर इन्हें पचा नहीं सकता है, और जब तक वे बृहदान्त्र तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये अधिकांश पाचन तंत्र से अपरिवर्तित हो जाते हैं। • बृहदान्त्र में, ये रेजिडेंट बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होते हैं, जो उप-उत्पाद के रूप में गैस का उत्पादन करते हैं। • परिणामस्वरूप, बड़ी मात्रा में चीनी अल्कोहल खाने से सूजन और पाचन खराब हो सकता है।

शुक्र (वीनस)

संदर्भ: वैज्ञानिकों को पहली बार शुक्र की सतह पर हाल ही में ज्वालामुखी गतिविधि का प्रत्यक्ष भूगर्भीय साक्ष्य मिला है।

शुक्र के बारे में:-

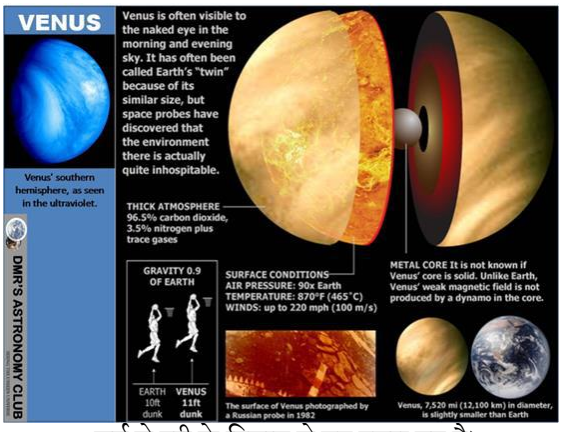

- सूर्य से दूरी के हिसाब से यह दूसरा ग्रह है।
- शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह पड़ोसी है।
- यह संरचना में समान है लेकिन पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां (Earth's Twin) कहा गया है।
- शुक्र कार्बन डाइऑक्साइड से भरे एक मोटे, जहरीले वातावरण में लिपटा हुआ है जो गर्मी को रोक लेता है।
- शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है।
- शुक्र का तापमान बहुत अधिक है, और इसका वातावरण अत्यधिक अम्लीय है।
- सतह का तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट (471 डिग्री सेल्सियस) तक पहुँच जाता है, जो लेड को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है।
- शुक्र पर, सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है।
- शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है, क्योंकि यह पृथ्वी और अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूम रहा है।
- शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है और कोई वलय नहीं है।

अवश्य पढ़े: Shukrayaan I

बैक्टीरियल सेलूलोज़

संदर्भ: हाल के शोधों से पता चलता है कि कैसे बैक्टीरियल सेलूलोज़ शाकाहारी चमड़े (vegan leather) और अन्य पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित सामग्री को विकसित करने में मदद कर सकता है।

बैक्टीरियल सेल्यूलोज के बारे में:-

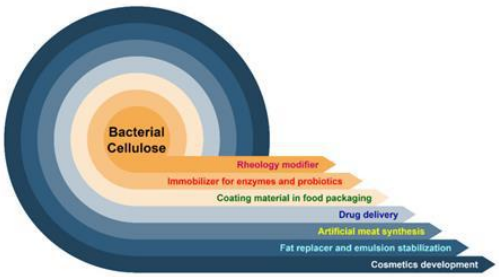

- यह कुछ प्रकार के जीवाणुओं द्वारा निर्मित एक कार्बनिक यौगिक है।
- इसकी खोज 1886 में जे. ब्राउन ने की थी।
- इसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला जीवाणु है।
- बैक्टीरियल सेल्युलोज (बीसी) को प्रचुर मात्रा में अनुप्रयोगों के साथ एक बहुमुखी, बहुमुखी बायोमटेरियल के रूप में पहचाना जाता है।

विशेष गुण:-

- यह लिग्निन और मोम (wax) जैसी अशुद्धियों से मुक्त है।
- यह जल धारण क्षमता और अन्य यांत्रिक गुणों को दर्शाता है।

उपयोग:-

	• यह बैग जैसे उत्पाद बनाने में चमड़े की जगह ले सकता है। • इसके पॉलिमर का उपयोग बायोमेडिसिन जैसे अन्य उद्योगों में किया जा सकता है। • यह एंटीबायोटिक्स जैसे बायोएक्टिव यौगिकों के वाहक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। • शुद्ध और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित कार्यात्मक सामग्री विकसित करने में इसका उपयोग होता है। • यांत्रिक गुण इसे हरित सम्मिश्र के उत्पादन और टिश्यू इंजीनियरिंग, चिकित्सा प्रत्यारोपण, और बायोफिल्म से निपटने में उपयोगी बनाते हैं। **चुनौतियां:-** • इसकी उच्च उत्पादन लागत इसके व्यावसायिक रूप से अपनाने में एक चुनौती है। **अवश्य पढ़े: CRISPR बायोटेक्नोलॉजी**
पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रभाव	**संदर्भ:** हाल ही में वैज्ञानिकों ने द्रव्यों में पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रभाव के साक्ष्य की सूचना दी है। **पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में:-** 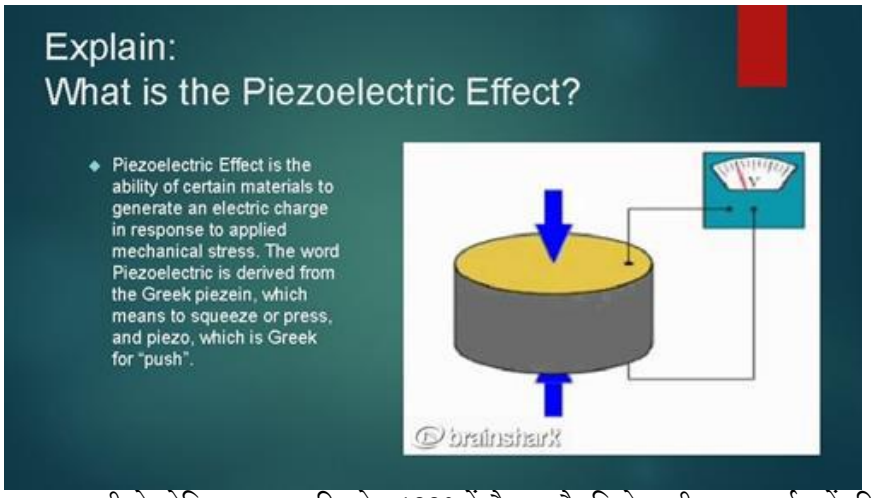 • पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज 1880 में जैक्स और पियरे क्यूरी द्वारा क्वार्ट्ज में की गई थी। • पीजो' का अर्थ दबाना या निचोड़ना है। • पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें कुछ सामग्री यांत्रिक तनाव या दाब की प्रतिक्रिया में विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। • पीजोइलेक्ट्रिक गुण मुख्य रूप से एक सामग्री की यांत्रिक और विद्युत विशेषताओं के बीच परस्पर क्रिया पर आधारित है। • सामग्री को एक साथ रखने वाले बांड इलेक्ट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉन बिजली का आधार हैं। • सामग्री यांत्रिकी और सामग्री इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक संबंध मौजूद है। • इसलिए, एक को बदलने से दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। • यह प्रभाव 143 वर्षों से ज्ञात है और इस समय में केवल ठोस पदार्थों में देखा गया है। • **उपयोग:** ○ पीज़ोइलेक्ट्रिक सामग्री का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे- सेंसर, एक्चुएटर्स (एक उपकरण है जो तंत्र में जाने वाली ऊर्जा और संकेतों को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करता है) एवं ऊर्जा संचयन उपकरणों में। ○ सामान्य पीज़ोइलेक्ट्रिक सामग्रियों के कुछ उदाहरणों में क्वार्ट्ज़, सिरेमिक एवं कुछ प्रकार के क्रिस्टल शामिल हैं। **अवश्य पढ़े:** लिथियम-आयन बैटरी
उपग्रहों की अनियंत्रित पुन: प्रविष्टि	**संदर्भ:** हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेटों के अनियंत्रित पुन: प्रवेश से हवाई जहाज को हिट होने के बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। **उपग्रहों की अनियंत्रित पुन: प्रविष्टि के बारे में:-**

- एक अनियंत्रित पुन: प्रवेश चरण में रॉकेट नीचे की ओर गिरता है।
- इसके गिरने का मार्ग इसके आकार, अवरोहण कोण, वायु धाराओं और अन्य विशेषताओं से निर्धारित होता है।
- गिरने के साथ ही यह विघटित भी हो जाता है।

संबंधित चिंताएँ:

- जैसे-जैसे इसके छोटे टुकड़े बाहर निकलते हैं, भूमि पर इसके प्रभाव की विभव त्रिज्या बढ़ जाती है।
- कुछ टुकड़े पूरी तरह से जल जाते हैं जबकि अन्य नहीं।
- लेकिन जिस गति से ये बढ़ रहे हैं उसके कारण मलबा घातक हो सकता है।
- यदि फिर से प्रवेश करने के चरणों में भी ईंधन बचा हुआ है, तो वायुमंडलीय और स्थलीय रासायनिक संदूषण एक और अन्य जोखिम है।

विनियम:-

- यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता नहीं है कि रॉकेट चरण हमेशा नियंत्रित पुन:प्रवेश करते हैं और न ही उन तकनीकों पर जिनके साथ उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है।
- उत्तरदायित्त्व समझौता 1972 में देशों को नुकसान के लिये भुगतान करने की आवश्यकता है, उन्हें रोकने की नहीं।
    - इन तकनीकों में विंग-जैसे अटैचमेंट, डी-ऑर्बिटिंग ब्रेक, रीएंटरिंग बॉडी पर अधिक ईंधन, और डिज़ाइन में बदलाव शामिल हैं जो मलबे के गठन को कम करते हैं।

अवश्य पढ़ें: रिसैट और रिसैट-2B

बॉक्साइट- प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम)

संदर्भ: हाल ही में, NALCO-BARC ने भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) जारी की।

इसके बारे में:-

- CRM धातु के ब्लॉक होते हैं, जो प्रमाण पत्र के साथ आते हैं और उनकी अनिश्चितता के स्तर के साथ-साथ उनके विभिन्न घटक तत्वों की एकाग्रता का संकेत देते हैं।
- CRM का उपयोग बॉक्साइट के नियमित विश्लेषण में विश्लेषणात्मक तरीकों, उपकरण प्रदर्शन मूल्यांकन और डेटा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अंशांकन मानकों के रूप में किया जाता है।
- CRM को नौ संपत्ति मूल्यों - Al_2O_3, Fe_2O_3, SiO_2, TiO_2, V_2O_5, MnO, Cr_2O_3, MgO और LOI के लिए प्रमाणित किया गया था, जो कि इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं।
- NALCO-BARC ने भारत की पहली बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) जारी की।
- यह भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में पांचवां सीआरएम है।
- इसे नालको द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (Bhabha Atomic Research Centre-BARC) के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसे BARC B1201 नाम दिया गया है।
- सीआरएम बॉक्साइट परीक्षण और विश्लेषण के लिए एक मानक के रूप में कार्य करेगा, और यह परीक्षण में अधिक सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करेगा।
- यह महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है, जो देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के एक डिवीज़न, राष्ट्रीय प्रमाणित संदर्भ सामग्री केंद्र (NCCRM) ने बॉक्साइट CRM (NPL) को प्रमाणित किया है।

	○ सीआरएम उच्चतम सटीकता और विश्वसनीयता मानकों को पूरा करता है यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया में व्यापक परीक्षण और विश्लेषण शामिल है। **नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO):-** • इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। • यह खान मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्य करता है। • यह एक अनुसूची 'A' नवरत्न CPSE है। • भुवनेश्वर में इसका एक पंजीकृत कार्यालय है। • यह देश के सबसे बड़े एकीकृत बॉक्साइट-एल्यूमिना-एल्युमीनियम-पावर कॉम्प्लेक्स में से एक है। • यह एल्युमिना और एल्युमीनियम का देश का अग्रणी निर्माता और निर्यातक है। **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)** • यह परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अधीन है। • यह परमाणु विज्ञान, रसायन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और धातु विज्ञान के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले उन्नत अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे के साथ एक बहु-विषयक अनुसंधान केंद्र है। • यह भारतीय परमाणु कार्यक्रम और संबंधित क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जीव विज्ञान और चिकित्सा, सुपरकंप्यूटिंग, उच्च-ऊर्जा भौतिकी और प्लाज्मा भौतिकी इत्यादि से संबंधित अनुसंधान कार्य करता है। • **भाभा केंद्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान रिएक्टर:-** ○ **अप्सरा-यू (अप्सरा-उन्नत):** स्वदेशी रूप से विकसित कम समृद्ध यूरेनियम (एलईयू) ईंधन यूरेनियम सिलिसाइड के रूप में रिएक्टर में उपयोग किया जाता है। ○ अप्सरा क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर था। ○ ZERLINA मॉडरेटर और शीतलक दोनों के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम धातुई ईंधन और भारी पानी पर आधारित 100 वाट का थर्मल रिएक्टर था। ○ CIRUS रिएक्टर (40 MWth) कनाडा के सहयोग से बनाया गया था और 1960 में चालू किया गया था। ○ ध्रुवा (DHRUVA) की परिकल्पना 1970 के दशक में रेडियोआइसोटोप और उन्नत की बढ़ती मांग के अलावा बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान के लिए उच्च न्यूट्रॉन प्रवाह वाले अनुसंधान रिएक्टर की आवश्यकता के कारण की गई थी। ○ PURNIMA-I ईंधन के रूप में प्लूटोनियम ऑक्साइड के साथ BARC में निर्मित पहला प्रायोगिक फास्ट रिएक्टर था। ○ PURNIMA-II BARC में 100 mW का प्रायोगिक थर्मल रिएक्टर था जिसने 1984 में क्रांतिकता हासिल की थी। ○ PURNIMA-III एक और 233U आधारित 1 W थर्मल रिएक्टर था जिसे BARC में बनाया गया था जिसका उद्देश्य KAMINI रिएक्टर के लिए मॉकअप अध्ययन करना था। ○ उन्नत भारी जल रिएक्टर के लिए महत्वपूर्ण सुविधा (AHWR-CF) **अवश्य पढ़े:** माली परबत बॉक्साइट खदान
सिरेमिक रेडोम प्रौद्योगिकी	**संदर्भ:** हाल ही में, मुरुगप्पा समूह के स्वामित्व वाली कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड (CUMI) ने घोषणा की कि उसने सिरेमिक रेडोम टेक्नोलॉजी के लिए DRDO की RCI प्रयोगशाला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। **सिरेमिक रेडोम प्रौद्योगिकी के बारे में:-**

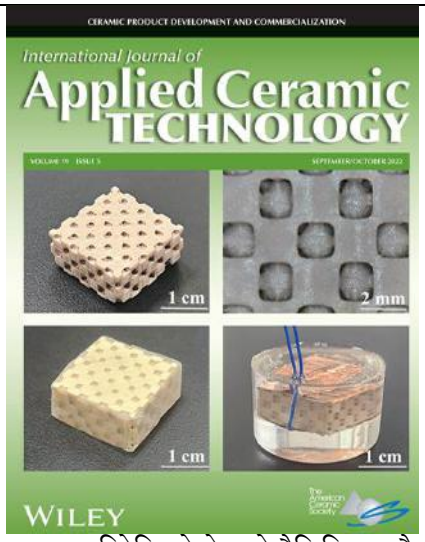

- सिरेमिक रेडोम को बैलिस्टिक और सामरिक मिसाइलों और उच्च प्रदर्शन वाले विमानों के लिए अत्याधुनिक तकनीक माना जाता है।
- सिरेमिक रडोम को रिसर्च सेंटर इमारत (Research Centre Imarat-RCI) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
    - रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) ने भारत के मिसाइल शस्त्रागार को विकसित किया है।
    - यह भारत की प्रमुख DRDO प्रयोगशाला है।
    - यह कण्ट्रोल इंजीनियरिंग, जड़त्वीय नेविगेशन, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स और सिस्टम, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और मिशन सॉफ्टवेयर की तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास करता है।

सिरेमिक रेडोम की आवश्यकता:-

- मिसाइलें वायुमंडल में जाते समय और अंतरिक्ष से पुन: प्रवेश करते समय अत्यधिक उच्च सतह के तापमान से गुजरती हैं।
- उन तापमानों का सामना करने के लिए मिसाइल की नोक पर स्थित रेडोम सिरेमिक से बने होते हैं।

सिरेमिक:-

- इन्हें अकार्बनिक और गैर-धातु सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो हमारी दैनिक जीवन शैली के लिए आवश्यक हैं।
- ये संक्षारण प्रतिरोधी, कठोर और भंगुर होते हैं।
- अधिकांश सिरेमिक उत्कृष्ट इंसुलेटर भी हैं और उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं।

रेडोम्स:-

- ये संरचनाएं या बाड़े हैं जिन्हें एंटीना और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स को आसपास के वायुमंडल और बारिश, UV लाइट आदि जैसे तत्वों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अवश्य पढ़े: DRDO का नया प्रोक्योरमेंट मैनुअल

प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी

प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी के बारे में:-

- फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी प्रतिदीप्ति के दृश्य के साथ एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के आवर्धक गुणों को जोड़ती है।
- प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है जो नमूनों को रोशन करने के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग करने के बजाय, एक उच्च तीव्रता (कम तरंग दैर्ध्य) प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है जो एक फ्लोरोफोर (जिसे फ्लोरोक्रोम भी कहा जाता है) नामक एक फ्लोरोसेंट अणु को उत्तेजित करता है।
- **फ्लोरेसेंस:** एक घटना जो घटित होती है जब पदार्थ (फ्लोरोफोर) किसी दिए गए तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उच्च तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं।
- फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के आवर्धक गुणों को प्रतिदीप्ति प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ती है।

तकनीक:-

- नए अध्ययन में, उनके सेट-अप में दो प्लेक्सीग्लास सतहें, एक एलईडी टॉर्च, तीन थिएटर स्टेज-लाइटिंग फिल्टर, एक क्लिप-ऑन मैक्रो लेंस और एक स्मार्टफोन शामिल हैं।

	• स्मार्टफोन (लेंस संलग्न के साथ) एक सतह पर रखा गया है जो ऊंचाई पर निलंबित है (जैसे, एक फुट ऊपर)। • दूसरी शीट नीचे रखी गई है और वस्तु को रखती है। • स्टेज-लाइटिंग फिल्टर में से एक को टॉर्च और वस्तु के बीच रखा जाता है और अन्य दो को वस्तु और स्मार्टफोन के बीच रखा जाता है। • रोशनी के स्रोत भी अलग-अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली एलईडी फ्लैश लाइट्स थीं। **अनुप्रयोग:-** • फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप बायोमेडिकल रिसर्च और क्लिनिकल पैथोलॉजी में सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। • फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप मल्टीकलर स्टेनिंग, कोशिकाओं के भीतर संरचनाओं के लेबलिंग और सेल की शारीरिक अवस्था के मापन की अनुमति देता है। • फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप कोयले की बनावट और संरचना को देखने में मदद करता है। • फ्लोरेसेंट डाई का उपयोग करते हुए सिरेमिक में सरंध्रता का अध्ययन करना। • माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की पहचान करने के लिए। **अवश्य पढ़े :** भारत का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम
एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान दिया कि वह रियल-टाइम के आधार पर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के माध्यम से मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। **इसके बारे में:-** • एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को वर्ष 2004 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। • यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 12वीं योजना (2012-17) के दौरान जारी रहा। • यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। • राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (National Centre for Disease Control-NCDC) की केंद्रीय निगरानी इकाई (Central Surveillance Unit-CSU) साप्ताहिक आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से रोग फैलने की रिपोर्ट प्राप्त करती है। • निगरानी डेटा तीन निर्दिष्ट रिपोर्टिंग प्रारूपों पर एकत्र किया जाता है, अर्थात् "S" (संदिग्ध मामले), "P" (अनुमानित मामले), और "L" (प्रयोगशाला पुष्टि मामले) क्रमशः स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों और प्रयोगशाला कर्मचारियों द्वारा भरे जाते हैं। **H3N2 फ्लू के बारे में :-** • फ्लू एक सांस की बीमारी है जो इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होती है। • इन्फ्लूएंजा वायरस चार प्रकार के होते हैं: A, B, C, और D। • इन्फ्लुएंजा A, B, और C मनुष्यों में फैल सकता है। • हालांकि, केवल इन्फ्लुएंजा A और B सांस की बीमारी की मौसमी महामारी का कारण बनते हैं जो हर साल होती है। • इन्फ्लुएंजा A वायरस को उनके HA और NA दोनों उपप्रकारों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। • कुछ इन्फ्लुएंजा A उपप्रकारों में H1N1 (कभी-कभी स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है) और H3N2 शामिल हैं। • H3N2 वायरस पहली बार 1968 में मानव में खोजा गया था। **H3N2 के लक्षण:** खांसी, बहती या बंद नाक, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ठंड लगना, थकान, दस्त और उल्टी। **उपचार :-** इन्फ्लुएंजा A के लिए सामान्य एंटीवायरल नुस्खे में शामिल हैं: • ज़नामिविर (रिलेंज़ा) • ओसेल्टामिविर (टैमीफ्लू) • पेरामिविर (रपीवब) **H3N2 के लिए टीका:-**

	• त्रिसंयोजक टीके में एक H1N1, H3N2, और इन्फ्लुएंजा B स्ट्रेन शामिल है, जबकि एक अतिरिक्त इन्फ्लुएंजा B स्ट्रेन क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन में शामिल है। **अवश्य पढ़े:** भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और मारबर्ग वायरस रोग (MVD)
मल्टी-एंगल इमेजर एयरोसोल्स (MAIA) मिशन	**संदर्भ:** नासा ने हाल ही में घोषणा की कि वह एयरोसोल्स मिशन (MAIA) के लिए मल्टी-एंगल इमेजर बनाने और लॉन्च करने के लिए इटालियन स्पेस एजेंसी ASI (AgenziaSpazialeItaliana) के साथ साझेदारी कर रहा है। **मल्टी-एंगल इमेजर एयरोसोल्स (MAIA) मिशन के बारे में :** • यह नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी एएसआई के बीच एक संयुक्त मिशन है। • MAIA वेधशाला 2024 के अंत से पहले लॉन्च होने के लिए तैयार है। **उद्देश्य:** दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों की जांच करना। • इसमें PLATiNO-2 उपग्रह शामिल होगा, जो ASI द्वारा प्रदान किया जाएगा, और एक विज्ञान उपकरण जो NASA की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) में बनाया जाएगा। • इसमें मल्टी-एंगल व्यूइंग, फ्रीक्वेंट टारगेट रीविजिट और इनफ्लाइट कैलिब्रेशन के लिए टू-एक्सिस जिम्बल पर एक पुश ब्रूम स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्रिक कैमरा शामिल है। • ऑब्जर्वेटरी, भू-आधारित सेंसर और वायुमंडलीय मॉडल सभी का उपयोग MAIA मिशन के डेटा संग्रह और विश्लेषण में किया जाएगा। • एरोसोल प्रदूषकों और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों जैसे प्रतिकूल जन्म परिणामों, हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों, और समय से पहले होने वाली मौतों के बीच मौजूद कनेक्शन को बेहतर ढंग से समझने के लिए, शोधकर्ता MAIA जांच के भाग के रूप में जनसंख्या स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ MAIA मापों को जोड़ेंगे। • तीन साल के मिशन के दौरान, मल्टी-एंगल इमेजर एयरोसोल्स 11 प्राथमिक लक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनमें लॉस एंजिल्स, अटलांटा, बोस्टन, रोम, अदीस अबाबा, इथियोपिया, बार्सिलोना, स्पेन, बीजिंग, जोहान्सबर्ग, नई दिल्ली, ताइपे, ताइवान; और तेल अवीव शामिल हैं। **अवश्य पढ़े: मिशन शक्ति और आदित्य-L1 मिशन**
एकीकृत मोबाइल छलावरण प्रणाली	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय सेना ने एक स्टार्ट-अप से एकीकृत मोबाइल छलावरण प्रणाली की खरीद की। **इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमॉफ्लाज सिस्टम के बारे में:-** • बख़्तरबंद लड़ाकू वाहन (AFVs) अपने आसपास के इलाके के साथ मिल सकते हैं। • इसमें कम उत्सर्जन और/या CAM-IIR कोटिंग्स और मोबाइल छलावरण प्रणाली सामग्री शामिल है जो बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों (AFVs) को उनके इलाके की पृष्ठभूमि के साथ मिश्रण करने में सक्षम बनाती है। • दिए गए पर्यावरण और मौसम की स्थिति के तहत हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर (HHTI)/बैटल फील्ड सर्विलांस रडार (BFSR) टैंक-आधारित थर्मल कैमरा के माध्यम से देखे जाने पर यह AFVs की पहचान सीमा में कमी प्राप्त करता है। • ऑब्जेक्ट के विज़ुअल, थर्मल, इंफ्रारेड और रडार सिग्नेचर को रेगुलेट करके, यह सिग्नेचर को मैनेज करता है। • एएफवी के लिए, यह उनकी चुपके से क्षमता में काफी सुधार करेगा। • इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) प्रोग्राम के तहत यह भारतीय सेना का अब तक का पहला खरीद ऑर्डर है। **रक्षा उत्कृष्टता के लिए परियोजना (iDEX):-** • इसे iDEX प्रोजेक्ट के तहत अप्रैल 2018 में पेश किया गया था। • **उद्देश्य:** MSMEs, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, और R&D संस्थानों जैसे उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में आत्मनिर्भरता हासिल करना और नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करना। **अवश्य पढ़े:** DRDO द्वारा चैफ तकनीक

रक्षा

फ्रिंजेक्स-2023	**संदर्भ:** भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास, FRINJEX-23 हाल ही में केरल में शुरू हुआ। **इसके बारे में:** • यह भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच अब तक का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। • FRINJEX-23 केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया था। • यह अभ्यास अपनी अवधारणा और भागीदारी में अद्वितीय है, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी मैदान में उतरी है। • तिरुवनंतपुरम स्थित इस अभ्यास में भारतीय सेना के सैनिक और फ्रांसीसी 6वीं लाइट आर्मर्ड ब्रिगेड होंगें। • अभ्यास के लिए विषय "मानवीय सहायता और एक विवादित वातावरण में आपदा राहत संचालन" पर आधारित है। **अवश्य पढ़े:** भारत-फ्रांस संबंध
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलेस एक्सप्रेस 2023 (IMX/CE-23) और INS त्रिकंद	**संदर्भ:** INS त्रिकंद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/ कटलैस एक्सप्रेस 2023 (IMX/CE-23) में भाग लेगा जो खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलेस एक्सप्रेस 2023 (IMX/CE-23) के बारे में:** • IMX/CE-23 दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है। • यह भारतीय नौसेना की पहली IMX भागीदारी है। • अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का समन्वय अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त समुद्री सेना (CMF) द्वारा किया जाता है। • संयुक्त समुद्री बल (CMF) - एक 34-देशों का नौसैनिक समूह जो सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना चाहता है। • भारत 2022 में CMF का सहयोगी सदस्य बन गया। • यह दूसरा अवसर है जब एक भारतीय नौसेना जहाज CMF द्वारा आयोजित अभ्यास में भाग ले रहा है। • इससे पहले नवंबर, 2022 में आईएनएस त्रिकंद ने सीएमएफ के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी सोर्ड 2 में भाग लिया था। **INS त्रिकंद के बारे में:** • यह एक अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। • इसे वर्ष 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। • यह रूसी संघ में निर्मित तीन "फॉलो ऑन तलवार क्लास" युद्धपोतों में से अंतिम है। • इस श्रेणी के अन्य जहाज आईएनएस तेग और आईएनएस तरकश हैं। • आईएनएस त्रिकंद में अत्याधुनिक कॉम्बैट सूट है जिसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल श्रिटल, उन्नत A190 मध्यम रेंज की गन, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल 30 मिमी क्लोज-इन वेपन सिस्टम, एंटी-सबमरीन हथियार जैसे टॉरपीडो और रॉकेट और एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के रूप में शामिल हैं। • हथियारों और सेंसर को कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम 'ट्रेबोवानी-एम' के माध्यम से एकीकृत किया गया है, जो जहाज को एक साथ कई सतहों, उप-सतह और हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम बनाता है। • जहाज में रडार, चुंबकीय और ध्वनिक सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीन विशेषताएं भी शामिल हैं, जिसने जहाजों के इस वर्ग को 'स्टील्थ' फ्रिगेट्स की उपाधि दी है। • जहाज चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित है और 30 समुद्री मील से अधिक की गति में सक्षम है। • जहाज एक एकीकृत कामोव 31 हेलीकॉप्टर ले जा सकता है जो हवाई पूर्व चेतावनी भूमिकाओं के लिए सबसे उपयुक्त है।

MAINS

राजव्यवस्था और शासन

जन विश्वास विधेयक

संदर्भ: हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में जन विश्वास विधेयक, 2022 को 42 विधानों में 183 अपराधों को "गैर-अपराधीकरण" करने और भारत में रहने तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **कुछ अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना:** विधेयक के तहत कुछ अधिनियमों में कारावास की सज़ा वाले कई अपराधों को केवल अर्थ दंड लगाकर अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
    - उदाहरण के लिए, कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937 के तहत, नकली ग्रेड पदनाम चिह्न तीन वर्ष तक के कारावास और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ दंडनीय है।
    - यह विधेयक इसके स्थान पर आठ लाख रुपए के ज़ुर्माने का प्रावधान करता है।
- **अर्थदंड और ज़ुर्माने में संशोधन:** कुछ अधिनियमों में, जुर्माने के बजाय जुर्माना लगाकर अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
    - उदाहरण के लिये पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत भारत में पेटेंट के रूप में गलत प्रतिनिधित्त्व वाली वस्तु बेचने वाले व्यक्ति पर एक लाख रुपए तक का ज़ुर्माना लगाया जा सकता है।
    - यह विधेयक अर्थदंड (फाइन) के स्थान पर ज़ुर्माने (पेनाल्टी) का प्रावधान करता है, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।
- एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति: विधेयक के अनुसार, केंद्र सरकार दंड निर्धारित करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्त कर सकती है। निर्णायक अधिकारी:
    - व्यक्तियों को साक्ष्य के लिये समन भेज सकते हैं
    - संबंधित अधिनियमों के उल्लंघन की जाँच कर सकते हैं।
- इन अधिनियमों में कृषि उपज (ग्रेडिंग और अंकन) अधिनियम, 1937, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 शामिल हैं।
- **अपीलीय तंत्र:** विधेयक न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश से परेशान किसी भी व्यक्ति के लिये अपीलीय तंत्र को भी निर्दिष्ट करता है।
    - उदाहरण के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत आदेश के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।

विधेयक का महत्व:

- सरकार का लक्ष्य ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के जरिए "मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस" हासिल करना है।
- इसमें अनुपालन बोझ को कम करने और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए अनुपालन को सरल बनाना, डिजिटाइज़ करना और तर्कसंगत बनाना शामिल है।
- सरकार का लक्ष्य निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देना और भारत को सबसे पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाना है, इसके लिए मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और उन्हें मौद्रिक दंड से बदल दिया गया है।
- यह न केवल जीवन और व्यवसायों को आसान बनाएगा बल्कि न्यायिक बोझ को भी कम करेगा।
- प्रस्तावित विधेयक में अपराध की गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंड का युक्तिकरण और हर वर्ष के बाद अर्थदंड (फाइन) और जुर्माने की न्यूनतम राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।
    - यह भरोसे पर आधारित शासन को मजबूत करेगा।

विधेयक के विरुद्ध आलोचनाएं:

- विधेयक 'अर्द्ध-गैरअपराधीकरण' (Quasi-Decriminalisation) को भी अपने दायरे में ला सकता है।
- ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट जेल्ड फॉर डूइंग बिज़नेस के अनुसार, भारत में कुल 843 आर्थिक विधानों, नियमों तथा विनियमों में 26000 से अधिक कारावास संबंधी उपखंड हैं जो भारत में व्यवसायों एवं आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करते हैं।

- इस आलोक में विधेयक के तहत गैर-अपराध की श्रेणी में शामिल किये गए अपराधों की संख्या केवल भारत के नियामक ढाँचे में अल्प मात्रा में गिरावट को दर्शाती है।
- न केवल व्यापार सुगमता बल्कि उन सभी बुराइयों, जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को प्रभावित करती हैं, के दृष्टिकोण से भी 'गैर-अपराधीकरण' के लिये विचार किये जाने वाले विनियामक अपराधों की प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- यह विधेयक सरकार की इस सहमति के अनुरूप है कि गैर-अपराधीकरण नियामक क्षेत्र तक सीमित होना चाहिये।

आगे की राह

- छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि अनजाने और असावधानी से किए गए गलत कामों के लिए अनुपातहीन सजा न मिले, जिन्हें 'मामूली' माना जा सकता है, बल्कि अदालतों पर भी बोझ कम होगा।
- हितधारकों के साथ बैठकें करने वाली संसदीय संयुक्त समिति के अलावा, कई मंत्रालयों और विभागों को विभिन्न संघों के साथ जुड़ने और उनके इनपुट प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
- जबकि जन विश्वास विधेयक का वर्तमान संस्करण काफी व्यापक है, प्राप्त फीडबैक के आधार पर कोई भी आवश्यक मामूली परिवर्तन या परिवर्धन किया जा सकता है।

वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार से अगले साल फरवरी के अंत तक 10-11 लाख पेंशनभोगियों के वन रैंक वन पेंशन (OROP) बकाया को तीन समान किस्तों में चुकाने को कहा है।

OROP योजना के बारे में:

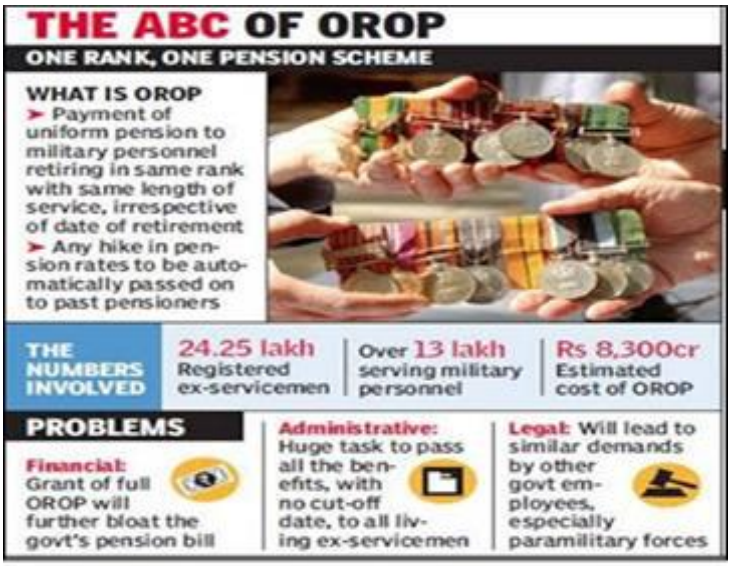

- 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) का मतलब है कि समान वर्षों की सेवा के साथ एक ही रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी दो सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिलनी चाहिए।
- तीनों सेवाओं के सैन्यकर्मी दो श्रेणियों में आते हैं, अधिकारी और अन्य रैंक।
- अन्य रैंक, जो सैनिक हैं, आमतौर पर 35 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
- सरकारी कर्मचारियों के विपरीत, जो 60 के करीब सेवानिवृत्त होते हैं, इस प्रकार सैनिक बाद के वेतन आयोगों के लाभों से वंचित रह सकते हैं।
- 30 जून 2014 तक सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बल कार्मिक इसके अंतर्गत आते हैं।
- योजना का कार्यान्वयन कोश्यारी समिति की अनुशंसा पर आधारित था।

OROP के पक्ष में तर्क:

- प्रत्येक वेतन आयोग के साथ, वर्तमान और पिछले पेंशनभोगियों के पेंशन के बीच का अंतर व्यापक हो गया है।
  - वरिष्ठ सैन्य कर्मियों का तर्क है कि यह न्याय, इक्विटी, सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है।
- नागरिक समकक्षों की तुलना में कम वेतन की स्थिति से सैन्य कर्मियों का मनोबल कम होता है।
  - इसका असर सेवारत अधिकारियों और जवानों पर भी पड़ेगा।
- सशस्त्र बलों के कर्मियों का आमतौर पर छोटा करियर होता है क्योंकि लगभग 80% सैनिक अनिवार्य रूप से 35 और 37 वर्ष की आयु के बीच सेवानिवृत्त होते हैं।

- और लगभग 12% सैनिक 40 से 54 वर्ष के बीच सेवानिवृत्त होते हैं।
- इसका मतलब है कि वे नागरिकों के मामले में सामान्य 60 साल की तुलना में बहुत कम उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।
- इसलिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सैन्य कर्मियों के लिए पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता है।

OROP के खिलाफ तर्क

- इस योजना के कार्यान्वयन से वार्षिक वित्तीय बोझ 8,000 से 10,000 करोड़ के बीच बढ़ जाएगा।
- कुछ लोगों का तर्क है कि सैनिकों की नागरिकों के साथ तुलना सही नहीं है क्योंकि सशस्त्र बलों को कई अन्य भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं जो नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं।
  - उन्हें सेना के समर्पित स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रियायती भोजन और पेय पदार्थ, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में बच्चों के लिए कोटा आदि मिलते हैं, जिसके समकक्ष नागरिकों को कुछ भी नहीं दिया जाता है।
- इसी तरह की मांग अन्य अर्धसैनिक बलों जैसे सीएपीएफ, असम राइफल्स, एसएसबी आदि द्वारा भी की जा सकती है।
  - पुलिस बलों ने भी इसी तरह की मांग करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनकी सेवा की शर्तें भी अक्सर कठिन होती हैं।
- दशकों पुराने अभिलेखों के अभाव में इस योजना का क्रियान्वयन एक प्रशासनिक चुनौती भी हो सकती है।

आगे की राह

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव को लागू करने की आवश्यकता है या तो केंद्रीय वेतन आयोग में सशस्त्र बलों के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाए या अलग सशस्त्र बल वेतन आयोग का गठन किया जाए।
- सरकार को नागरिक-सैन्य असमानता के साथ-साथ लड़ाकू, गैर-लड़ाकू अधिकारियों की असमानता के मुद्दे को समयबद्ध तरीके से हल करना चाहिए।
  - यह सेना का सम्मान करने और उन्हें वह देने के लिए आवश्यक है जो उनका अधिकार है।

भारत में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को विनियमित करना

संदर्भ: ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स ने ई-फार्मेसी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी है।

- हाल ही में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने टाटा-1एमजी, फ्लिपकार्ट, अपोलो, फार्मईज़ी, अमेज़ॅन और रिलायंस नेटमेड्स सहित कम से कम 20 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके ऑनलाइन दवाइयां बेचने के लिए फटकार लगाई है।

ई-फार्मेसी के बारे में:

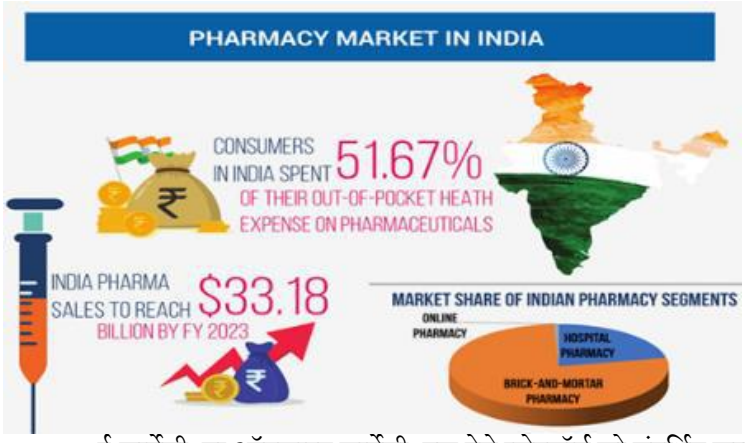

- ई-फ़ार्मेसी, या ऑनलाइन फ़ार्मेसी, एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को संदर्भित करता है जो ग्राहकों को दवाओं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों को ऑनलाइन खरीदने की अनुमति देता है।
- ई-फ़ार्मेसी वेबसाइटों या मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती हैं जहां उपयोगकर्ता अपने नुस्खे (prescriptions) अपलोड कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के उत्पादों का चयन कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं।
- इसके बाद उत्पादों को ग्राहकों के दरवाजे तक पहुंचाया जाता है जिससे उनकी सुविधा, पहुंच और लागत-प्रभावशीलता के कारण ऐसे मोड तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
- हालांकि, ये ऑनलाइन बेची जाने वाली दवाओं की सुरक्षा, प्रामाणिकता और गुणवत्ता से संबंधित विनियामक चुनौतियों और चिंताओं का भी सामना करते हैं।

ड्राफ्ट ई-फार्मेसी नियम:

- ड्राफ्ट ई-फार्मेसी नियम 2018 में पेश किए गए थे, और इसका उद्देश्य ई-फार्मेसी व्यवसायों को आकार देना था, लेकिन उन्हें ठंडे बस्ते में

डाल दिया गया था।

- ई-फार्मेसी ने 2015 में दवाओं पर भारी छूट की पेशकश करके और खुद को डोरस्टेप डिलीवरी का सूत्रधार बताकर बाजार में धूम मचा दी।
- हालांकि, PharmEasy जैसी कंपनियां बड़े और छोटे थोक दवा वितरकों को खरीदकर आधार से आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर रही हैं।
- 2015 से, ई-फ़ार्मेसी ने साल-दर-साल घाटा दर्ज किया है। Tata-1 Mg ने वित्त वर्ष 22 में 146 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, जबकि उसी वित्त वर्ष में PharmEasy का घाटा बढ़कर 2,700 करोड़ रुपये हो गया।
- ई-फ़ार्मेसी और ऑफ़लाइन खुदरा फार्मासिस्ट दोनों ने महसूस किया है कि व्यवसाय करने के किसी एक तरीके पर टिके रहना व्यर्थ है।

संबद्ध चिंताएं:

- केंद्र का विचार है कि डॉक्टर के पर्चे के बिना या अन्यथा दवाओं की ऑनलाइन बिक्री, विशेष रूप से युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करती है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कई उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं, विशेषकर युवाओं में।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम है साथ ही नशे की दवाओं को बढ़ावा देकर ऑनलाइन डेटा का आपराधिक गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।
- सरकार को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत आने वाले नियमों के उल्लंघन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दवाओं की बिक्री के संबंध में चिंता जताने वाले विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।
- कुछ दवाएं ऑनलाइन भी बेची जा रही हैं जिन्हें केवल एक पंजीकृत चिकित्सक के वैध नुस्खे के तहत खुदरा बिक्री की अनुमति है और एक फार्मासिस्ट की देखरेख में आपूर्ति की जाती है।
- केवल वयस्क ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं, और अगर हम ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो इससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।

महत्व

- ई-फार्मेसी भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति को चलाने वाले प्रमुख स्तंभ के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के सरकार के इरादे का एक हिस्सा हैं।
- भारत के $344 मिलियन से अधिक के ई-फार्मेसी बाजार की क्षमता आशाजनक है और इसकी बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन की पैठ, सरकार की पहल और बढ़ते निवेश के कारण 40-45% तक बढ़ने की उम्मीद है।
- ई-फ़ार्मेसी सस्ती और वास्तविक दवाओं तक पहुंच प्रदान कर सकती हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक फ़ार्मेसी सुलभ नहीं हो सकती हैं।

ई-फार्मेसियों को विनियमित करने वाले कानून:

- ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने पहली बार 2015 में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था।
- नवीनतम मसौदे नई दवाएं, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2022 में व्यापक प्रावधान हैं जिनमें शामिल हैं:
    - समय-समय पर निरीक्षण, शिकायत निवारण तंत्र, ई-फार्मेसियों की निगरानी और अन्य।
    - भारतीय विनियमों के लिए आवश्यक है कि फ़ार्मेसी, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों, केंद्रीय दवा नियामक CDSCO के साथ पंजीकृत हों और उनके पास बिक्री और वितरण के लिए राज्य नियामकों से परमिट हों।
- इससे पहले, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2016 में ई-फार्मेसी के लिए एक स्व-विनियमन कोड विकसित किया था।

आगे की राह

- हाल के वर्षों में, ई-फार्मेसी की बाजार पहुंच में 3% से 5% की वृद्धि देखी गई है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं आदि के लिए पुरानी देखभाल की दवाएं (chronic care medicines) खरीदने के लिए उपभोक्ताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है।
- इसलिए, ई-फार्मेसियों को हेलबॉक्स में ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध से बचना चाहिए। यह भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति को चलाने वाले प्रमुख स्तंभ के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के सरकार के इरादे के खिलाफ है।
- इसलिए, यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार और हितधारकों के लिए एक साथ काम करना महत्वपूर्ण है कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करते हुए ई-फ़ार्मेसी कुशलतापूर्वक और वैध रूप से संचालित हों।

भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र

संदर्भ: विश्व बैंक ने महामारी की तैयारी और बेहतर स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1 अरब डॉलर के कार्यक्रम पर

हस्ताक्षर किए।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के बारे में :

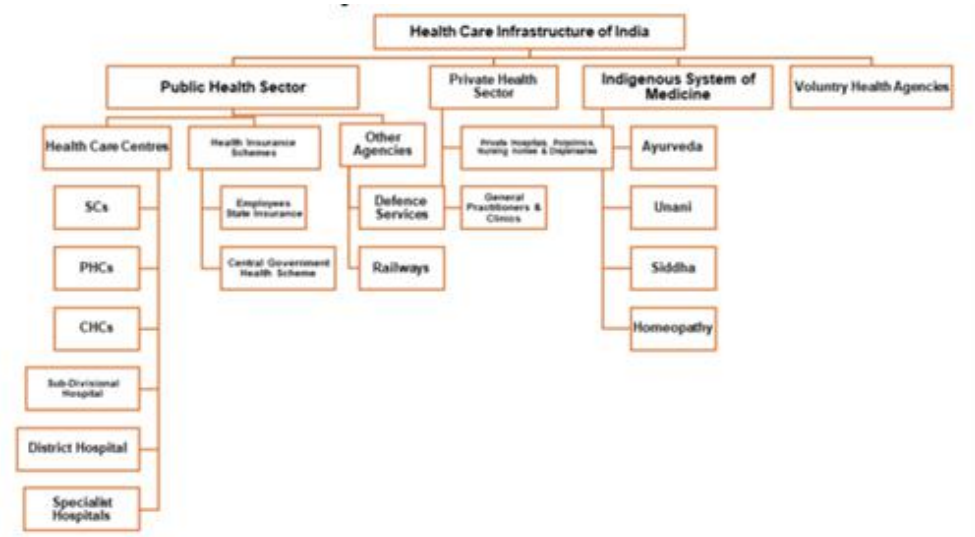

- 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण में, स्वास्थ्य पर भारत का सार्वजनिक व्यय 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 1% था, जो 2020-21 में 1.8% और 2019-20 में 1.3% था।
- वर्ष 2017 में भारत में प्रति 1,00,000 लोगों पर 7 चिकित्सक (इसके विपरीत पाकिस्तान में 98, श्रीलंका में 100 और जापान में 241) थे।
- प्रति 1,00,000 लोगों पर 53 बिस्तर (इसके विपरीत पाकिस्तान में 63, बांग्लादेश में 79.5, श्रीलंका में 415 और जापान में 1,298) थे।
- प्रति 1,00,000 लोगों पर 7 नर्स और दाइयां (इसके विपरीत श्रीलंका में 220, बांग्लादेश में 40, पाकिस्तान में 70 और जापान में 1,220) थे।
- दुनिया के सभी देशों की तुलना में भारत में सबसे अधिक आउट-ऑफ-पॉकेट (OOP) व्यय होता है- भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का 62% OOP है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, भारत स्वास्थ्य पर खर्च करने वाले 191 देशों में से 184वें स्थान पर है।
- अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद का 16% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि जापान, कनाडा, जर्मनी आदि अपने सकल घरेलू उत्पाद का 10% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं।

नीति आयोग द्वारा विकसित राज्यों के लिए स्वास्थ्य सूचकांक:

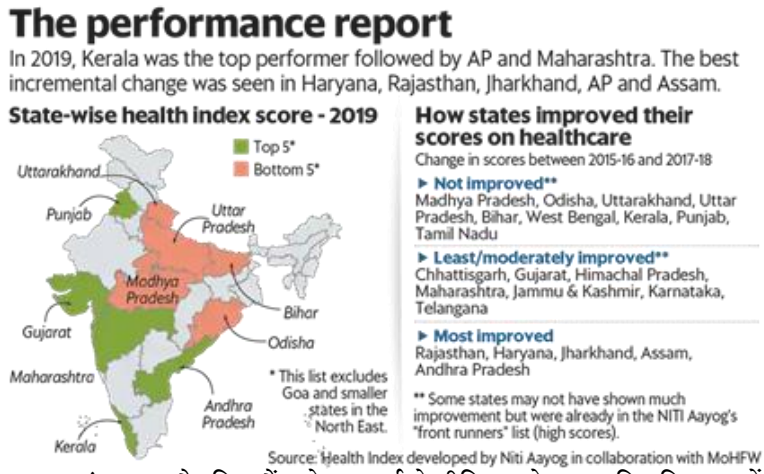

- स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित राज्यों के लिए स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग होती है।
- यह मृत्यु दर और लिंगानुपात से लेकर कार्यरत कार्डियक केयर यूनिट तक 23 स्वास्थ्य मापदंडों पर आधारित है।
- 2019 में, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद केरल शीर्ष प्रदर्शनकर्ता था।
- सूचकांक के परिणामों ने संकेत दिया कि कम आर्थिक उत्पादन वाले राज्य भी स्वास्थ्य और कल्याण पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **कम बजट खर्च:** 2021-22 में स्वास्थ्य पर भारत का सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.1% है, जबकि जापान, कनाडा और फ्रांस अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं।
- **असमान वितरण:** भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम उपस्थिति है जहां अधिकांश आबादी रहती है।
- **चिकित्सा अनुसंधान की कमी:** भारत में, अनुसंधान एवं विकास और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली नई परियोजनाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।
- **कम डॉक्टर-रोगी अनुपात:** भारत में डॉक्टर-रोगी अनुपात लगभग 1:1500 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर के मानदंड से बहुत अधिक है।
- **सामर्थ्य की कमी:** भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यय में निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 80 प्रतिशत है जबकि शेष 20 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है।
    - निजी क्षेत्र भारत में 58 प्रतिशत अस्पतालों और 81 प्रतिशत डॉक्टरों की भी व्यवस्था करता है।

देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार की पहल:

- **प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM):** इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना और देश की प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं में सुधार करना है।
- **आयुष्मान भारत:** स्वास्थ्य देखभाल को घरों के करीब लाने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के निर्माण द्वारा दो-आयामी दृष्टिकोण का पालन करता है।
- गरीब और कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिम से बचाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) तैयार करना।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन:** इसका उद्देश्य देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को जोड़ना है। इसके तहत अब हर नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और उनका हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से सुरक्षित रहेगा।
- **राष्ट्रीय आयुष मिशन:** यह पारंपरिक दवाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY):** इसका उद्देश्य सस्ती/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना भी है।

आगे की राह

प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के सभी तीन स्तरों पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है, यह अनिवार्य है कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सार्वजनिक भलाई के रूप में सुधारने की ओर देखे।

महामारी के अनुभव से सबसे स्पष्ट रूप से उभरने वाला सबक यह है कि यदि भारत अधिक पीड़ा और सामाजिक तथा आर्थिक नुकसान की पुनरावृत्ति नहीं चाहता है, तो हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक केंद्रीय फोकस बनाने की आवश्यकता है।

नीतिगत संवाद को समाप्त करने और नामकरणों को स्पष्टता प्रदान करने की भी आवश्यकता है। भारत को डॉक्टर के नेतृत्व वाली प्रणाली से आगे बढ़ने की जरूरत है और पैरा मेडिकल कई कार्यों को करने की जरूरत है। भारत को स्वस्थ भारत की ओर अपने प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और निवारक देखभाल पर ध्यान देना चाहिए।

इसरो का अंतरिक्ष पर्यटन: मुख्य निष्कर्ष

संदर्भ: इसरो की 2030 तक यात्रियों के लिए 'अंतरिक्ष पर्यटन' शुरू करने की योजना है।

अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में:

- अंतरिक्ष पर्यटन उड्डयन उद्योग का एक अन्य विशिष्ट खंड है जो पर्यटकों को अंतरिक्ष यात्री बनने और मनोरंजन, अवकाश या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है।
- Virgin Atlantic, SpaceX, XCOR Aerospace, Jeff Bezos's Blue Origin और Armadillo Aerospace सहित कंपनियां लोगों को अंतरिक्ष पर्यटन सेवाएं प्रदान करने पर काम कर रही हैं।

प्रस्ताव की मुख्य बातें:

- **कीमत:** प्रति टिकट की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये आंकी गई है और यात्रा करने वाले लोग भी खुद को अंतरिक्ष यात्री कह सकेंगे।
- **अंतरिक्ष यात्रा के प्रकार:** यह घोषणा नहीं की गई है कि मॉड्यूल में उप-कक्षीय अंतरिक्ष यात्रा या कक्षीय अंतरिक्ष यात्रा शामिल होगी। उप-कक्षीय यात्राओं में आम तौर पर अंतरिक्ष में 15 मिनट बिताना जिसमें कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में कुछ मिनटों का अनुभव करना शामिल होता है।
- **निजी फर्मों के साथ साझेदारी:** भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा

मॉड्यूल के विकास के लिए इसरो के निजी फर्मों के साथ साझेदारी करने की संभावना है।

- **सुरक्षा उपाय:** इसरो अंतरिक्ष उड़ानों की सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहन-प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (RLV-TD) का भी उपयोग करेगा क्योंकि अंतरिक्ष के अनुभवों को आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

अंतरिक्ष पर्यटन के लाभ:

- **अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** विश्व अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के समय में अंतरिक्ष पर्यटन व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाएगा।
- **एफडीआई निवेशकों को आकर्षित करना:** यह अंतरिक्ष अन्वेषण में रुचि को नवीनीकृत करेगा। यह उद्योग में अधिक नवाचारों का समर्थन करने के लिए अधिक वित्तीय समर्थन के लिए अधिक निवेशकों को आकर्षित करेगा।
- **रोजगार सृजित करना:** अंतरिक्ष पर्यटन हजारों लोगों को रोजगार देगा। नए और बेहतर अंतरिक्ष यान के निर्माण से कई कुशल लोगों को रोजगार मिलेगा।
- **पृथ्वी की सुरक्षा मार्ग प्रशस्त करना:** यह हमारे ग्रह के लिए खतरनाक संभावित खतरों की पहचान करने में भी मदद करेगा।
- **नए संसाधन:** अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों में नए खनिज और अन्य कीमती सामग्री खोजने में मदद करना। यह पृथ्वी के लोगों के लिए बहुत मददगार होगा जहां प्राकृतिक संसाधन तेजी से घट रहे हैं।
- **साहसिक पर्यटन:** साहसिक पर्यटकों के लिए एक नया अवसर खोलना।
- **तकनीकी प्रगति:** यह उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए रास्ते खोलता है जिसे अंतरिक्ष मिशन के अलावा अन्य डोमेन पर लागू किया जा सकता है।

अंतरिक्ष पर्यटन की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **सूर्य के विकिरण का जोखिम:** प्रारंभिक अवस्था में अंतरिक्ष यात्रा तकनीक अंतरिक्ष में प्रवेश को एक खतरनाक उद्यम बना सकती है।
  - अंतरिक्ष यात्रियों को सूर्य से हानिकारक विकिरणों के संपर्क में आने की संभावना रहेगी।
- **स्वास्थ्य:** जीरो ग्रेविटी कंडीशन में लंबे समय तक रहना व्यक्ति के कार्डियोवस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है।
  - यदि लोग गलती से उच्च-ऊर्जा आयनकारी कॉस्मिक किरणों के संपर्क में आ जाते हैं, तो इससे कैंसर हो सकता है।
- **सुरक्षा:** अंतरिक्ष पर्यटन में उच्च स्तर का जोखिम शामिल है, और सुरक्षा पर्यटकों के अलावा ऑपरेटरों और अंतरिक्ष यान तथा लॉन्च वाहनों दोनों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय होगा, और किसी भी आकस्मिकता के मामले में आपातकालीन प्रक्रियाएं होनी चाहिए।
- **हानिकारक जीवों के संपर्क में आना:** हम अनजाने में अंतरिक्ष से कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों को पृथ्वी के वातावरण में प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **असमानता:** अंतरिक्ष पर्यटन केवल अति-अमीरों के लिए है।
  - उदाहरण के लिए, वर्जिन गैलेक्टिक के आगामी अंतरिक्ष जहाज में 2 ½ घंटे की उड़ान टिकट की कीमत 250,000 डॉलर है।
- **रामबाण नहीं:** मंगल की सतह पर लोगों के चलने की कल्पना करना बहुत अच्छा है। यह विचार करना बुद्धिमानी नहीं होगी कि अंतरिक्ष में पलायन पृथ्वी की समस्याओं से बचने में मदद करेगा।
  - सौर मंडल में कहीं भी ऐसा अनुकूल वातावरण नहीं है जहाँ हम पृथ्वी पर उपलब्ध पर्यावरण के अनुकूल हों।

अन्य देशों के अंतरिक्ष पर्यटन मॉड्यूल:

- **संयुक्त राज्य:** यह स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कई निजी कंपनियों के साथ अंतरिक्ष पर्यटन में अग्रणी है, जिसने पहले ही कई परीक्षण उड़ानें पूरी कर ली हैं, और निकट भविष्य में व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने की योजना बना रही है।
- **रूस:** यह 2001 से अंतरिक्ष पर्यटन में शामिल है, और इसने अपने सोयुज अंतरिक्ष यान पर कई भुगतान करने वाले पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) भेजा है।
- **संयुक्त अरब अमीरात:** संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में ISS के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यात्री भेजा है, और अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के प्रयासों के तहत अंतरिक्ष पर्यटन को विकसित करने में रुचि व्यक्त की है।

आगे की राह

समग्र रूप से, इसरो का अंतरिक्ष पर्यटन मॉड्यूल, जो सुरक्षित और पुन: प्रयोज्य दोनों है, भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और लोगों को अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव कराने का अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन अधिक सुलभ और सस्ता हो सकता है और इस प्रकार अधिक लोगों को अंतरिक्ष अन्वेषण के आश्चर्य और उत्साह का अनुभव करने की अनुमति रहेगी।

अवश्य पढ़ें: IN-SPACe

अर्थव्यवस्था

भारत में मत्स्य क्षेत्र

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए तीन राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए।

हाल ही में शुरू की गई योजनाएं:

जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) चरण- II:

- मछली रोगों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को सालाना लगभग 7200 करोड़ का नुकसान होता है, इसलिए बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए शुरुआती पहचान और प्रसार का प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
- भारत सरकार ने किसान आधारित रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2013 से जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) लागू किया है।
- तीव्रता के साथ प्रयासों को जारी रखने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत NSPAAD चरण- II को मंजूरी दी है।
- चरण- II पूरे भारत में लागू किया जाएगा, और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के साथ-साथ सभी राज्य मत्स्य विभागों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

पेनिअस इंडिकस (भारतीय सफेद झींगा) का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम - चरण- I:

- अकेले झींगा पालने वाले भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान करते हैं। यह निर्यात 42000 करोड़ रुपये मूल्य का है।

झींगा उत्पाद बीमा:

- इसी तरह, झींगा पालन को "जोखिम भरा उद्यम" कहा जाता है और इस वजह से बैंकिंग और बीमा संस्थान झींगा क्षेत्र में कारोबार करने के लिए बहुत सतर्क हैं। इस विश्वास के विपरीत, भारत ने पिछले एक दशक के दौरान झींगा उत्पादन में लगभग 430 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है।
- अधिकांश जलीय कृषि किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास 2-3 तालाब हैं और उनकी संस्थागत ऋण और बीमा तक पहुंच की कमी के कारण फसल के लिए कार्यशील पूंजी जुटाने में उन्हें भारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- आईसीएआर-सीआईबीए ने एलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के सहयोग से एक झींगा फसल बीमा उत्पाद विकसित किया, उत्पाद प्रभार प्रीमियम व्यक्तिगत किसान की लोकेशन और अवश्यकताओं पर आवश्यकताओं के आधार पर 3.7 से 7.7 प्रतिशत इनपुट लागत पर आधारित है।
- और किसान को कुल फसल नुकसान की स्थिति में इनपुट लागत के 80 प्रतिशत नुकसान की भरपाई की जाएगी जो 70 प्रतिशत के फसल नुकसान से अधिक है।

भारत में मत्स्य क्षेत्र

- मात्स्यिकी क्षेत्र 20 मिलियन से अधिक मछुआरों और मछली किसानों के लिए आजीविका का प्रत्यक्ष स्रोत है; भारत की अर्थव्यवस्था में जोड़े गए सकल मूल्य में सालाना INR 1.75 ट्रिलियन का योगदान देता है।
- भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है ।
- यह वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग 7.7% है।
- भारत दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि मछली उत्पादक देश है।
- उत्पादन 1950-51 के 5 लाख टन से बढ़ाकर 2019-20 में 142 लाख टन किया गया।
- यह क्षेत्र लगभग 16 मिलियन मछुआरों को आजीविका प्रदान करता है।
- इसके पास विदेशी मुद्रा अर्जित करने की पर्याप्त क्षमता है।
- कुल जीडीपी 1950-51 में 0.40% से बढ़कर 2019-20 में 1.07% हो गई।
- इसे 'सनराइज सेक्टर' के रूप में मान्यता दी गई है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

भारतीय मात्स्यिकी के समक्ष चुनौतियाँ

- **स्थिरता:** खाद्य और कृषि संगठन की विश्व मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक समुद्री मछली स्टॉक का लगभग 90

प्रतिशत या तो पूरी तरह से दोहन किया गया है या अत्यधिक मछली पकड़ी गई है।

- **ऋण तक पहुंच का अभाव:** मत्स्य पालन को जोखिम भरा व्यवसाय माना जाता है और औपचारिक ऋण तक पहुंच की कमी ने छोटे किसानों को उच्च ब्याज दरों पर कर्ज में डूबने के लिए मजबूर किया है।
- **अवसंरचना का अभाव:** प्रशीतन सुविधाओं के अभाव में विशाल मछलियाँ खराब हो जाती हैं। स्टॉक को ताज़ा रखने के लिए फॉर्मेलिन के उपयोग से मछली के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- **तकनीकी और प्रबंधकीय मुद्दे जैसे:**
    - आवश्यक समय सीमा के दौरान स्पॉन, सीडलिंग्स और फिंगरलिंग्स की सीमित उपलब्धता।
    - फ़ीड और दवाओं की सीमित उपलब्धता।
    - संभावित बाजार तक पहुंच का अभाव।
    - क्षेत्र में कार्यशील पूंजी की सीमित उपलब्धता

आगे की राह

मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाता है। उद्योग के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने से अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान को सुधारने और कीमती विदेशी पूंजी अर्जित करने में मदद मिलेगी।

IMP बेलआउट्स को समझना

संदर्भ: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में श्रीलंका की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए $3 बिलियन की बेलआउट योजना की पुष्टि की।

- बेलआउट संभावित दिवालियापन के खतरे का सामना कर रही कंपनी/देश को वित्तीय सहायता देने के लिये एक सामान्य शब्द है।
- यह ऋण, नकद, बॉण्ड या स्टॉक खरीद के रूप में हो सकता है।
- एक बेलआउट के लिये प्रतिपूर्ति की आवश्यकता (नहीं) हो सकती है, लेकिन अक्सर अधिक निरीक्षण और नियमों के साथ होती है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बारे में:

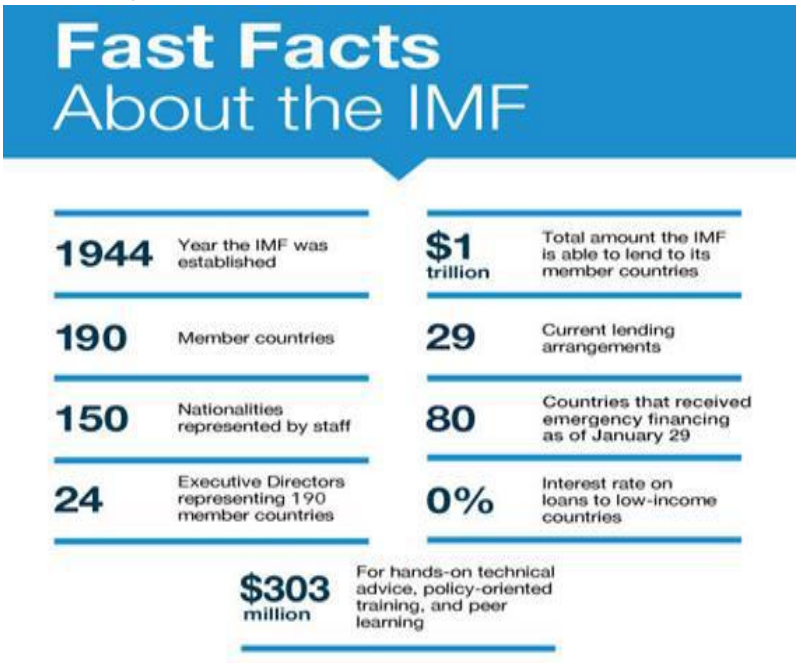

Source: IMF

- आईएमएफ की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी।
- यह उन 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसकी निकट-वैश्विक सदस्यता बनाते हैं।
- मुख्यालय वाशिंगटन, डी.सी.
- दिसंबर 1945 में भारत सदस्य बना।
- **प्रकाशन:**
    - विश्व आर्थिक आउटलुक
    - वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
    - राजकोषीय मॉनिटर

- वैश्विक नीति एजेंडा

- जब कोई देश IMF से उधार लेता है, तो उसकी सरकार उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों को समायोजित करने के लिये सहमत होती है जिसके कारण उसे वित्तीय सहायता लेनी पड़ी।
  - ये नीतिगत समायोजन IMF ऋणों के लिये शर्तें हैं और यह सुनिश्चित करता है कि देश IMF को ऋण चुकाने में सक्षम होगा।

IMF के कार्य

- **वित्तीय सहायता:** सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना जो वास्तविक या संभावित भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं IMF की मुख्य जिम्मेदारी है।
- **निगरानी:** अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने और संकट को रोकने के लिए, IMF सदस्य देशों की नीतियों के साथ-साथ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय विकास की निगरानी एक औपचारिक प्रणाली के माध्यम से करता है जिसे निगरानी के रूप में जाना जाता है।
- **विशेष आहरण अधिकार (SDR):** आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति जारी करता है जिसे विशेष आहरण अधिकार या एसडीआर के रूप में जाना जाता है, जो एसडीआर विभाग में भाग लेने वाले सदस्य देशों (वर्तमान में आईएमएफ के सभी सदस्य) के आधिकारिक भंडार का पूरक हो सकता है।
- **संसाधन:** सदस्य कोटा IMF वित्तीय संसाधनों का प्राथमिक स्रोत है।
  - एक सदस्य देश का कोटा विश्व अर्थव्यवस्था में उसके आकार और स्थिति को दर्शाता है।
  - आईएमएफ नियमित रूप से कोटा की समीक्षा करता रहता है।
- **आईएमएफ सदस्य:** कोई भी अन्य राज्य, चाहे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो या नहीं, आईएमएफ के समझौते के अनुच्छेदों और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आईएमएफ का सदस्य बन सकता है।
  - आईएमएफ में सदस्यता पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक में सदस्यता के लिए एक शर्त है।

आईएमएफ बेलआउट मांगने वाले देशों के कारण:

- देशों की अर्थव्यवस्था को जब व्यापक आर्थिक ज़ोखिम होता है, अधिकांशतः मुद्रा संकट (जैसे कि श्रीलंका का सामना करना पड़ रहा है) का सामना करना पड़ता है तो वे आमतौर पर IMF से मदद मांगते हैं।
  - उदाहरण के लिए, श्रीलंका और पाकिस्तान के मामले में, दोनों देशों ने घरेलू कीमतों में तेजी से वृद्धि देखी है और उनकी मुद्राओं के विनिमय मूल्य में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरावट आई है।
- मुद्रा के मूल्य में तेजी से, अप्रत्याशित गिरावट उक्त मुद्रा में विश्वास को नष्ट कर सकती है और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित कर सकती है क्योंकि लोग वस्तुओं और सेवाओं के बदले मुद्रा को स्वीकार करने में संकोच कर सकते हैं।
- जब किसी देश की घरेलू आर्थिक नीतियों का भी उसकी मुद्रा की विनिमय दर और विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  - उदाहरण के लिए, आर्थिक नीति जो उत्पादकता को जोखिम में डालती है, अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने की देश की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।
- श्रीलंका के मामले में, देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों में कमी के कारण देश में अमेरिकी डॉलर के प्रवाह में भारी गिरावट आई।

हाल ही में बेल-आउट के लिए IMF द्वारा रखी गई शर्तें

- आईएमएफ श्रीलंका का समर्थन करने को तैयार है लेकिन व्यापक आर्थिक सुधारों के संबंध में कुछ शर्तें हैं।
- यह चाहता है कि श्रीलंका अपनी ऋण स्थिति के बारे में पारदर्शी बने।
  - IMF आमतौर पर देशों को पैसा उधार देने से पहले उन पर शर्तें लगाता है। उदाहरण के लिए, किसी देश को आईएमएफ ऋण प्राप्त करने की शर्त के रूप में कुछ संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के लिए सहमत होना पड़ता है।
- आईएमएफ का सशर्त उधार विवादास्पद रहा है क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये सुधार जनता के लिए बहुत कठिन हैं।
  - कुछ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण देने के निर्णयों पर भी आरोप लगाया है, जो विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित होने के लिए लिए जाते हैं।
- हालांकि, आईएमएफ की उधार नीतियों के समर्थकों ने तर्क दिया है कि आईएमएफ ऋण देने की सफलता के लिए शर्तें आवश्यक हैं।
  - एक के लिए, आईएमएफ बेलआउट चाहने वाले देश आमतौर पर उनकी सरकारों द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियों के कारण संकट में होते हैं जो आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए प्रतिकूल साबित होती हैं।
  - इस प्रकार आईएमएफ के लिए किसी देश पर पैसे लगाना तब समझ में नहीं आता जब नीतियां जो इसके संकट का कारण बनीं, प्रभावित नहीं हुई हैं।

- इसलिए, आईएमएफ अपने केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्च मूल्य मुद्रास्फीति से प्रभावित देश की मांग कर सकता है।

- आईएमएफ मूल रूप से विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के रूप में, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं को ऋण देता है जो ऋणदाता की सहायता करना चाहते हैं।
- एसडीआर केवल पाँच मुद्राओं की एक टोकरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात् यू.एस. डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड।

आगे की राह

IMF का घोषित मिशन वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए, आईएमएफ के सहयोग से श्रीलंका सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पारदर्शिता हासिल करते हुए अपनी आर्थिक और वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम करे।

भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

संदर्भ: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर ने अंतर्राष्ट्रीयकरण के जोखिमों से निपटने के लिए बेहतर रुपये की अस्थिरता प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में:

- मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण अपने मूल देश की सीमाओं के बाहर एक मुद्रा का व्यापक उपयोग है।
- यह अमेरिकी डॉलर, यूरो और जापानी येन आदि जैसी अन्य प्रमुख मुद्राओं के समान भारतीय रुपये को विश्व स्तर पर स्वीकृत मुद्रा बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- इस प्रक्रिया का उद्देश्य सीमा पार लेनदेन, विदेशी निवेश और वैश्विक व्यापार में रुपये के उपयोग को बढ़ाकर भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है।
- इसके लिए भारत के पूंजी खाते के उदारीकरण की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है बिना किसी प्रतिबंध के देश के भीतर और बाहर पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना।

भारतीय रुपये की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में, भारतीय रुपया USD के मुकाबले 80 से अधिक है।
- विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलने वाला पहला देश रूस है जिसके बाद श्रीलंका और मॉरीशस हैं, जिनके द्वारा भारतीय रुपया व्यापार निपटान तंत्र का उपयोग करने की संभावना है।
- एक और आकलन कहता है कि 2040 तक, रुपया चीन की रेनमिनबी को सबसे मजबूत वैश्विक मुद्रा के रूप में चुनौती देगा।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- सीमा पार लेनदेन में रुपए का उपयोग भारतीय व्यापार के लिये मुद्रा जोखिम को कम करता है।
    - मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा न केवल व्यापार की लागत को कम करती है, बल्कि यह व्यापार के बेहतर विकास को भी सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय व्यापार के विश्व स्तर पर बढ़ने की संभावना में सुधार होता है।
- यह विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करता है।
    - जबकि भंडार विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने और बाहरी स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है, यह अर्थव्यवस्था पर एक लागत आरोपित करता हैं।
- विदेशी मुद्रा पर अपनी निर्भरता कम करके भारत बाहरी झटकों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है।
    - उदाहरण के लिए, घरेलू व्यवसायों की अत्यधिक विदेशी मुद्रा देनदारियों के परिणामस्वरूप अमेरिका में मौद्रिक सख्ती के चरणों के दौरान वास्तविक रूप से घरेलू मजबूती और डॉलर में मजबूती आती है।
    - मुद्रा जोखिम के कम होने से पूंजी प्रवाह के उत्क्रमण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
- जैसे-जैसे रुपए का उपयोग महत्त्वपूर्ण होता जाएगा, भारतीय व्यापार की सौदेबाज़ी की शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने, भारत के वैश्विक कद और सम्मान को बढ़ाने में मदद करेगी।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की चुनौतियाँ:

- इसके लिए वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ एकीकरण की आवश्यकता है, जो विनियामक अनुपालन, बाजार के बुनियादी ढांचे और निवेशक सुरक्षा के मामले में चुनौतियों का सामना कर सकता है।
- यह रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की प्राथमिक चुनौती है क्योंकि यह उन व्यवसायों और निवेशकों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है

जो कई मुद्राओं में काम करते हैं, जिससे अनिश्चितता और उच्च लेनदेन लागत होती है।

- अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के वित्तीय बाजार अभी भी अपेक्षाकृत अविकसित हैं, जो अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं की सीमा को सीमित कर सकते हैं।
- रुपया अभी तक व्यापक रूप से कारोबार वाली मुद्रा नहीं है, जिसका अर्थ है कि वैश्विक बाजारों में सीमित तरलता है, जिससे निवेशकों के लिए रुपये-मूल्यवर्ग की संपत्तियों को खरीदना और बेचना मुश्किल हो जाता है, जो मुद्रा के आकर्षण को सीमित कर सकता है।
- इसके लिए एक सहायक विनियामक वातावरण की आवश्यकता है जो वित्तीय स्थिरता और विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता के साथ खुलेपन की आवश्यकता को संतुलित करता है, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को देखते हुए प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए कदम

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए एक तंत्र शुरू किया है।
  - रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा प्रदान करना (विशेषकर मसाला बांड के संदर्भ में)।
- एशियाई क्लीयरिंग यूनियन, सेटलमेंट के लिये घरेलू मुद्राओं का उपयोग करने की एक योजना के लिये प्रयासरत है।
  - यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें द्विपक्षीय या व्यापारिक संदर्भ में प्रत्येक देश के आयातकों को घरेलू मुद्रा में भुगतान करने का विकल्प होता है, सभी देशों के इसके पक्ष में होने की संभावना के चलते यह महत्त्वपूर्ण है।
- **अपतटीय रुपया बाजारों को बढ़ावा:** आरबीआई ने भारतीय बैंकों को रुपया डेरिवेटिव के लिए अपतटीय गैर-वितरणीय बाजार में भाग लेने की अनुमति दी है, जिससे अपतटीय रुपया बाजारों के विकास में मदद मिली है।
- **करेंसी स्वैप समझौते:** आरबीआई ने कई देशों के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच रुपये और विदेशी मुद्रा के आदान-प्रदान की अनुमति देते हैं।
- **द्विपक्षीय व्यापार समझौते:** सरकार ने अन्य देशों के साथ कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अधिक सीमा पार व्यापार और निवेश की सुविधा हुई है और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में रुपये के उपयोग में वृद्धि हुई है।

आगे की राह

इसलिए, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बातचीत की किसी भी संभावना को भारतीय रुपये की निरंतर और स्थिर स्थिति द्वारा समर्थित होना चाहिए। मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और एक प्रक्रिया-संचालित नियामक वातावरण के माध्यम से पैमाना, स्थिरता और तरलता प्राप्त की जा सकती है। कुल मिलाकर, भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग में वृद्धि भारत को विदेशी निवेश और व्यापार के लिए एक अधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं का गवर्नेंस

संदर्भ: हाल ही में, सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए आयातकों, मिलों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों के पास मौजूद अरहर दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की।

- अरहर एक लंबी अवधि (180 दिन) वाली दाल की किस्म है जो वर्षा आधारित परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि सहित भारत के कई राज्यों में उगाई जाती है। भारत अपनी घरेलू खपत का लगभग 10-12% आयात के माध्यम से पूरा करता है।

आवश्यक वस्तुओं के बारे में:

- आवश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम की धारा 2(A) रेखांकित करती है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में वर्णित वस्तु है।
- केंद्र सरकार इस अधिनियम से अनुसूची में निर्दिष्ट किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने की अपनी शक्ति प्राप्त करती है।
  - यदि आवश्यक हो, तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक रूप से अधिसूचित कर सकती है।
- COVID-19 के प्रकोप के मद्देनजर 13 मार्च, 2020 को फेस मास्क और सैनिटाइज़र को सूची में जोड़ा गया।
- सरकार घोषित आवश्यक वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक लिमिट भी लगा सकती है।

ईसी (संशोधन) विधेयक 2020:

- इसका उद्देश्य निजी निवेशकों के अपने व्यापार संचालन में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप के भय को दूर करना है।
- उत्पादन करने, रखने, स्थानांतरित करने, वितरित करने और आपूर्ति करने की स्वतंत्रता से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलता है और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होता है।
- यह कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद करता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के बारे में:

- केंद्र ने 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू किया है ताकि राज्यों को ऐसे व्यापारियों के पास उपलब्ध स्टॉक की निगरानी और सत्यापन करने के लिए कहा जा सके।
- 1955 के ईसी अधिनियम के तहत, यदि केंद्र सरकार को लगता है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखना या बढ़ाना या उसे उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना आवश्यक है, तो वह उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और बिक्री को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।
- केंद्र के पास आवश्यक वस्तुओं की इस सूची से सार्वजनिक हित में किसी भी वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्ति है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित मुद्दे:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ईसीए 1955 के तहत सरकारी हस्तक्षेप अक्सर कृषि व्यापार को विकृत करता है जबकि मुद्रास्फीति को रोकने में पूरी तरह से अप्रभावी होता है।
    - इस तरह के हस्तक्षेप से किराया मांगने और उत्पीड़न के अवसर मिलते हैं।
    - रेंट सीकिंग शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा अनुत्पादक आय का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है।
- व्यापारी अपनी सामान्य क्षमता से बहुत कम खरीद करते हैं और किसानों को अक्सर जल्दी खराब होने वाली फसल के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
- इसके चलते कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमत नहीं मिल पाती है।
    - इन मुद्दों के कारण, संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया।
    - हालांकि, किसानों के विरोध के कारण सरकार को इस कानून को निरस्त करना पड़ा।

आगे की राह

- ECA 1955 तब लाया गया था जब भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। हालाँकि, अब भारत अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष हो गया है, और ECA 1955 में संशोधन सरकार द्वारा कृषि वस्तुओं की मुद्रास्फीति और बाजार में व्यापार करने में आसानी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत-जर्मन संबंध

संदर्भ: हाल ही में, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आए थे।

द्विपक्षीय बैठक के प्रमुख परिणाम

हरित और सतत विकास भागीदारी (जीएसडीपी):

- जीएसडीपी एक अम्ब्रेला पार्टनरशिप है जो राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करती है और जलवायु कार्रवाई और एसडीजी में मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाती है।
- इसके तहत, जर्मनी भारत में अपने विकास सहयोग पोर्टफोलियो के तहत नई और अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं में €10 बिलियन देगा।
- भारत-जर्मनी नवाचार और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए एक विजन स्टेटमेंट पर सहमत हुए।
- 'वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग' पर अंतर-सरकारी समझौते के ढांचे के तहत, दोनों देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार में सहयोग का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन में सहयोग:

- इसके लिए सितंबर 2022 में इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

त्रिकोणीय विकास सहयोग:

- भारत और जर्मनी तीसरे देशों में विकास परियोजनाओं पर काम करने पर सहमत हुए।
- दोनों पक्षों ने "डिजिटल परिवर्तन, फिनटेक, आईटी, दूरसंचार और आपूर्ति श्रृंखला 'विविधीकरण" पर समझौते किए।

इंडो-जर्मन द्विपक्षीय संबंध:

- द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के साथ-साथ यूरोपीय संघ में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है।
- भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
- 7 मार्च, 2021 को भारत और जर्मनी ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई।

व्यापार और आर्थिक संबंध:

- 2020-21 में 21.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल व्यापार के साथ जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो यूरोपीय बाजार में 17.4% हिस्सेदारी रखता है।
- जर्मनी अप्रैल 2000 से भारत में 7वां सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक है।
    - 2000 से 2019 तक भारत में जर्मनी का कुल FDI 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- जर्मनी का यूरोपीय संघ के माध्यम से भारत के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता (BTIA) है।

बहुपक्षीय सहयोग:

- जर्मनी और भारत G-4 के ढांचे के भीतर UNSC के विस्तार पर एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।
- जर्मनी फरवरी 2020 में गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDRI) में शामिल हुआ और मार्च 2020 में पहली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया।
- अप्रैल 2021 में, जर्मन संघीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के संशोधित ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी, और इस तरह जर्मनी का आईएसए में प्रवेश हो गया।

रक्षा सहयोग:

- भारत-जर्मनी रक्षा सहयोग समझौता (2006) द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों को एक दूसरे के साथ वर्गीकृत जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है।
- भारतीय और जर्मन नौसेना के जहाज नियमित रूप से हिंद महासागर में समुद्री डकैती रोधी अभियान चलाते हैं।
- पहला फ्रेंको-भारतीय-जर्मन सैन्य अभ्यास 2024 में होने की उम्मीद है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

- मई 1974 में हस्ताक्षरित 'वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में सहयोग' पर एक अंतर-सरकारी समझौते के तहत द्विपक्षीय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग लागू किया गया है।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और जर्मन संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय (बीएमबीएफ) समग्र समन्वय के लिए नोडल एजेंसियां हैं।
- 1994 में स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक शीर्ष इंडो-जर्मन समिति, सहयोग के कार्यान्वयन और गतिविधियों की संयुक्त समीक्षा का समन्वय करती है।

संस्कृति और भारतीय प्रवासी:

- वर्ष 1791 में कालिदास की 'शकुंतला' के अनुवाद में भारतीय दर्शन और साहित्य की खोज के लिए पवित्र भारतीय ग्रंथों पर संस्था आधारित वैज्ञानिक शोध की परिकल्पना की गई थी।
- मैक्समूलर उपनिषदों और ऋग्वेद का अनुवाद और प्रकाशन करने वाले भारतीय-यूरोपीय भाषाओं के पहले विद्वान थे।
- जर्मनी में लगभग 03 लाख (दिसंबर 2021) भारतीय पासपोर्ट धारक और भारतीय मूल के लोग (लगभग 1.60 लाख एनआरआई/भारतीय पासपोर्ट धारक और लगभग 43,000 पीआईओ) हैं।

द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दे:

- **जर्मनी का निम्न व्यापार:** भारत के साथ जर्मनी का व्यापार चीन के साथ उसके व्यापार का दस प्रतिशत से भी कम है।
- **प्रतिबंधात्मक नीतियां:** जर्मनी के पास फ्रांस की तुलना में एक उन्नत रक्षा विनिर्माण है, लेकिन प्रतिबंधात्मक हथियार निर्यात नीति के कारण रक्षा निर्यात क्षमता से कम है।
- दोनों देशों के बीच एक अलग द्विपक्षीय निवेश संधि का अभाव दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक क्षमता को बाधित करता है।
- इसके अलावा जर्मनी विशेष रूप से भारत के व्यापार उदारीकरण उपायों को लेकर संदेह रखता है और अधिक उदार श्रम नियमों की अपेक्षा रखता है।

आगे की राह

वर्तमान में, विभिन्न असफलताओं के बावजूद, भारत-जर्मन संबंधों ने तेजी से प्रगति की है। 'सौम्य उपेक्षा की नीति' एक अधिक 'जीवंत साझेदारी' में बदल गई थी। भारत-जर्मन सहयोग एक जीत की स्थिति पर आधारित होना चाहिए ताकि दोनों देश अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी आर्थिक, तकनीकी, रक्षा और राजनीतिक स्थिति में सुधार करने में एक-दूसरे की मदद कर सकें।

यह कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि जर्मनी और भारत "प्राकृतिक सहयोगी" हैं। जबकि जर्मनी के पास अधिशेष पूंजी, आधुनिक तकनीक और जनसांख्यिकीय घाटा है, भारत के पास पूंजी की कमी है, आधुनिक तकनीक का अभाव है और निर्यात योग्य मानव पूंजी है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

संदर्भ: ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री (पीएम) ने अपनी यात्रा पर, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऑडियो-विजुअल सह-उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई डोमेन पर भी चर्चा की।

भारत दौरे के मुख्य आकर्षण:

- ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ काम करना चाहता है और संस्कृति, अर्थशास्त्र और सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंध बनाना चाहता है।
- दोनों देशों ने खेल और ऑडियो-विजुअल सह-उत्पादन समझौतों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, और उन्होंने भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच सौर कार्यबल के संदर्भ की शर्तों के बारे में भी चर्चा की।
- भारत खालिस्तान सरकार का समर्थन करने वाले लोगों द्वारा ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को किए गए नुकसान से चिंतित था।
    - जवाब में, ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर रह रहे भारतीय समुदाय की रक्षा और सुरक्षित रखने पर सहमति व्यक्त की।

द्विपक्षीय संबंध:

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

- ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता से पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित किये, जब भारत के वाणिज्य दूतावास को पहली बार वर्ष 1941 में सिडनी में एक व्यापार कार्यालय के रूप में खोला गया था।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध उस समय ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुँच गए जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों की निंदा की थी।
- वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किये, जो भारत के "त्रुटिहीन" (Impeccable) अप्रसार रिकॉर्ड को मान्यता देते हुए परमाणु अप्रसार संधि के गैर-हस्ताक्षरकर्त्ता देश के साथ अपनी तरह का पहला समझौता था।

द्विपक्षीय व्यापार:

- भारत 2017-18 में ऑस्ट्रेलिया के कुल व्यापार का 3.6% हिस्सा प्रतिनिधित्व करते हुए 29 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के माल और सेवाओं के व्यापार के साथ ऑस्ट्रेलिया का 5वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जिसमें निर्यात 8 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और

आयात 21 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है।

रक्षा:

- **AUSINDEX:** पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, AUSINDEX, सितंबर 2015 में विशाखापत्तनम (बंगाल की खाड़ी) में आयोजित किया गया था।
- **पिच ब्लैक वायु युद्ध अभ्यास:** 2018 में, भारतीय वायु सेना ने ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक अभ्यास में पहली बार भाग लिया।

Bilateral Trade:

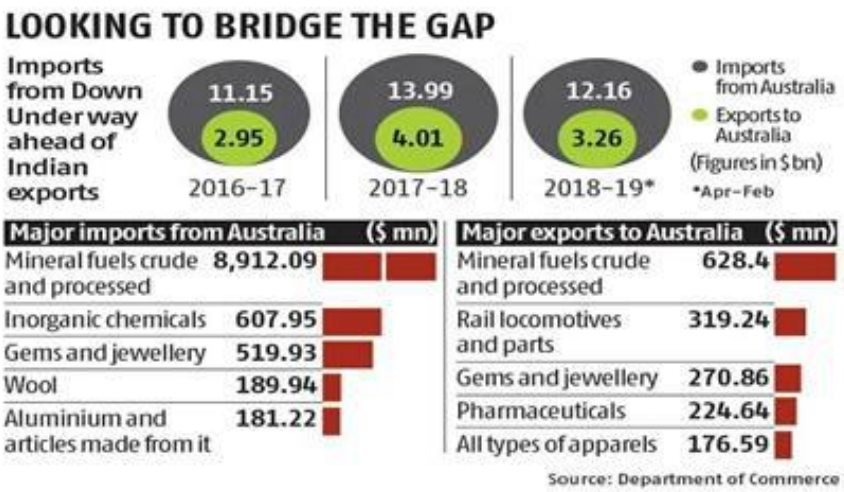

- **ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का अभ्यास:** INS सह्याद्री ने 2018 में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्विवार्षिक अभ्यास काकाडू में भाग लिया, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया।
- **ऑस्ट्रेलियाहिंद (AUSTRAHIND):** ऑस्ट्रेलियाहिंद (सेना अभ्यास के विशेष बल) का चौथा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था।
- **संयुक्त सैन्य अभ्यास:** वर्ष 2023 में, भारत, जापान और अमेरिका सभी "मालाबार" अभ्यास में भाग लेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा।
    - भारत को 2023 में तालिस्मान सेबर अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

बहुपक्षीय सहयोग:

- दोनों क्वाड, कॉमनवेल्थ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA), आसियान रीजनल फोरम, एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप ऑन क्लाइमेट एंड क्लीन डेवलपमेंट के सदस्य हैं और उन्होंने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया है।
- दोनों देश विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में पांच इच्छुक पार्टियों (FIP) के सदस्यों के रूप में भी सहयोग करते रहे हैं।
- ऑस्ट्रेलिया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है।

स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग:

- फरवरी 2022 में, देशों ने अल्ट्रा लो-कॉस्ट सौर और स्वच्छ हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने के लिए सहयोग के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के तहत प्रशांत द्वीप देशों के लिए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (एयूडी) 10 मिलियन की घोषणा की।
- दोनों देश तीन साल की भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए 5.8 मिलियन अमरीकी डॉलर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारतीय प्रवासी:

- लगभग साढ़े सात लाख की आबादी के साथ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय आकार और महत्व में लगातार बढ़ रहा है।
- भारत अब ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में अप्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है और ऑस्ट्रेलिया के लिए कुशल पेशेवरों का सबसे बड़ा स्रोत है।
- भारत से छात्रों और पर्यटकों का निरंतर प्रवाह है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में चुनौतियां:

- **चीन का असंतोष:** ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग से चीन नाखुश है।
    - चीनी सरकार ने अपने सदस्यों को औपचारिक राजनयिक विरोध जारी करके चतुर्भुज वार्ता का जवाब दिया, इसे "एशियाई नाटो" कहा।
- रूस-यूक्रेन संकट पर भारत का रुख: ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की आलोचना की है और अमेरिका और पश्चिमी देशों का पक्ष लिया है।
    - हालाँकि, भारत ने इस मुद्दे पर रूस की आलोचना करने से परहेज किया है। यह द्विपक्षीय संवाद और QUAD की कार्यप्रणाली में अंतर उत्पन्न कर सकता है।
- **कोयला खदान विवाद:** ऑस्ट्रेलिया में अडानी कोयला खदान परियोजना पर विवाद था, कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव उत्पन्न किया।
- **वीजा मुद्दे:** ऑस्ट्रेलिया में काम करने के इच्छुक भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए वीजा प्रतिबंधों को लेकर चिंताएं रही हैं।
- **कोई मुक्त व्यापार समझौता न होना:** दोनों देश दशकों से एक दूसरे के साथ बातचीत और संचार कर रहे हैं लेकिन मुक्त व्यापार समझौते पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं।
- **यूरेनियम की आपूर्ति में कमी:** दोनों पक्षों के प्रयासों के बावजूद यूरेनियम की आपूर्ति की प्रगति बहुत कम रही है। 2017 में, ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला यूरेनियम शिपमेंट भारत को भेजा था, लेकिन इसे "यूरेनियम का एक छोटा सा नमूना" के रूप में उद्धृत किया गया था, जिसे "विशुद्ध रूप से परीक्षण उद्देश्यों के लिए" स्थानांतरित किया गया था।
- **भारतीय प्रवासियों के साथ हिंसा:** खालिस्तान समर्थकों द्वारा हाल के दिनों में भारतीय प्रवासियों और मंदिरों पर हमले तनाव का विषय रहे हैं।

आगे की राह

कुल मिलाकर, भारत-ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी ने पिछले कुछ वर्षों में प्रभावशाली प्रगति देखी है, लेकिन इसकी क्षमता और वादे को अभी पूरी तरह से महसूस किया जाना बाकी है। इसलिए, दोनों देशों से समर्पित ध्यान और राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता आगे बढ़ने वाले कार्य से अधिक बनने की है।

अवश्य पढ़े: भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप

भूगोल

राज्यों द्वारा आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग

संदर्भ: हाल ही में कुछ राज्यों ने मांग की है कि "आकाशीय बिजली" को "प्राकृतिक आपदा" घोषित किया जाए क्योंकि भारत में किसी अन्य आपदा की तुलना में इससे होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक है।

- वर्तमान मानदंडों के अनुसार, चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीत लहर को आपदा माना जाता है जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund-SDRF) के तहत कवर किये जाते हैं, जिसके लिये केंद्र द्वारा 75% वित्तपोषण किया जाता है।

आकाशीय बिजली/तड़ित:

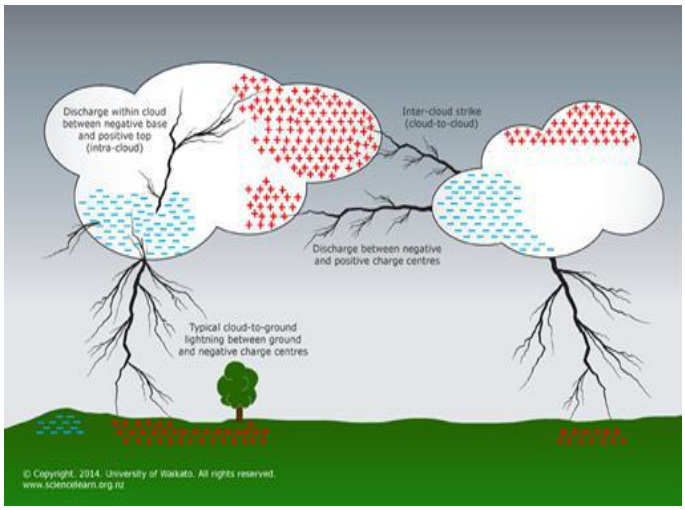

Source: Science Learning Hub

- यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो "बादल और ज़मीन के बीच या बादलों के बीच बहुत कम अवधि एवं उच्च वोल्टेज विद्युत निर्वहन" की प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे तीव्र चमक, तेज़ गरज व दुर्लभ अवसरों पर तड़ितझंझा (Thunderstorms) के रूप में देखा जाता है।
- एक तूफान के दौरान, तूफानी बादलों के अंदर बारिश, बर्फ या बर्फ के टकराने वाले कण तूफानी बादलों और जमीन के बीच असंतुलन को बढ़ाते हैं, और अक्सर तूफानी बादलों की निचली पहुंच को नकारात्मक रूप से चार्ज करते हैं।
- जमीन पर मौजूद वस्तुएं, जैसे कि सीढ़ी, पेड़ और स्वयं पृथ्वी, एक असंतुलन पैदा करते हुए सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं, जिसे प्रकृति दो आवेशों के बीच धारा प्रवाहित करके उपाय करना चाहती है।
- बादल से जमीन पर बिजली गिरना एक सामान्य घटना है जिसमें प्रति सेकंड लगभग 100 पृथ्वी की सतह से टकराते हैं।
- एक विशिष्ट क्लाउड-टू-ग्राउंड लाइटनिंग बोल्ट तब शुरू होता है जब ऋणात्मक आवेशों की एक चरणबद्ध श्रृंखला, जिसे स्टेप्ड लीडर कहा जाता है, एक तूफानी बादल के नीचे से लगभग 200,000 मील प्रति घंटे (300,000 किलोमीटर प्रति घंटे) की गति से पृथ्वी की ओर आता है।

भारत में आकाशीय बिजली:

- बिजली गिरने पर प्रकाशित लाइटनिंग रेज़िलिएंट इंडिया कैंपेन (LRIC) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के मध्य बिजली गिरने की 1 करोड़ 85 लाख घटनाएँ देखी गईं।
- प्रत्येक वर्ष बिजली गिरने से 2,500 से ज़्यादा भारतीयों की मौत हो जाती है।
- मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली से सबसे अधिक मौतें (162), उसके बाद महाराष्ट्र (121), गुजरात (72), बिहार (70), राजस्थान (49) और छत्तीसगढ़ (40) का स्थान आता है।
- भारत में 1972 और 2019 के बीच बिजली गिरने से 90,632 मौतें हुई हैं।
- द एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट पुष्टि करती है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण 40.4% मौतें बिजली गिरने के कारण हुईं।

- मानसून की अवधि में खरीफ फसल के मौसम के दौरान कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले 77% किसानों की बिजली गिरने से मौत हो जाती है।

भारत में आकाशीय बिजली की चुनौतियाँ

- **जागरूकता की कमी:** बिजली गिरने के खतरों के बारे में आम जनता में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण अक्सर मौतें और चोटें आती हैं।
- **बिजली से सुरक्षा का खराब बुनियादी ढाँचा:** भारत में अधिकांश इमारतें और संरचनाएँ बिजली से सुरक्षा प्रणालियों से लैस नहीं हैं, जिससे वे बिजली गिरने की चपेट में आ जाती हैं।
- **उच्च मृत्यु दर:** बिजली गिरने से भारत में हर साल 2,000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है, जिससे यह देश में मौसम संबंधी सबसे घातक खतरों में से एक बन जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन से तड़ितझंझा (Thunderstorms) की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में और अधिक बिजली गिरने की संभावना हो सकती है।
- **सीमित संसाधन:** भारत के पास बिजली संरक्षण के बुनियादी ढांचे और अनुसंधान में निवेश करने के लिए सीमित संसाधन हैं, जिससे बिजली गिरने से जुड़े जोखिमों को कम करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **सीमित बिजली डेटा:** भारत में बिजली गिरने पर सीमित डेटा है, जिससे प्रभावी बिजली संरक्षण नीतियों और रणनीतियों को विकसित करना मुश्किल हो जाता है।

आपदा प्रबंधन के लिए सरकार के कदम

- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA):** देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना 2005 में की गई थी।
- **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA):** प्रत्येक राज्य में एक अलग एसडीएमए होता है जो आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए एनडीएमए और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करता है।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** अधिनियम देश में आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और विभिन्न एजेंसियों और प्राधिकरणों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है और आपदा प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF):** एनडीआरएफ एक विशेष बल है जिसे आपदाओं का जवाब देने और राहत तथा बचाव अभियान प्रदान करने के लिए बनाया गया है और इसमें देश भर में तैनात बटालियन शामिल हैं।
- **पूर्व चेतावनी प्रणाली:** सरकार ने चक्रवात, भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी विभिन्न आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की है। ये प्रणालियाँ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को समय पर चेतावनी देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP):** यह आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा विकसित एक व्यापक योजना है, जिसमें रोकथाम, शमन और प्रतिक्रिया शामिल है।

आगे की राह

इस प्रकार, बिजली से संबंधित मौतों को कम करने के लिए सरकार को बिजली को "प्राकृतिक आपदा" के रूप में शामिल करना चाहिए। संभावित बिजली के आकर्षण के केंद्र के साथ कमजोर आबादी का मैपिंग करना, पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करना और बिजली का पता लगाने वाली प्रणाली स्थापित करना महत्वपूर्ण उपाय हैं।

इसलिए, सरकार को बिजली गिरने के विरुद्ध एक कार्य योजना तैयार करने के लिए जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर बिजली गिरने, जेंडरवाइज बिजली से होने वाली मौतों और ऑक्यूपेशन-वाइज (occupation-wise) मौतों से संबंधित एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए।

अवश्य पढ़े: बादल फटना (Cloud bursts)

पर्यावरण

लैंडफिल फायर

संदर्भ: हाल ही में ब्रह्मपुरम के आस-पास केरल के कोच्चि लैंडफिल साइट में आग लगी है, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय शहरों को गर्मियों में इस तरह की अन्य आपदाओं हेतु तैयार रहने की ज़रूरत है।

लैंडफिल के बारे में:

- लैंडफिल साइट, जिसे कूड़ा डंप, अपशिष्ट डंप या डंपिंग ग्राउंड के रूप में भी जाना जाता है, अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए एक साइट है। यह अपशिष्ट निपटान का सबसे पुराना और सबसे आम तरीका है।
- अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) ने लैंडफिल के निर्माण और प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट दिशानिर्देश स्थापित किए हैं।
- लेकिन भारत में लैंडफिल का प्रबंधन नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (एसडब्ल्यूएम), 2016 के तहत किया जाता है। हालांकि, कई दिशा-निर्देश नियमों का पालन नहीं करते हैं।

लैंडफिल फायर: भूतल और भूमिगत आग

- **भूतल आग:** इसमें एरोबिक अपघटन परत में लैंडफिल सतह पर या उसके करीब स्थित हाल ही में दफन या असम्पीडित अपशिष्ट शामिल है।
  - भूतल आग आमतौर पर अपेक्षाकृत कम तापमान पर जलती है और घने सफेद धुएं और अपूर्ण दहन के उत्पादों के उत्सर्जन की विशेषता होती है।
- **भूमिगत आग:** लैंडफिल में भूमिगत आग लैंडफिल सतह के काफी नीचे होती है और इसमें ऐसी सामग्री शामिल होती है जो महीनों या वर्षों पुरानी होती है।
  - भूमिगत लैंडफिल फायर का सबसे आम कारण लैंडफिल की ऑक्सीजन कंटेंट में वृद्धि है, जो बैक्टीरिया की गतिविधि और तापमान (एरोबिक अपघटन) को बढ़ाता है।
  - ये तथाकथित "हॉट स्पॉट" मीथेन गैस के पॉकेट्स के संपर्क में आ सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप आग लग सकती है।

लैंडफिल साइट में आग लगने के कारण:

- भारत की नगर पालिकाएँ शहरों में उत्पन्न अपशिष्ट का 95% से अधिक एकत्र कर रही हैं, लेकिन अपशिष्ट-प्रसंस्करण की दक्षता 30-40% सर्वोत्तम है।
- भारतीय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट में लगभग 60% बायोडिग्रेडेबल सामग्री, 25% गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री और 15% अक्रिय सामग्री, जैसे- गाद एवं पत्थर शामिल हैं।
- खुले में फेंके जाने वाले अपशिष्ट में कम गुणवत्ता वाले प्लास्टिक जैसे ज्वलनशील पदार्थ जिनका कैलोरी मान अपेक्षाकृत अधिक होता है, शामिल होते हैं।
- गर्मियों में बायोडिग्रेडेबल अंश बहुत तेज़ी से खाद में परिवर्तित होता है, जिससे लैंडफिल का तापमान 70-80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है।
- उच्च तापमान + ज्वलनशील सामग्री = लैंडफिल में आग लगने का मौका।

लैंडफिल फायर का प्रभाव:

- **वायु प्रदूषण:** लैंडफिल फायर के परिणामस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOC) सहित अनेक हानिकारक गैसें एवं कण हवा में मिल जाते है।
    - ये प्रदूषक श्वसन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करते हैं, साथ ही अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों को बढ़ा सकते हैं तथा धुंध एवं अम्लीय वर्षा में योगदान दे सकते हैं।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** यह लैंडफिल के आसपास रहने वाले निवासियों में गले में खराश, आंखों में खुजली और सांस लेने में समस्या जैसी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का कारण बनता है।
- **भूजल संदूषण:** लैंडफिल फायर भूजल में ज़हरीले रसायनों और भारी धातुओं को छोड़ सकती है, जो आस-पास के जल स्रोतों को दूषित कर सकती है और संभावित रूप से जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचा सकती है।
- **मिट्टी संदूषण:** लैंडफिल फायर मिट्टी में हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं को भी छोड़ सकती है, जो पौधे के विकास को नुकसान पहुँचा सकती है तथा फसलों को दूषित कर सकती है।
- **आर्थिक प्रभाव:** लैंडफिल फायर के परिणामस्वरूप स्थानीय सरकार के लिये सफाई लागत में वृद्धि हो सकती है, साथ ही आसपास के व्यवसायों और संपत्ति मालिकों को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।

लैंडफिल आग की रोकथाम

- आग की रोकथाम संपत्ति की क्षति, चोट, स्वास्थ्य और लैंडफिल फायर के पर्यावरणीय खतरों को कम कर सकती है।
    - रोकथाम की लागत आमतौर पर आग से लड़ने और उसे साफ करने की लागत से बहुत कम खर्चीली होती है।
- **प्रभावी लैंडफिल प्रबंधन:** प्रबंधन के उपायों में जानबूझकर जलाने के सभी रूपों पर रोक लगाना, आने वाले अपशिष्ट का पूरी तरह से निरीक्षण और नियंत्रण करना, गर्म स्थानों को बनने से रोकने के लिए दबाये गए कचरे को कॉम्पैक्ट करना, साइट पर धूम्रपान पर रोक लगाना और अच्छी साइट सुरक्षा बनाए रखना शामिल है।
- **मीथेन के उत्सर्जन की निगरानी:** यदि लैंडफिल में या उसके आसपास मीथेन का स्तर विस्फोटक हो जाता है, तो लैंडफिल ऑपरेटर को खतरे को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।
- **लैंडफिल गैस को ऊर्जा में बदलना:** लैंडफिल गैस का ऊर्जा में रूपांतरण इस लैंडफिल उपोत्पाद को एक विपणन योग्य संसाधन में बदल देता है। परिवर्तित गैस का उपयोग बिजली, गर्मी या भाप उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।

लैंडफिल फायर को रोकने के लिए सरकार की पहल

- स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (SBM-U)
- **स्वच्छ सर्वेक्षण:** यह भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण करता है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के तहत SBM-U के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है।
- **स्वच्छता ही सेवा अभियान:** इसे 'जन आंदोलन' में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है।
- **कम्पोस्ट बनाओ, कम्पोस्ट अपना अभियान:** यह MoHUA द्वारा SBM-(U) के तहत कचरे से खाद बनाने के लिए शुरू किया गया एक मल्टी-मीडिया अभियान है।

आगे की राह

हालांकि ये उपाय आग से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये इस आदर्श से बहुत दूर हैं और दीर्घकालिक समाधान नहीं हैं। संसाधनों को कम करने, पुन: उपयोग करने, पुनर्चक्रण करने और पुनर्प्राप्त करने के 4 आर के फिलोसोफी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थायी और आवश्यक समाधान यह सुनिश्चित करना है कि शहरों में एक व्यवस्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रणाली हो जहां गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग संसाधित और उनके उप-उत्पादों को तदनुसार संसाधित किया जाय।

बायोट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

संदर्भ: यूनाइटेड किंगडम स्थित एक स्टार्टअप ने बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक (Biotransformation Technology) विकसित करने का दावा किया है जो प्लास्टिक की अवस्था को बदलकर उसका जैव निम्नीकरण कर सकती है।

बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक के बारे में:

- बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक यह सुनिश्चित करने का एक नया दृष्टिकोण है जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को कुशलतापूर्वक संसाधित और अपघटित किया जा सकता है।
- इस तकनीक को लंदन, ब्रिटेन में इंपीरियल कॉलेज और ब्रिटेन स्थित एक स्टार्टअप, पोलीमेटेरिया द्वारा सह-विकसित किया गया था।
- इस तकनीक का उपयोग करके उत्पादित प्लास्टिक की गुणवत्ता को पूर्व निर्धारित अवधि हेतु बनाए रखा जाता है, जिसके दौरान गुणवत्ता में बदलाव किये बिना वे पारंपरिक प्लास्टिक की तरह दिखते और महसूस होते हैं।
- एक बार जब उत्पाद समाप्त हो जाता है और बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है, तो यह स्वयं नष्ट हो जाता है एवं जैव-उपलब्ध मोम में बदल जाता है।
    - फिर इस मोम का सूक्ष्मजीवों द्वारा उपभोग किया जाता है, अपशिष्ट को जल, CO2 और बायोमास में परिवर्तित किया जाता है।
- यह विश्व की पहली बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक है जो बिना किसी माइक्रोप्लास्टिक्स के खुले वातावरण में पॉलीओलेफिन का पूरी तरह से जैव निम्नीकरण सुनिश्चित करती है।

भारत के लिए महत्व:

- भारत वार्षिक रूप से 3.5 अरब किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा कर रहा है और पिछले पाँच वर्षों में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन भी दोगुना हो गया है। इसमें से एक-तिहाई पैकेजिंग वेस्ट से आता है।
- डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आईआईटी दिल्ली और सी मूवमेंट की एक संयुक्त शोध परियोजना में कहा गया है कि अमेजन ने वर्ष 2019 में पैकेजिंग कचरे से लगभग 210 मिलियन किलोग्राम (465 मिलियन पाउंड) प्लास्टिक का उत्पादन किया।
    - उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि उसी वर्ष अमेज़न की प्लास्टिक पैकेजिंग का 10 मिलियन किलोग्राम (22.44 मिलियन पाउंड) तक दुनिया के ताजे पानी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के रूप में समाप्त हो गया।

अनुप्रयोग:

- खाद्य पैकेजिंग और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग दो प्रमुख क्षेत्र हैं जो अपशिष्ट को कम करने के लिये इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।
- **कृषि:** नमी के संरक्षण और खरपतवार के विकास को नियंत्रित करने के लिए कृषि में प्लास्टिक मल्च (Plastic mulch) फिल्मों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
    - कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए बायोडिग्रेडेबल मल्च फिल्मों को विकसित करने के लिए बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
- **कपड़ा उद्योग:** पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे सिंथेटिक कपड़े कपड़ा उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और प्लास्टिक कचरे में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।
    - बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का उपयोग बायोडिग्रेडेबल वस्त्रों को विकसित करने के लिए किया जा सकता है जो कपड़ा उद्योग में प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए स्वाभाविक रूप से ब्रेक हो सकते हैं।
- **ऑटोमोटिव उद्योग:** ऑटोमोटिव उद्योग प्लास्टिक घटकों और पैकेजिंग सामग्री सहित प्लास्टिक उत्पादों का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है।
    - ऑटोमोटिव उद्योग में प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक घटकों और पैकेजिंग सामग्री को विकसित करने के लिए बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
- **निर्माण उद्योग:** पीवीसी पाइप और शीट जैसे प्लास्टिक उत्पाद निर्माण उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और प्लास्टिक कचरे में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

- निर्माण उद्योग के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उत्पादों को विकसित करने के लिए बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जिससे प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है।

प्लास्टिक कचरे के मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- सरकार ने एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के कारण बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में मदद के लिए एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन राजपत्र प्रस्तुत किया।
- 2022 में, भारत सरकार ने देश में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया।
- एकल उपयोग प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के उन्मूलन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड: यह एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में हुई प्रगति को ट्रैक करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाता है।
- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल:** यह जवाबदेही पता लगाने की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है, और उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों के ईपीआर दायित्वों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टिंग में आसानी की सुविधा देता है।
- भारत ने अपने क्षेत्र में एकल-उपयोग प्लास्टिक की बिक्री, उपयोग या निर्माण की जांच करने के लिए एकल-उपयोग प्लास्टिक शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है।

आगे की राह

अन्य विकल्प जैसे कॉयर (coir), खोई, चावल और गेहूं की भूसी, पौधे और कृषि अवशेष, केला और सुपारी के पत्ते, जूट और कपड़ा आधारित पैकेजिंग संभावित रूप से प्लास्टिक कचरे को कम कर सकते हैं। यह कागज उद्योग के भीतर स्थिरता भी बना सकता है, और एथिलीन समाधानों पर आयात बिल को बचा सकता है। लकड़ी की पैकेजिंग एक अन्य विकल्प है, लेकिन यह पैकेजिंग को बड़ा बना देगा और लागत में वृद्धि करेगा।

सामाजिक मुद्दे

भारत में हाथ से मैला ढोना/मैनुअल स्कैवेंजिंग

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार को मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इसके बारे में:

- हाथ से मैला ढोने का तात्पर्य अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों, सेप्टिक टैंक या अन्य समान स्थानों से मानव मल या किसी भी प्रकार के सूखे या गीले कचरे को मैन्युअल रूप से साफ करने, ले जाने, निपटाने या संभालने की प्रथा से है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग एक अमानवीय प्रथा है जिसमें झाड़ू, बाल्टी और टोकरियों जैसे बुनियादी और अक्सर असुरक्षित उपकरणों का उपयोग शामिल है, जो गंभीर स्वास्थ्य खतरों, चोटों और यहां तक कि मौत का कारण बन सकता है।

भारत में मैला ढोना: एक दुखद कहानी

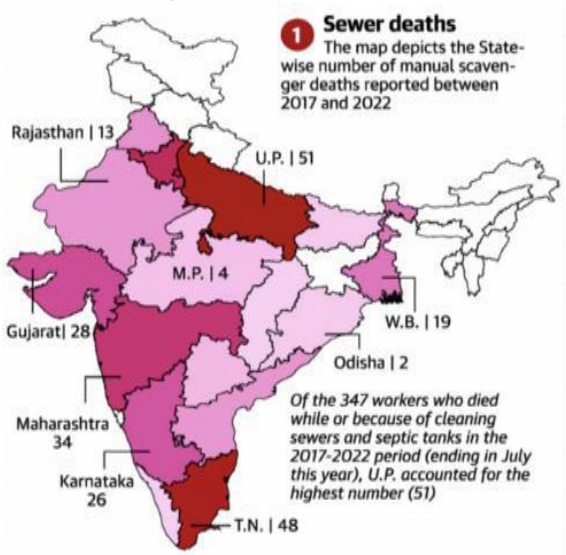

- भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 740,000 से अधिक घर ऐसे थे जहां अभी भी हाथ से मैला ढोने की प्रथा चल रही थी।
- यह प्रथा अक्सर भारत में जाति व्यवस्था से जुड़ी होती है, जहाँ दलितों जैसी निचली जातियों के लोगों को हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर किया जाता है।
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुसार, 2016 और 2019 के बीच पूरे भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कुल 482 मैला ढोने वालों की मौत हुई।
- सफाई कर्मचारी आंदोलन, हाथ से मैला ढोने के उन्मूलन के लिए काम कर रहे एक पक्षसमर्थक समूह का अनुमान है कि भारत में अभी भी लगभग 1.8 मिलियन हाथ से मैला ढोने वाले हैं।
- कई मैला ढोने वाले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनमें त्वचा रोग, श्वसन संबंधी समस्याएं और यहां तक कि सेप्टिक टैंक और सीवर लाइनों में जहरीले धुएं के संपर्क में आने से मृत्यु भी शामिल है।
- 2019 से 2022 तक सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई करते समय दुर्घटनाओं के कारण कुल 233 लोगों की मौत हुई।
- हरियाणा में सबसे अधिक 13 मौतें हुईं, इसके बाद महाराष्ट्र में 12 और तमिलनाडु में 10 मौतें हुईं।
- मैला ढोने की प्रथा ज्यादातर निचली जातियों के लोगों द्वारा की जाती है, जैसे कि दलित, और यह जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के चक्र को बनाये रखता है।

मैला ढोने की प्रथा के बने रहने के कारण:

कार्यक्रम के अप्रभावी साबित होने के कई कारण थे:

- **महिलाओं का मुद्दा:** योजना के तहत पुनर्वास के अधिकांश प्रावधान लैंगिक संवेदनशील नहीं थे और पुरुषों के प्रति निर्देशित थे, हालांकि हाथ से मैला ढोने में शामिल व्यक्तियों में से लगभग 95-98% महिलाएं हैं।

- **ऋण जारी करना:** योजना का प्रमुख प्रावधान सब्सिडी के साथ ऋण प्रावधान था।
    - कमजोर समुदायों को ऋण देना, जो हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर थे, जो एक जाति व्यवस्था में निहित हैं और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बहिष्कार का सामना करते हैं, एक स्थायी समाधान नहीं है।
- **बकाएदार (Defaulters):** मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए योजना (SRMS) के तहत अधिकांश ऋण बैंकों के माध्यम से 50% सब्सिडी के साथ जारी किए गए थे।
    - हालाँकि, अधिकांश सब्सिडी बैंक को चार्जब्ले इंटरेस्ट (chargeable interest) का भुगतान करने पर खर्च की गई थी और जो इसका भुगतान करने में सक्षम नहीं थे, वे "बकाएदार" बन गए।
- **ग्रामीण क्षेत्र:** SRMS सर्वेक्षण के अनुसार, हाथ से मैला ढोने में शामिल लोगों में से लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों (बड़े गाँवों और बस्तियों) में हैं।
    - हालांकि, योजना का फोकस शहरी क्षेत्रों पर था।
- **जातीय पहलू:** सरकारी कार्यक्रमों ने पुनर्वास के वित्तीय पहलू पर जोर दिया है और सदियों से चली आ रही जाति-आधारित उत्पीड़न और संबंधित सामाजिक परिस्थितियों को दूर करने में विफल रहे हैं।
- **भ्रष्टाचार:** SRMS सर्वेक्षण में पाया गया कि मध्य प्रदेश के जिले में 165 से अधिक महिलाएं मैला ढोने में शामिल थीं लेकिन लाभार्थियों की सूची में एक भी नाम शामिल नहीं था।
    - केवल 302 से अधिक महिलाओं वाले जिलों को शामिल किया गया।
    - मैनुअल स्कैवेंजिंग में शामिल लोगों में से केवल 10% को वास्तव में सूची में शामिल किया गया था।
    - इसके परिणामस्वरूप कई पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा था और जो योजना के पात्र नहीं थे।

मैला ढोने की प्रथा को रोकने की चुनौतियाँ:

- **सामाजिक कलंक:** हाथ से मैला ढोने की प्रथा को कुछ जातियों और समुदायों के साथ जोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप हाथ से मैला ढोने में लगे लोगों को सामाजिक भेदभाव और कलंकित किया गया है।
- **जागरूकता की कमी:** हाथ से मैला ढोने से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों ने इस प्रथा को जारी रखा है।
- **अपर्याप्त कार्यान्वयन:** हाथ से मैला ढोने पर रोक लगाने के लिए कानून और विनियम बनाए गए हैं, जबकि उनका कार्यान्वयन कई क्षेत्रों में खराब रहा है।
- **खराब बुनियादी ढाँचा:** भारत के कई हिस्सों में, उचित स्वच्छता बुनियादी ढाँचे की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप लोग सीवेज को साफ करने के लिए हाथ से मैला ढोने में लगे हैं।
- **अपर्याप्त पुनर्वास उपाय:** कई पुनर्वास योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत नहीं मिल पा रहे हैं।

मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के कारण होने वाली मौतों को रोकने के प्रयास में मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नमस्ते योजना या राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।
- मैला ढोने वालों का रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- मैला ढोने वालों के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 प्रतिबंध को और मजबूत करने और मैला ढोने वालों के रूप में कार्यरत लोगों के पुनर्वास के लिए प्रदान करने के लिए।
- 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई उपाय करने का निर्देश दिया, जिनमें शामिल हैं:
    - मैला ढोने वालों के रूप में कार्यरत लोगों को एकमुश्त नकद सहायता
    - हाथ से मैला ढोने वालों के लिए मकान
    - उनके परिवारों के कम से कम एक सदस्य के लिए आजीविका कौशल में प्रशिक्षण
    - उन्हें आर्थिक रूप से सहारा देने और व्यवसाय खोजने के लिए रियायती ऋण
    - सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए का भुगतान
- कानूनी निषेध और मैला ढोने के उन्मूलन के सरकारी प्रयासों के बावजूद, यह प्रथा अभी भी देश के विभिन्न भागों में बनी हुई है।

आगे की राह

- **सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास:** एक व्यवहार्य और दुर्जेय पुनर्वास योजना विकसित की जानी चाहिए जिसमें मैला ढोने से मुक्त परिवारों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास का प्रावधान शामिल होना चाहिए।
    - मुआवजा, शिक्षा, आवास और रोजगार के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रदान करना।
- **लैंगिक पहलू:** सभी पुनर्वास योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरी तरह से उन महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए जो 98% कार्यबल बनाती हैं और इस शोषणकारी परंपरा से बधें हैं।
- **सरकारी नियुक्तियां:** आईसीडीएस (आंगनवाड़ी) केंद्रों में कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और रसोइयों की नियुक्ति में दलित समुदाय की महिलाओं को ही नियुक्त किया जाना चाहिए।
    - दलितों में मैला ढोने वाले समुदाय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **दलित मुस्लिम और दलित ईसाई मैला ढोने वाले:** गैर-अनुसूचित जातियों जैसे कि दलित मुस्लिम और दलित ईसाई समुदाय जो हाथ से मैला ढोने का काम करते हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के हाथ से मैला ढोने वालों के समान सुविधाएं और सुरक्षा मिलनी चाहिए।
- **भारतीय रेलवे:** भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा संस्थान है जो शुष्क शौचालयों का उपयोग करता है।
    - रेल मंत्रालय को तत्काल इस प्रथा पर रोक लगानी चाहिए और अगले तीन वर्षों के लिए संसद के प्रत्येक सत्र में प्रगति रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।
    - ताकि भारत सरकार निर्धारित समय में भारतीय रेलवे में मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना सुनिश्चित कर सके।
- हाथ से मैला ढोने वाले समुदाय को प्राथमिकता: हाथ से मैला ढोने वाले परिवारों और उन परिवारों को शामिल करना जिन्होंने सभी सरकारी योजनाओं की प्राथमिकता सूची में हाथ से मैला ढोना छोड़ दिया है।
- मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना: जब तक हम सही प्रौद्योगिकियां नहीं बनाते हैं, तब तक मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना संभव नहीं होगा।

भारत में घरेलू कामगारों का संरक्षण

संदर्भ: हाल ही में, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक 14 वर्षीय लड़की को गुरुग्राम के एक घर से बचाया जहां वह घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत थी। इस घटना ने शहरी भारत में भुगतान वाले घरेलू काम की गुणवत्ता को उजागर किया है, जहां लोग एक अनियमित क्षेत्र में दुर्व्यवहार और शोषण का जोखिम उठाते हैं।

घरेलू कामगारों के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, घरेलू कामगार वे श्रमिक हैं जो एक निजी घर या घरों में या उसके लिए कार्य करते हैं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं, और इस प्रकार देखभाल अर्थव्यवस्था के प्रमुख सदस्य हैं।
- ILO के अनुसार, घरेलू काम का मतलब घर के काम से है जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और ऐसे अन्य काम जो किसी नियोक्ता के पारिश्रमिक के लिए किए जाते हैं।

भारत में घरेलू कामगारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

- घरेलू काम शहरी भारत में महिलाओं और लड़कियों के रोजगार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है।
    - आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि 2012 तक, 39 लाख लोग घरेलू कामगारों के रूप में कार्यरत थे, जिनमें से कम से कम 26 लाख महिलाएं थीं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के एक स्वतंत्र अनुमान के अनुसार यह संख्या 20 मिलियन से 90 मिलियन श्रमिकों के बीच कहीं भी है।
- अधिकांश लोग सीमांत जातियों और वंचित स्थानों से आते हैं।
    - वर्ष 2016 में बेंगलुरु स्थित एक अध्ययन में पाया गया कि 75% घरेलू कामगार अनुसूचित जाति से, 15% अन्य पिछड़ी जाति से और 8% अनुसूचित जनजाति से थे।
- बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं (ज्यादातर अविवाहित) झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से पलायन करती हैं यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली एक बड़ी आबादी वाले क्षेत्र से होती है।
- देश में 12.6 मिलियन से अधिक घरेलू कामगार नाबालिग होते हैं, जिनमें से 86% लड़कियां हैं।
    - इसके अलावा, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 25% कम उम्र के घरेलू कामगार 14 साल से कम उम्र के थे।

घरेलू काम की स्थिति:

- घरों के भीतर काम की अनौपचारिक प्रकृति का मतलब है कि लोग अवैतनिक और कम भुगतान दोनों हैं।
- प्लेसमेंट एजेंसियों और/या अवैध व्यापार करने वालों के हाथों भेदभाव और हिंसा, यौन उत्पीड़न, और शोषण को गलत परिभाषित कार्य घंटों में दोहराने वाला कोई कानूनी अनुबंध नहीं है।

- प्रेस सूचना ब्यूरो ऑफ इंडिया के अनुसार, 2010 और 2012 के बीच, घरेलू कामगारों के खिलाफ हिंसा के मामलों की संख्या 3,422 से बढ़कर 3,564 हो गई।
- एंटी-स्लेवरी इंटरनेशनल की 2016 की एक रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है, "घरेलू कामगार के रूप में काम करने वाली महिलाओं का व्यापक दुरुपयोग और शोषण है, जिसमें बच्चों की तस्करी भी शामिल है।"

तस्करी और जबरन श्रम:

- रोजगार के लिए राज्य भर में पलायन करने वाले लोगों में से तस्करी के शिकार लोगों की पहचान करना मुश्किल है।
- ILO ने घरेलू काम को एक "मॉडर्न स्लेवरी (modern slavery)" प्रथा के रूप में परिभाषित किया है, जहां घरेलू कामगार, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, "दुरुपयोग, शोषण, जबरन श्रम और तस्करी के प्रति संवेदनशील रहते हैं"।
- ILO फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, 1930 जबरन श्रम को ऐसे काम के रूप में परिभाषित करता है जो "किसी भी दंड के खतरे के तहत किसी भी व्यक्ति से लिया जाता है" और जिसे "स्वेच्छा से प्रस्तुत नहीं किया जाता है"।

भारत में घरेलू कामगारों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

- **खराब कामकाजी परिस्थितियां:** घरेलू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी से वंचित रखा जाता है। उनके पास किसी भी सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव है।
    - कई श्रमिकों का लंबे समय तक काम करने के लिए शोषण किया जाता है और लिव-इन कर्मचारी शारीरिक शोषण और उत्पीड़न के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
- अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों की कमी: राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2008-10 में घरेलू कामगार (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक का मसौदा तैयार किया था। हालाँकि, विधेयक पारित नहीं हुआ था।
    - इसी प्रकार, घरेलू कामगारों पर मसौदा नीति 2017 से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है।
- **कार्यान्वयन के मुद्दे:** घरेलू काम को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अनुसूचित रोजगार की सूची में जोड़ा गया, जो 2011 के ILO सम्मेलन 189 के साथ मेल खाता था।
    - हालांकि, कार्यान्वयन खराब बना हुआ है, अधिकांश घरेलू कामगार न्यूनतम मजदूरी स्तर से नीचे काम कर रहे हैं।
    - केवल 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने घरेलू कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन की आवश्यकता वाले कानून पारित किए हैं।
- **अपर्याप्त डेटा:** घरेलू कामगारों की संख्या के संबंध में विश्वसनीय डेटा का अभाव है।
    - अनुमानों में भारी भिन्नता है, जिसमें श्रमिकों की संख्या 4 मिलियन से 50 मिलियन के बीच है।
    - डेटा का अभाव घरेलू कामगारों की स्थिति में सुधार के लिए उपयुक्त योजनाओं के निर्माण और संसाधनों के आवंटन में बाधा के रूप में कार्य करता है।
- **अनौपचारिक प्लेसमेंट एजेंसियां/हाउसकीपिंग कंपनियां:** शहरी क्षेत्रों में घरेलू कामगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियां स्वयं अनौपचारिक तरीके से काम करती हैं।
    - वे अपने स्वयं के लाभ पर अधिक ध्यान देती हैं और श्रमिकों के अधिकारों के बारे में बहुत कम।
- **घरेलू श्रम अधिकारों की उपेक्षा:** उद्योग विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 और कारखाना अधिनियम, 1948 जैसे श्रमिकों से संबंधित कानून निजी घरों में घरेलू श्रमिकों द्वारा किए गए श्रम को 'कार्य' के रूप में मान्यता नहीं देते हैं।

भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय: घरेलू कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विनियमित करने के लिए कोई समर्पित कानून या नीति नहीं है।

- असंगठित क्षेत्र का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 - इस अधिनियम ने घरेलू कामगारों सहित श्रमिकों को सामाजिक कल्याण प्रदान करने के लिए पहली कानूनी मान्यता प्रदान की।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 - इस संहिता ने असंगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का स्थान लिया है और यह अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है।
- बाल श्रम अधिनियम, 1986 - भारत सरकार ने 2006 में नाबालिगों को घरेलू कामकाज में आने से प्रतिबंधित कर दिया, इसे "खतरनाक बाल श्रम" के रूप में सूचीबद्ध किया।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में घरेलू कामगारों को विशिष्ट श्रेणी के श्रमिकों के रूप में शामिल किया गया है, जिनके घर को निर्दिष्ट कार्यस्थल के रूप में रखा गया है।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 - केवल कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और त्रिपुरा ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में घरेलू कामगारों को शामिल किया है।
- घरेलू कामगार (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक 2008 में - राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधेयक का प्रस्ताव रखा।

- घरेलू कामगार कल्याण विधेयक 2016 - एक निजी घर को कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है, और "मजदूरी" की व्यापक परिभाषा दी गई है।
    - वर्ष 2008 और 2016 दोनों बिल अभी तक पारित नहीं हुए हैं।
- राष्ट्रीय घरेलू कामगार नीति - प्लेसमेंट एजेंसियों को विनियमित करने और मौजूदा कानूनों के तहत घरेलू कामगारों को शामिल करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा 2019 में प्रस्तावित।
- भारत ILO के 189वें सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसे घरेलू कामगारों पर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

घरेलू कामगार की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपाय:

- घरेलू कामगार सम्मेलन (संख्या 189) - ILO ने घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए 2011 में घरेलू कामगार सम्मेलन (संख्या 189) बनाया।
- अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस, ILO कन्वेंशन 189 (16 जून, 2011) को अपनाने का दिन, कई देशों में घरेलू कामगारों के अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- आपका काम महत्वपूर्ण है - आईएलओ ने जन जागरूकता पैदा करने के लिए "आपका काम महत्वपूर्ण है" अभियान शुरू किया है।

आगे की राह

सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा देने की आवश्यकता है ताकि वे जिस व्यवधान का सामना कर रहे हैं, उससे मांग में स्थायी गिरावट न हो। इसलिए, मॉडर्न स्लेवरी के मुद्दे को हल करने के लिए घरेलू कामगारों और उनके नियोक्ताओं के बीच जुड़ाव को विनियमित करने में भारत सरकार का हस्तक्षेप समय की मांग है।

केंद्र द्वारा समलैंगिक विवाह का विरोध

संदर्भ: समलैंगिक विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में दायर एक याचिका को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया था।

समलैंगिक विवाह के बारे में:

- यह दो पुरुषों या दो महिलाओं के बीच विवाह की प्रथा है।
- विश्व के अधिकांश देशों में समलैंगिक विवाह को कानून, धर्म और प्रथा के माध्यम से विनियमित किया गया है।
- 2023 तक, समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह कानूनी रूप से 34 देशों में किया जाता है और मान्यता प्राप्त है, जिसमें लगभग 1.35 बिलियन लोग (दुनिया की आबादी का 17%) शामिल हैं, जिनमें सबसे हाल ही में अंडोरा है।

समलैंगिक विवाह के संदर्भ में सरकार का पक्ष:

- सरकार का मानना है कि समलैंगिक विवाह एक "भारतीय परिवार इकाई" की अवधारणा के अनुकूल नहीं है, जिसमें कहा गया है कि इसमें "एक पति, एक पत्नी और बच्चे शामिल हैं।
- संविधान में अनिवार्य रूप से एक जैविक पुरुष को एक 'पति', एक जैविक महिला को एक 'पत्नी' और दोनों के मिलन से पैदा हुए जीव को बच्चे के रूप में माना जाता है। इसमें जैविक पुरुष को पिता के रूप में और जैविक महिला को मां के रूप में देखा जाता है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डिक्रिमिनलाइजेशन के बावजूद, याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता के तर्क:

- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि समलैंगिक विवाह की गैर-मान्यता भेदभाव के बराबर है जो LBTQ+ युगल की गरिमा और आत्म-पूर्ति की जड़ पर आघात करती है।
- इसने मांग की कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को समान-लिंग जोड़ों को वही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक जोड़ों को अनुमति देती है जो विवाह करना चाहते हैं।

भारत में समलैंगिक विवाह की कानूनी स्थिति:

- भारत में विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत वर्गीकृत किया गया है।
- इनमें से कोई भी समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देता है।

LGBTQ समुदाय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसले:

- **2014 में,** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-बाइनरी या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग" के रूप में कानूनी मान्यता दी थी।
- **2017 में,** इसने निजता के अधिकार को मजबूत किया और यौन अभिविन्यास को किसी व्यक्ति की निजता एवं गरिमा के एक अनिवार्य

गुण के रूप में मान्यता दी।

- **2018 के** नवतेज सिंह जौहर के फैसले ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, लेकिन इसमें समलैंगिक विवाह का उल्लेख/वैधता नहीं किया गया।
    - अदालत ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में समलैंगिक विवाह को कभी भी स्वीकार नहीं किया था।
    - इसने समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के कानून को पलट दिया, और LGBTQ लोगों के लिए संवैधानिक अधिकारों का विस्तार किया।
- 2022 में, शीर्ष अदालत ने "असामान्य" परिवारों के लिए सुरक्षा की स्थापना की, जिसके अनुसार यह एक व्यापक श्रेणी है, जिसमें शामिल हैं-एकल माता-पिता, मिश्रित परिवार या रिश्तेदारी संबंध और समान-लिंग वाले जोड़े।
    - परिवारों की ऐसी गैर-पारंपरिक अभिव्यक्तियाँ विभिन्न सामाजिक कल्याण कानूनों के तहत समान रूप से लाभ के पात्र हैं।

समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष में तर्क:

- **मौलिक अधिकार:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
    - LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों के पास अन्य नागरिकों के समान मानवीय, मौलिक और संवैधानिक अधिकार हैं।
- **1954 का विशेष विवाह अधिनियम:** यह उन जोड़ों के लिए विवाह का नागरिक रूप प्रदान करता है जो अपने निजी कानून के तहत शादी नहीं कर सकते।
- **समानता का अधिकार:** याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उन्हें शादी से रोकना उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- **वैश्विक प्रथा:** ग्लोबल थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस सहित कम से कम 30 देशों में समलैंगिक विवाह कानूनी हैं।

समलैंगिक विवाह के खिलाफ तर्क:

- **सामाजिक कलंक:** कठोर कानूनी परिदृश्य के अलावा, समलैंगिकों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।
    - समलैंगिक के बीच यौन संबंधों का कोई भी उदाहरण द्वेष और घृणा को आकर्षित करता है।
- **पितृसत्तात्मक समाज:** भारतीय समाज पितृसत्तात्मक है जो मानता है कि पूरे इतिहास में विषमलैंगिक विवाह आदर्श था और "राज्य के अस्तित्व और निरंतरता दोनों के लिए मूलभूत है।
- **बढ़ती सक्रियता:** समलैंगिकता के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए तर्क देते हुए, समलैंगिकता और समलैंगिक अधिकारों के लिए अभियान तेजी से कट्टरपंथी चरित्र पर ले गए।

आगे की राह

- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि समुदाय को विषमलैंगिक जोड़ों के समान अधिकारों से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद-14, 19 और 21 और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 16 सहित जीवन और स्वतंत्रता पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से सामाजिक संरचना में गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो व्यक्तिगत और युगल स्तर से शुरू होता है, इसके बाद परिवार, समुदाय और अंत में समाज के स्तर पर होता है।
- समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर, भारत उन 30 देशों में शामिल हो सकता है जो इसे अनुमति देते हैं, और एशिया में आगे बढ़कर नेतृत्व कर सकते हैं जहां केवल ताइवान ने इसे वैध किया है।
- जैसे-जैसे लोगों के रिश्ते बदलते हैं, और समाज परिवर्तन के दौर से गुजरता है, स्वतंत्रता और लिबर्टीज पर संवैधानिक अधिकारों का विस्तार हर क्षेत्र में होना चाहिए, जिसमें समलैंगिक जोड़ो का जीवन भी शामिल है।

नीतिशास्त्र

भारत में भ्रष्टाचार

संदर्भ: भ्रष्टाचार का प्रभाव आम नागरिकों पर विशेष रूप से और समुदायों जैसे गरीब और कमजोर व्यक्तियों पर और अधिक पड़ता है।

भ्रष्टाचार के बारे में:

- भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग को संदर्भित करता है।
- यह एक निर्वाचित राजनेता, सिविल सेवक, पत्रकार, स्कूल के प्रशासक, या प्राधिकरण में किसी के द्वारा किया जा सकता है।
- सार्वजनिक भ्रष्टाचार के अलावा, हमारे पास व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच निजी भ्रष्टाचार भी है।
- इस प्रकार, भ्रष्टाचार की परिभाषा विभिन्न रूपों पर लागू होती है।

भारत में भ्रष्टाचार सांख्यिकी

- वार्षिक क्रोल ग्लोबल फ्रॉड रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में भ्रष्टाचार (25%) की उच्चतम राष्ट्रीय घटनाओं में से एक है।
- इसी अध्ययन में यह भी कहा गया है कि भारत उच्चतम अनुपात रिपोर्टिंग खरीद धोखाधड़ी (77% के साथ-साथ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी (73%) की रिपोर्ट करता है।
- ग्लोबल सिविल सोसाइटी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में एशिया में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए रिश्वतखोरी और व्यक्तिगत लिंक का उपयोग करने की उच्चतम दर है।
- भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, 2021 में 180 देशों में 85वें स्थान पर है।
- यह 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहाँ शून्य अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है वहीं 100 ऐसे देश को दर्शाता है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है।

भ्रष्टाचार के कारण:

- **व्यक्तिगत लाभ और आत्म-संरक्षण:**
  - भ्रष्टाचारी शक्ति और धन जमा करना चाहते हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि संसाधनों की तंगी वाली दुनिया में उनका वंश बना रहेगा। जो लोग भ्रष्टाचार के आगे झुक जाते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें वे आत्म-संरक्षण और अस्तित्वगत जरूरतों को पूरा करने के साधन देखते हैं।
- **परिणामों की आपराधिकता:**
  - जब जनता के पैसे की हेराफेरी की जाती है और कल्याणकारी योजनाएं लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती हैं।
  - जब गरीब लोगों को नौकरी, शिक्षा और यहां तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसा खर्च करने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह अपराध की हद तक पहुंच जाता है।
  - राष्ट्रीय संसाधनों का आवंटन - चाहे वह खनिज हो या दूरसंचार बैंडविड्थ - कीमत के लिए क्रोनियों को आर्थिक असमानता पैदा करता है, खेल के समान मैदानों को नष्ट करता है, मुक्त बाजारों और प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करता है और विदेशी निवेशकों को रोकता है।
- **दृढ़ विश्वास की कम दर:**
  - केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू किए गए हाई-प्रोफाइल मामलों में जांच की प्रगति और दोषसिद्धि की दर जनता में इस विश्वास को प्रेरित नहीं करती है कि इस स्थिति में कोई ठोस बदलाव आया है।
- **चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार:**
  - अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक चुनावों के वित्तपोषण के लिए कोई समाधान नहीं निकलेगा, तब तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव नहीं होगा।
  - राजनीतिक चंदे को वैध बनाना एक छोटी शुरुआत थी। बहुप्रचारित चुनावी बांड (ईबी) सही दिशा में उठाया गया एक कदम था।
  - यद्यपि पूर्ण सबूत से दूर, यह निश्चित रूप से हवाला के माध्यम से काले धन के हस्तांतरण के बजाय धन जुटाने का एक स्वच्छ तरीका है।

- **भ्रष्टाचार की बदलती प्रकृति:**
  - भारत में उदारीकरण के बाद से, भ्रष्टाचार की प्रकृति और अधिक जटिल हो गई है।
  - तकनीकी विकास के साथ, भ्रष्टाचार को रोकने के अवसर हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ भ्रष्टाचार का पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी जैसे क्षेत्रों में।

सरकारी पहल:

- भारत सरकार ने काले धन पर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।
- सरकार ने एक व्यापक और अधिक कठोर नया कानून बनाया, अर्थात् काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 का अधिरोपण।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016, जो सक्षम अधिकारियों को बेनामी संपत्तियों को संलग्न करने और जब्त करने का अधिकार देता है।
- सीबीआई जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बहुत कुछ किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

- अधिनियम के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम:

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 भारत में सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है।

अधिनियम में संशोधन:

- जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्ट आचरण में शामिल लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने और दंडित करने में सीमित सफलता देखी, इसमें एक संशोधन (संशोधन अधिनियम) अधिनियमित किया गया और 2018 में लागू किया गया।
- संशोधन अधिनियम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को भ्रष्टाचार 2005 के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप लाने का प्रयास किया, जिसे 2011 में भारत द्वारा अनुमोदित किया गया था।

व्हिसिल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014:

- यह अधिनियम मुखबिरों की रक्षा करना चाहता है, अर्थात लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, या आपराधिक अपराध से संबंधित सार्वजनिक हित प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति।
- यह 2005 के सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है, और यह पिछले वर्षों में मुखबिरों के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार रहा है।
- आरटीआई अधिनियम, 2005 को मुखबिर की 'जुड़वां बहन' भी कहा जाता है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है।
- लोकायुक्त राज्य स्तर पर गठित एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण है।
- यह सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोपों की जांच करता है और इसे सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निवारण का काम सौंपा जाता है।

लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016:

- यह बिल लोक सेवकों द्वारा संपत्ति और देनदारियों की घोषणा के संबंध में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 में संशोधन करता है।
- लोक सेवक को अपनी संपत्ति और देनदारियों, और अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

भ्रष्टाचार सरकार में निष्क्रियता (dysfunctionality) को बढ़ावा देता है, आर्थिक अक्षमता को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023

संदर्भ: केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 की रूपरेखा तैयार की, जो दशकों पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का व्यापक बदलाव है।

डिजिटल इंडिया बिल का मुख्य उद्देश्य:

- डिजिटल इंडिया बिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में इंटरनेट खुला है, उपयोगकर्ता के नुकसान और आपराधिकता से मुक्त है और जवाबदेही का एक संस्थागत तंत्र है।
- यह कानून उभरती प्रौद्योगिकियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के एल्गोरिदम, कृत्रिम बुद्धिमता और उपयोगकर्ता जोखिमों के साथ-साथ इंटरनेट की विविधता और बिचौलियों के विनियमन को कवर करेगा।

डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 के तहत प्रावधान:

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी मॉडरेशन नीतियों को अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक भाषण अधिकारों के लिए संवैधानिक सुरक्षा तक सीमित किया जा सकता है।
    - आईटी नियम, 2021 में हाल ही में किए गए संशोधन में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं के स्वतंत्र अभिव्यक्ति अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
- सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ताओं द्वारा सामग्री संबंधी शिकायतों के निवारण के लिये अब तीन शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की गई है।
    - इन्हें अब डिजिटल इंडिया अधिनियम में शामिल किये जाने की संभावना है।

ऑनलाइन सुरक्षा:

- यह अधिनियम कृत्रिम बुद्धिमता (AI), डीपफेक, साइबर क्राइम, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बीच प्रतिस्पर्द्धा के मुद्दों और डेटा सुरक्षा को शामिल करेगा।
- सरकार ने 2022 में एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार किया, जो डिजिटल इंडिया एक्ट के चार पहलुओं में से एक होगा, जिसमें राष्ट्रीय डेटा शासन नीति तथा भारतीय दंड संहिता में संशोधन के साथ-साथ डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत तैयार किये गए नियम भी शामिल हैं।

नया न्यायिक तंत्र:

- ऑनलाइन किये गए आपराधिक और दीवानी अपराधों के लिये एक नया "न्यायिक तंत्र" लागू होगा।

सेफ हार्बर:

- सरकार साइबर स्पेस के एक प्रमुख पहलू- 'सेफ हार्बर' पर पुनर्विचार कर रही है, यह एक सिद्धांत है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्त्ताओं द्वारा किये गए पोस्ट के लिये उत्तरदायित्त्व से बचने की अनुमति देता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) 2021 जैसे नियमों द्वारा हाल के वर्षों में इस शब्द पर लगाम लगाई गई है, जिसके लिये सरकार द्वारा ऐसा करने का आदेश दिये जाने पर या कानून द्वारा आवश्यक होने पर पोस्ट को हटाने के लिये प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता होती है।

संवैधानिक और कानूनी संरक्षण:

- मौलिक भाषण अधिकार (अनुच्छेद 19) का किसी भी मंच द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
    - हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी मॉडरेशन नीतियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन कर सकती हैं।
- निश्चित रूप से यह एक ऐसा मामला है जिसे बनाया जा सकता है कि दुष्प्रचार का शस्त्रीकरण मुक्त भाषण के समान नहीं है, और इसे संबोधित करने की आवश्यकता है।
- **IT नियम, 2021:** इसमें कहा गया है कि प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के फ्री स्पीच राइट्स का सम्मान करना चाहिए।
    - सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा सामग्री संबंधी शिकायतों को लेने के लिए अब तीन शिकायत अपीलीय समितियों की

स्थापना की गई है।

- अपीलीय समिति पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से सत्रह अपीलें पहले ही दायर की जा चुकी हैं।

नए अधिनियम की आवश्यकता:

- IT अधिनियम, 2000 को लागू किये जाने के बाद से डिजिटल क्षेत्र को परिभाषित करने के प्रयासों में कई परिशोधन और संशोधन (IT अधिनियम संशोधन, 2008 तथा IT नियम संशोधन, 2011) हुए हैं, जिसमें डेटा प्रबंधन नीतियों पर अधिक बल देते हुए इसे विनियमित किया गया है।
- चूँकि IT अधिनियम मूल रूप से केवल ई-कॉमर्स लेन-देन की रक्षा और साइबर अपराधों को परिभाषित करने के लिये डिज़ाइन किया गया था, यह वर्तमान साइबर सुरक्षा परिदृश्य की बारीकियों से निपटने में पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं था और न ही यह डेटा गोपनीयता अधिकारों को संबोधित करता था।
- नियामक डिजिटल कानूनों के पूर्ण प्रतिस्थापन के बिना, IT अधिनियम साइबर हमलों के बढ़ते परिष्कार और दर को बनाए रखने में विफल रहेगा।
- नए डिजिटल इंडिया अधिनियम में अधिक नवाचार, अधिक स्टार्टअप को सक्षम करके और साथ ही सुरक्षा, विश्वास एवं जवाबदेही के मामले में भारत के नागरिकों की रक्षा करके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है।

आगे की राह

इंटरनेट पर अभद्र भाषा और दुष्प्रचार का विनियमन अनिवार्य है और डिजिटल समाचार मीडिया तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित बिचौलियों को एक जवाबदेह भूमिका निभानी है।

वर्तमान में, देश में 760 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और आने वाले वर्षों में यह 1.2 बिलियन तक पहुंच जाएगा। हालांकि इंटरनेट अच्छा है और कनेक्टिविटी में सहायता करता है, लेकिन इसके आसपास कई उपयोगकर्ता नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए, ऐसे कानून लाना आवश्यक है जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर नए ढांचे प्रदान करें और डेटा एकत्र करने के दायित्व के बारे में भी चर्चा करें।

अवश्य पढ़े: डिजिटल स्पेस पर सुरक्षा की जरूरत

वनवेब नक्षत्र (OneWeb Constellation)

संदर्भ: हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के रॉकेट ने 36 वनवेब ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) की ओर ले गया, जो पृथ्वी से लगभग 280 मील (450 किलोमीटर) ऊपर एक गोलाकार पथ है।

वनवेब नक्षत्र के बारे में:

- वनवेब नक्षत्र एक उपग्रह-आधारित नेटवर्क है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में उच्च-गति, कम-विलंबता इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- यह न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के साथ साझेदारी में यूके स्थित वनवेब ग्रुप और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बीच एक सहयोगी परियोजना है।

वनवेब उपग्रह कनेक्टिविटी:

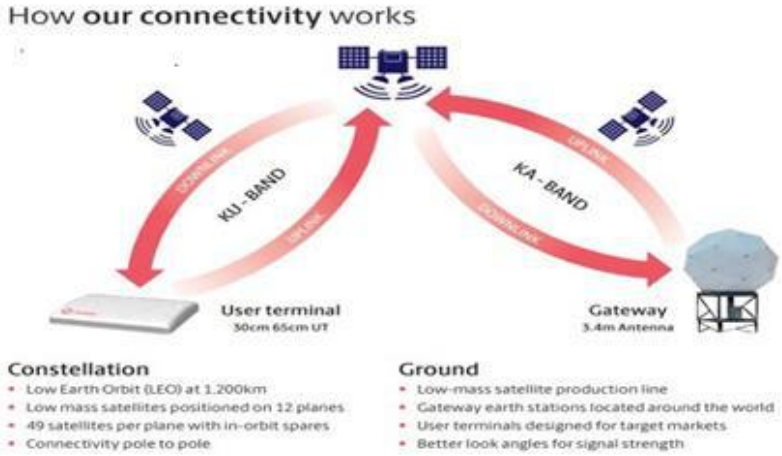

महत्व:

- वनवेब नक्षत्र पहले से ही दुनिया भर में विभिन्न प्रमुख स्थानों में कनेक्टिविटी समाधान प्रदान करता है और अधिक क्षेत्रों को ऑनलाइन लाने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है।
- वनवेब द्वारा प्रदान किए जाने वाले हाई-स्पीड, लो-लेटेंसी समाधान दुनिया भर के समुदायों, व्यवसायों और सरकारों को जोड़ने में मदद

करेंगे, जिससे LEO कनेक्टिविटी की अधिक क्षमता का प्रदर्शन होगा।

- यह नक्षत्र न केवल उद्यमों के लिए बल्कि कस्बों, गांवों, नगर पालिकाओं और स्कूलों के लिए भी सुरक्षित समाधान लाएगा, जिसमें पूरे भारत में सबसे कठिन पहुंच वाले क्षेत्र भी शामिल हैं।

वनवेब ब्रॉडबैंड के लाभ:

- **वैश्विक कवरेज:** अंतरिक्ष-आधारित ब्रॉडबैंड सिस्टम विश्व के सबसे दूरस्थ और अलग-थलग क्षेत्रों को भी कवरेज प्रदान कर सकता है, जो पारंपरिक ग्राउंड-आधारित ब्रॉडबैंड सिस्टम के साथ अक्सर संभव नहीं होता है।
- **उच्च गति:** अंतरिक्ष-आधारित ब्रॉडबैंड सिस्टम उपयोगकर्ताओं को उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड-आधारित सेवाओं और रीयल-टाइम डेटा ट्रांसफर जैसे कई अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
- **डिजिटल विभाजन को पाटना:** दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए सस्ती और उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जहां वर्तमान में विश्वसनीय इंटरनेट पहुंच की कमी है, डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद करेगी।
- **कम विलंबता:** अंतरिक्ष-आधारित प्रणालियाँ पारंपरिक उपग्रह-आधारित प्रणालियों की तुलना में विलंबता को काफी कम कर सकती हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग और आभासी वास्तविकता जैसे कई अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती हैं।
- **IoT और मशीन-से-मशीन संचार:** यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों की बढ़ती संख्या का समर्थन कर सकता है और मशीन-टू-मशीन संचार को सक्षम कर सकता है, जो कि कृषि, परिवहन और रसद जैसे उद्योगों में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
- **आपदा प्रतिक्रिया:** तूफान, भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद आपातकालीन संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणाली को जल्दी से तैनात किया जा सकता है जिससे जीवन को बचाने और राहत प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वयित करने में मदद मिलती है।
- **मापनीयता:** बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष-आधारित ब्रॉडबैंड प्रणालियों का तेजी से और आसानी से विस्तार किया जा सकता है, जो उन क्षेत्रों में आवश्यक है जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है या जहां किसी आपात स्थिति या आपदा के कारण मांग में अचानक वृद्धि हुई है।
- **अतिरेक:** यह उन क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त कनेक्शन प्रदान कर सकता है जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड सिस्टम अनुपलब्ध हैं, जो आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण है।
- **हवाई और समुद्री यात्रा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी:** कम विलंबता, अंतरिक्ष-आधारित ब्रॉडबैंड नेटवर्क की उच्च गति हवाई और समुद्री यात्रा के लिए कनेक्टिविटी में सुधार कर सकती है, यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान जुड़े रहने और जहाजों तथा विमानों की सुरक्षा में सुधार करने में सक्षम बनाती है।

अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड परियोजनाओं की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **परियोजना की लागत:** उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करना महंगा है, और उपग्रहों के समूह के निर्माण, प्रक्षेपण और रखरखाव की लागत बहुत अधिक हो सकती है।
- **तकनीकी मुद्दे:** उपग्रहों को ग्राउंड स्टेशनों और एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होना चाहिए, और उपग्रहों के समूह के डिजाइन, निर्माण और संचालन से जुड़ी कई तकनीकी चुनौतियाँ हैं।
- **कक्षीय मलबे:** अंतरिक्ष में मलबे की बढ़ती मात्रा उपग्रहों और उनके संचालन के लिए जोखिम पैदा कर सकती है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** उपग्रहों के बड़े समूहों की तैनाती से अंतरिक्ष के वातावरण पर प्रभाव पड़ सकता है, संभावित रूप से टकराव का खतरा बढ़ सकता है और कक्षीय मलबे के संचय में योगदान हो सकता है।
- **विनियामक मुद्दे:** अंतरिक्ष-आधारित ब्रॉडबैंड परियोजनाओं को अंतरिक्ष के उपयोग को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप, कक्षीय मलबे और स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित नियम शामिल हैं।

आगे की राह

वनवेब न केवल उद्यमों के लिए बल्कि कस्बों, गांवों, नगर पालिकाओं और स्कूलों के लिए भी सुरक्षित समाधान लाएगा, जिसमें देश भर के सबसे कठिन पहुंच वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। कुल मिलाकर, वनवेब ब्रॉडबैंड सिस्टम में हमारे कनेक्ट होने और कम्यूनिकेट करने के तरीके को बदलने की क्षमता है, और इंटरनेट के लाभों को हर किसी के लिए सुलभ बनाना है, चाहे वे कहीं भी रहते हों या काम करते हों।

Extended Portal access upto 2025 Prelims
IAS BABA
baba's gurukul
The Guru-shishya Parampara Continues....
Current Affairs Daily Practice Test (Prelims & Mains)
Super 100 (Mentored by Mohan Sir & Toppers)
Daily Comprehensive Classes Access to live + recorded classes
Personality Test Modules, Group Discussions & Doubt Clearing Platform
Prelims Revision Handouts & VAN
Analyse Learn Perform (ALP)
Personalised Mentorship & Feedback
Emotional Wellness Expert
(For Freshers)
GURUKUL FOUNDATION 2024
Above & Beyond Regular Coaching
& Much more......
Scan Here
to Know More
ADMISSION OPEN
Bangalore Delhi Online
www.iasbaba.com
support@iasbaba.com
91691 91888

PRACTICE QUESTIONS

Q.1) अकबर के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उसने सेना को प्रभावी ढंग से संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की।
2. अकबर के शासनकाल में भूमि कराधान की दहसला प्रणाली शुरू की गई थी।
3. अकबर ने 1563 में हिंदुओं के लिए तीर्थयात्रा कर (tax) को समाप्त कर दिया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

a) 1, 2 और 3
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) केवल 1 और 2

Q.2) निम्नलिखित पर विचार करें:
1. विमान
2. मोबाइल फोन और स्मार्टवॉच
3. इलेक्ट्रिक वाहन
4. घड़ियाँ
लिथियम उपरोक्त में से किस आइटम में अपना अनुप्रयोग पाता है?

a) केवल 1, 2 और 4
b) केवल 2, 3 और 4
c) केवल 1, 2 और 3
d) 1, 2, 3 और 4

Q.3) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:
प्रमुख इस्पात उद्योग और राज्य
1. बोकारो स्टील प्लांट-छत्तीसगढ़
2. भिलाई स्टील प्लांट - झारखंड
3. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट - कर्नाटक
4. राउरकेला स्टील प्लांट - ओडिशा
ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित है/हैं?

a) केवल एक जोड़ी
b) केवल दो जोड़े
c) केवल तीन जोड़े
d) चारों जोड़े

Q.4) निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है?

a) भारत
b) अमेरीका
c) चीन
d) रूस

Q.5) उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल का अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है

a) यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता
b) यूक्रेन और रूस के बीच शांति प्रक्रिया
c) तुर्की और सीरिया के लिए भूकंप राहत कार्यक्रम
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.6) सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक ऐसा मंच है जो निवेशकों को चुनिंदा सामाजिक उद्यमों या सामाजिक पहल में निवेश करने की अनुमति देता है। SSE मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों के भीतर एक अलग खंड के रूप में कार्य करता है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक भारत में एसएसई को नियंत्रित करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा की गारंटी है?

a) अनुच्छेद 19
b) अनुच्छेद 20
c) अनुच्छेद 21
d) अनुच्छेद 22

Q.8) निम्नलिखित देशों पर विचार करें:
1. भारत
2. श्रीलंका
3. पाकिस्तान
4. नेपाल
5. म्यांमार
उपरोक्त में से कौन बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का हिस्सा हैं?

a) केवल 1, 2, 3 और 4

b) केवल 1, 2, 4 और 5
c) केवल 2, 3 और 5
d) ऊपर के सभी

Q.9) साइट का निर्माण जलदुर्गा (जल किले) अवधारणा पर आधारित था, जिसे गढ़खाई अवधारणा (GadaKhai concept) के रूप में जाना जाता है। इसकी पहचान खारवेल के कलिंगनगर और अशोक के तोसली (Tosali) से की जाती है। द्वार ईंट और पत्थर से बने विस्तृत ढांचे थे। पत्थर से बने जलाशयों के प्रमाण हैं जो संभवतः वर्षा जल संचयन के लिए उपयोग किए जाते थे। बुद्धिमान यातायात प्रबंधन, पैदल चलने वालों के अनुकूल मार्ग, गार्ड हाउस के साथ भव्य प्रवेश द्वार, चौड़ी सड़कें और एक विशाल खुली जगह साइट की अन्य विशेषताएं हैं।
उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस साइट का वर्णन किया गया है?

a) शिशुपालगढ़
b) राखीगढ़ी
c) वडक्कुपट्टु
d) आदिचनल्लूर

Q.10) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. BIS, BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
2. यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है।
3. BIS का मुख्यालय मुंबई में है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल केवल 2
c) केवल 1
d) केवल 2 और 3

Q.11) अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह 1974 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है।
2. वर्तमान में IEA के 61 सदस्य देश हैं।
3. भारत 2017 में आईईए का सदस्य बना।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1
d) केवल 1 और 3

Q.12) समाचारों में अक्सर चर्चित येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है-

a) ऑस्ट्रेलिया
b) संयुक्त राज्य अमेरिका
c) जापान
d) ब्राजील

Q.13) यह भारत में हिमालय के तराई के जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। यह बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व है। यह देश के गंगा के मैदानी जैव-भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है; इस जंगल में भाबर और तराई इलाकों का संयोजन है।
उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिज़र्व का वर्णन किया गया है?

a) पक्के टाइगर रिजर्व
b) वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
c) दुधवा टाइगर रिजर्व
d) बक्सा टाइगर रिजर्व

Q.14) निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार करें:
1. घड़ियाल
2. मगर मगरमच्छ
3. खारे पानी का मगरमच्छ
उपरोक्त में से कौन भारत में प्राकृतिक आवास है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.15) भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. जघन्य (हीनियस) अपराध या संदेह के आरोप में पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना न्यायिक हिरासत है।
2. पुलिस हिरासत का अर्थ है कि आरोपी जेल में बंद है और पुलिस की हिरासत में है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.16) नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NCCF उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिए एक शीर्ष संगठन है।
2. यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.17) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:
GI ने आम की किस्म और क्षेत्र को टैग किया-
1. लक्ष्मण भोग (Laxman Bhog) - मालदा
2. बंगनपल्ले (Banganapalle) - कुरनूल
3. रटौल (Rataul) - लखनऊ
4. मलिहाबादी दशहरी (MalihabadiDusseheri) - बागपत
ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित है/हैं?
a) केवल एक जोड़ी
b) केवल दो जोड़े
c) केवल तीन जोड़े
d) चारों जोड़े

Q.18) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय खाद्य निगम 1965 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
2. किसानों को लाभकारी कीमतों की सिफारिश करने के लिए 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) एक साथ बनाया गया था।
3. CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.19) एशियाई शेर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी सीमा गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित कर दी गई है।
2. प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची II के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.20) भारत के राष्ट्रपति, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा या सजा को क्षमा करने, राहत देने, छूट देने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं?
a) अनुच्छेद 32
b) अनुच्छेद 72
c) अनुच्छेद 76
d) अनुच्छेद 123

Q.21) ग्लोबल ग्रीनहाउस गैस मॉनिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (GGGMI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की कार्यकारी परिषद द्वारा समर्थित है।
2. यह नेटवर्क डिजाइन के अवलोकन, और अधिग्रहण, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय, और परिणामी टिप्पणियों के उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण स्थापित करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.22) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
2. यह कौशल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
3. यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) का मूल्यांकन और प्रत्यायन आयोजित करता है
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q.23) कलक्कड़-मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में है
a) केरल
b) कर्नाटक
c) आंध्र प्रदेश
d) तमिलनाडु

Q.24) वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWFN) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
2. इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है।
3. इसका उद्देश्य ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3

c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.25) नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (NPDRR) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
2. यह एक सांविधिक निकाय है।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष NPDRR के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q.26) निम्नलिखित में से किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री (short documentary) ने भारत से ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है?
a) द एलिफेंट व्हिस्परर्स
b) जल्लीकट्टू
c) आल दैट ब्रीथ्स
d) छेलो शो

Q.27) निम्न में से कौन सा वातावरण में कार्बन पदचिह्न में वृद्धि का प्रभाव हो सकता है?
1. ग्रीनहाउस गैस प्रभाव
2. जलवायु परिवर्तन
3. पोलर कैप्स का पिघलना
4. संसाधनों की कमी
5. खाद्य आपूर्ति में परिवर्तन
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1, 2, 4 और 5
b) केवल 2, 4 और 5
c) केवल 1, 3 और 4
d) सभी

Q.28) निम्नलिखित पर विचार करें:
1. प्लेट टेक्टोनिक्स
2. महासागर तल का फैलाव
3. मैग्मा क्रिस्टलीकरण
उपरोक्त में से कौन सा कारक ज्वालामुखीय गतिविधियों का कारण बनता है?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.29) भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अनुपूरक अनुदान वह राशि है जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक खर्च की गई है।
2. असाधारण अनुदान एक विशेष उद्देश्य है और किसी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का कोई हिस्सा नहीं है।
3. अतिरिक्त अनुदान संसद द्वारा विनियोग अधिनियम के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए उस वर्ष के लिए अपर्याप्त पाई जाने वाली राशि है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q.30) निम्नलिखित पर विचार करें:
1. हीमोफिलिया
2. थैलेसीमिया
3. सिकल सेल एनीमिया
4. पोम्पे रोग
5. हिर्स्चस्प्रुंग रोग (Hirschsprung disease)
नेशनल कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थेराप्यूटिक फॉर रेयर डिजीज के अनुसार उपरोक्त में से कौन दुर्लभ बीमारियों के उदाहरण हैं?
a) केवल 1, 3 और 4
b) केवल 2, 4 और 5
c) केवल 1, 2 और 5
d) 1, 2, 3, 4 और 5

Q.31) भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की परिकल्पना की गई है।
2. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) स्पष्ट रूप से "जमानती" और "गैर-जमानती" अपराधों के बीच अंतर करती है।
3. अग्रिम जमानत आरोपी को जमानती अपराध में गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा करने के निर्देश की मांग करते हुए सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.32) निम्नलिखित में से कौन सी छोटी टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं हैं?
1. अंटार्कटिक प्लेट
2. यूरेशियन प्लेट
3. अरेबियन प्लेट
4. कोकोस प्लेट
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 3 और 4
d) केवल 1 और 4

Q.33) बरदा वन्यजीव अभयारण्य (Barda Wildlife Sanctuary) अक्सर खबरों में रहता है-
a) राजस्थान
b) असम
c) पंजाब
d) गुजरात

Q.34) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह 1961 के अधिवक्ता अधिनियम के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. यह पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को निर्धारित करके और बार पर अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके नियामक कार्य करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.35) निम्नलिखित पर विचार करें:
1. तंजानिया
2. बुरुंडी
3. रवांडा
4. केन्या
उपरोक्त में से कौन सा देश नील नदी बेसिन के अंतर्गत आता है?
a) केवल 1, 3 और 4
b) केवल 1, 2 और 3
c) केवल 2, 3 और 4
d) 1, 2, 3 और 4

Q.36) राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
2. इसका उद्देश्य भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में निर्जीव और सजीव संसाधनों की कटाई से जुड़ी विभिन्न इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.37) अटल ज्योति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह योजना 2016 में ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर अनुप्रयोग योजना के तहत एक उप-योजना के रूप में शुरू की गई थी।
2. यह विद्युत मंत्रालय के अधीन है।
3. यह योजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q.38) प्रोजेक्ट उन्नति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
2. इसका उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा के कौशल आधार के लाभार्थियों को बढ़ाना और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.39) अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का प्रमुख न्यायिक अंग है।
2. इसका मुख्यालय हेग में है।
3. भारत रोम संविधि का एक पक्ष है जो आईसीसी की एक संस्थापक संधि है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 3
c) केवल 2
d) केवल 1 और 3

Q.40) निम्नलिखित पर विचार करें:

1. बनिहाल दर्रा
2. खारदुंग ला
3. क़रा टैग ला

उपरोक्त में से कौन-सा/से दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में आता है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1
d) केवल 1 और 3

Q.41) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. WDRA एक वैधानिक प्राधिकरण है।
2. यह भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन कार्य करता है।
3. इसका मुख्यालय कोलकाता में है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.42) हाल ही में, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) का 10वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया था?

a) विश्व बैंक
b) इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस
c) पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स
d) रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र

Q.43) द्वारा जारी समाचारों में अक्सर छठी आकलन संश्लेषण रिपोर्ट का उल्लेख किया जाता है

a) जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर - सरकारी पैनल
b) विश्व बैंक
c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
d) ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड

Q.44) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
2. वर्तमान में इसके पास 200 देशों की सदस्यता है।
3. इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.45) महर्षि दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे।
2. ये वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास करते थे।
3. उन्होंने उन व्यक्तियों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की जो या तो स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से इस्लाम या ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे।
4. वह कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के खिलाफ थे।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 4
d) केवल 3 और 4

Q.46) वार्षिक सूचना विवरण (AIS) और करदाता सूचना सारांश (TIS) शब्द अक्सर किसके द्वारा लॉन्च किए गए मीडिया में उल्लिखित किए जाते हैं?

a) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
b) आयकर विभाग
c) नीति आयोग
d) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

Q.47) डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPDD) योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह योजना डेयरी विकास के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
2. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्री के अधीन काम करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.48) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. यह एक निवारक निरोध कानून है जो अधिकारियों को संतुष्ट होने पर कथित व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है।

2. इसे 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान अधिनियमित किया गया था।

3. हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है लेकिन मुकदमे के दौरान उसे वकील की अनुमति नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.49) दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है?

a) झारखंड
b) असम
c) जम्मू और कश्मीर
d) कर्नाटक

Q.50) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना के प्रधान मंत्री औपचारिककरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
2. यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है।
3. इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सहायता प्रदान करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 3
c) केवल 2
d) केवल 1 और 3

Q.51) वह एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य थे। वह 1928 में वरिष्ठ नेता, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए पुलिस उपाधीक्षक, जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या में शामिल था, क्योंकि साजिश के मामले में अत्यधिक पुलिस पिटाई हुई थी। उन्होंने अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के साथ लाहौर में 'नौजवान भारत सभा' की शुरुआत की।

उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का वर्णन किया गया है?

a) चंद्रशेखर आजाद
b) खुदीराम बोस
c) सुखदेव
d) अशफाक उल्ला खां

Q.52) भारत के संदर्भ में, संसद के सदस्य की अयोग्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान नहीं है?

a) यदि वह संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है (एक मंत्री या संसद द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य कार्यालय को छोड़कर)।
b) एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाए जाने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया हो।
c) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा की स्वीकृति के अधीन है।
d) यदि वह मानसिक रूप से सही नहीं है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

Q.53) पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये ग्रहीय पवनें जो 30°-60° अक्षांश के बीच पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं।
2. इनका उद्गम बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में होता है
3. ये आमतौर पर जनवरी-फरवरी के दौरान हल्की बारिश लाते हैं, जो रबी की फसल के लिए फायदेमंद होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 1 और 3
d) केवल 3

Q.54) भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं।
2. एबिल को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें केवल संविधान के अनुच्छेद 112 में उल्लिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं।
3. भारत के राष्ट्रपति यह तय करने के लिए अधिकृत हैं कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 3
c) केवल 1
d) केवल 1 और 3

Q.55) खंडगिरि उदयगिरि गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित हैं।
2. इन गुफाओं का निर्माण कलिंग सम्राट खारवेल ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था।

3. उदयगिरि में रानी और हाथी गुम्फा में ओडिसी की संस्कृति का वर्णन है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.56) स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद (ICOMOS) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ICOMOS संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन है।
2. यह एकमात्र वैश्विक संगठन है, जो वास्तुकला और पुरातात्विक विरासत के संरक्षण के लिए सिद्धांत, कार्यप्रणाली और वैज्ञानिक तकनीकों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.57) डिप्लेटेड यूरेनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह समृद्ध यूरेनियम बनाने की प्रक्रिया का उप-उत्पाद है, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों और परमाणु हथियारों में किया जाता है।
2. समृद्ध यूरेनियम की तुलना में, घटिया यूरेनियम बहुत कम रेडियोधर्मी है।
3. यूरेनियम वेपन्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (ICBUW) संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर दुनिया भर में कम हुए यूरेनियम गोला-बारूद के खिलाफ अभियान का समन्वय करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.58) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

जैव विविधता विरासत स्थल (बीएचएस) और राज्य

1. गंधमर्दन पहाड़ियाँ (Gandhamardan hills) - पश्चिम बंगाल
2.नल्लुर हेरिटेज टैमेरिंड ग्रोव- कर्नाटक
3. अरट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गाँव - केरल
4. अमीनपुर झील - तेलंगाना

ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही सुमेलित है/हैं?

a) केवल एक जोड़ी
b) केवल दो जोड़े
c) केवल तीन जोड़े
d) चारों जोड़े

Q.59) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है-

a) महाराष्ट्र
b) गुजरात
c) पश्चिम बंगाल
d) झारखंड

Q.60) भारत में अरावली रेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केवल चार राज्यों में फैला हुआ है
2. यह विश्व के सबसे पुराने ब्लॉक पर्वतों में से एक है
3. माउण्ट आबू श्रेणी इसकी सबसे ऊँची चोटी है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 3
d) केवल 1 और 3

Q.61) iDEX योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है
2. इसका उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो नवाचार को बढ़ावा देता है और रक्षा में प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करता है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.62) ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स और ऑपरेशन ऑर्बिटल का अक्सर समाचारों में उल्लेख किया जाता है-

a) यूक्रेन का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश नेतृत्व वाले सैन्य अभियान
b) नासा द्वारा शुरू किए गए अंतरिक्ष कार्यक्रम
c) तुर्की-सीरिया भूकंप के दौरान भारतीय सरकार द्वारा मानवीय सहायता
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.63) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक वैधानिक संगठन है
2. यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.64) सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत लागू किया जाता है।
2. यह 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' अभियान के एक भाग के रूप में शुरू की गई बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है।
3. और इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए उसके माता-पिता इस योजना के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.65) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

आर्द्रभूमि/झील	**: स्थान**
1. वेम्बनाड झील	तमिलनाडु
2. अष्टमुडी झील	केरल
3. सस्थमकोट्टा झील	कर्नाटक

ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

a) केवल एक जोड़ी
b) केवल दो जोड़े
c) केवल तीन जोड़े
d) चारों जोड़े